ที่ พณ ๑๓๐๙/ ๑ ๕๐๙

ถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



กรมการค้าต่างประเทศขอแจ้งประกาศของหน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการทบทวนชั้นที่สุด (Final Findings) กรณีการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – Dumping: AD) กับสินค้า Saturated Fatty Alcohols ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐมาเลเซีย และประเทศไทย โดยกำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากไทยในอัตรา ๑๐๗ - ๑๘๐ เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะเสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อรัฐบาลกลาง (Central Government) เพื่อพิจารณาการใช้บังคับมาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ ตาม OR Code ที่แนบ มาเพื่อทราบ และแจ้งสมาชิกที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน





กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๓๘ โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๔๑

รับเอกสารแล้ว
ชื่อผู้รับ [พิ.(นทีกเๆ)
วันที่ 10 ก. พ. ๒๒/५: 254
โทรศัพท์

<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022023-243403 CG-DL-E-03022023-243403

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] No. 41] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2023/माघ 13, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023/MAGHA 13, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

अंतिम जांच परिणाम

[मामला सं. – एडी (एसएसआर) - 01/2022]

विषय: इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" के आयातों के संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 7/01/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और तत्संबंधी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली या ए डी नियमवली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी ये एसएफए भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार मै० वीवीएफ इंडिया लि० (जिसे आगे आवेदक या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) द्वारा दायर एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

766 GI/2023 (1)

क. मामले की पृष्ठभूमि

- 2. इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच अधिसूचना सं. 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 24.04.2017 द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 23.04.2018 के अपने अंतिम जांच परिणाम द्वारा मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। सिफारिशों के आधार पर सीमा शुल्क अधिसूचना 28/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और अधिसूचना सं. 48/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25.09.2018 द्वारा संशोधित किया गया था। उक्त शुल्क पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे।
- 3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्षों के बाद निष्प्रभावी हो जाता है। प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षित के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- 4. इसके अलावा, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

 "अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच
 वर्ष की अविध तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अविध से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू
 उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पृष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अविध समाप्त होने से पूर्व उचित
 अविध के भीतर इस निष्कर्ष पर पहंचते है कि उक्त पाटनरोधी शल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेल उद्योग को
 - क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।" उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति
- 6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षित की संभावना के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य तथा नियमावली के नियम 23 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्षांकित आवेदन के मद्देनजर प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/01/2022-डीजीटीआर, दिनांक 3 फरवरी, 2022 के द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की तािक संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षित के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- 7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम सं. 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा जारी संबद्ध वस्तु से संबंधित पूर्ववर्ती जांच के सभी पहलू शामिल हैं, जिसे अधिसूचना सं. 28/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25.05.2018 द्वारा लागू और अधिसूचना सं. 48/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25.09.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

ख. प्रक्रिया

5.

8. संबद्ध जांच के बारे में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- प्रधिकारी ने जांच की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिस्चित किया।
- ii. प्रधिकारी ने इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 3 फरवरी, 2022 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- iii. प्रधिकारी ने दिनांक 3 फरवरी, 2022 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भेजी थी।
- iv. प्राधिकारी ने ए डी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति भेजी थी।

- v. जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने उचित तुलना करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धित संबंधी टिप्पणियां मांगी थी। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार किया गया और तत्पश्चात दिनांक 9 मार्च, 2022 के पत्र द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धित के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया।
- vi हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
- vii. भारत में संबंध देशों के दूतावासों से संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी:
 - i. पीटी. मुसिम मास, इंडोनेशिया
 - ii. पीटी. इकोग्रीन ओलियाकेमिकल्स, इंडोनेशिया
 - iii. पीटी. एनर्जी सेजेटेरा मास, इंडोनेशिया
 - iv. पीटी. विल्मर नबाती, इंडोनेशिया
 - v. एमरी ओलिओकेमिकल्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - vi. केएलके ओलिओ, मलेशिया
 - vii. एफपीजी ओलिओकेमिकल्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - viii. थाई फैटी अल्कोहल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- ix. इसके उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने विहित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
 - i. पीटी. मुसिम मास, इंडोनेशिया
 - ii. इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमिटेड सिंगापुर
 - iii. पीटी. इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स, इंडोनेशिया
 - iv. इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
 - v. पीटी. एनर्जी सेजेटेरा मास, इंडोनेशिया
 - vi. सिनार्मस सेप्सा पीटीई. लिमिटेड सिंगापुर
 - vii. पीटी. विल्मर नबाती, इंडोनेशिया
 - viii. नेच्रल ओलिओकेमिकल्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - ix. विल्मर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड सिंगापुर
 - x. एमरी ओलिओकेमिकल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - xi. एमरी ओलिओकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन. बीएचडी.
 - xii. केएलके ओलिओ, मलेशिया
 - xiii. एफपीजी ओलिओकेमिकल्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - xiv. प्रॉक्टर एंड गैंबल इंटरनेशनल ऑपरेशंस एसए सिंगापुर
 - xv. थाई फैटी अल्कोहल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - xvi. ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कं. लिमिटेड थाईलैंड
 - xvii. यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर

- x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजी थी।
 - i. मैसर्स गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड
 - ii. विश्वात केमिकल्स लिमिटेड
 - iii. रहोडिया स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया लिमिटेड
 - iv. इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड
 - v. स्टर्लिंग ऑक्जीलियरीज प्रा० लिमिटेड
 - vi. मातंगी इंडस्ट्रीज
 - vii. वीनस एथोक्सिलेट्स प्रा. लिमिटेड
 - viii. गुजरात केमिकल्स
 - ix. आरती सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड
 - x. कुसा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xi. कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट प्रा. लिमिटेड
 - xii. बीएएसएफ इंडिया
- xi. इसके उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रतिक्रिया दी और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।
 - i. गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ii. गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड
 - iii. विश्वात केमिकल्स लिमिटेड
 - iv. इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड
 - v. क्लैरिएंट आईजीएल स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा. लिमिटेड,
 - vi. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
 - vii. आरती सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड
 - viii. टाइड इंडस्ट्रीज
- xii. ऊपर उल्लिखित प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से कुछ कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
 - i. इंडियन सर्फैक्टेंट ग्रुप
- xiii. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी।
- xiv. कोविड-19 वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों से साझा करने के लिए कहा गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच अधिसूचना में विचार किया गया है।
- xv. यह याचिका 2018-19 से मई' 2021 के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि जून, 2021 से सितंबर, 2021 की अविध के लिए आंकड़े बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें नहीं दिए गए थे। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने जांच अविध अर्थात अक्टूबर, 2020 सितंबर, 2021 के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु अक्टूबर, 2020 मई 2021 की अविध के आंकड़ों का निष्कर्ष निकाला है।
- xvi. प्राधिकारी द्वारा सिस्टम्स महानिदेशालय (डीजीएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने अप्रैल 2018 से मई 2021 (डीजीएस आंकड़ों के साथ अमेलित) के लिए डीजीसीआई एंड

- एस से प्राप्त आंकडों और जून 21 से सितंबर 21 के लिए डीजीएस के आंकड़ों पर आयातों की मात्रा की गणना और सौदों की आवश्यक जांच के पश्चात अपेक्षित विश्लेषण के लिए विचार किया है।
- xvii. घरेलू उद्योग ने अपने चार्टर्ड/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षितिरहित कीमत (एनआईपी) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उत्पादन की ईष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत पर निर्धारित किया गया है। इस क्षितिरहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हई क्षित को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xviii. प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का मौके पर सत्यापन के जरिए भौतिक निरीक्षण किया गया था। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ आवश्यक सुधार, जहां लागू हो, के साथ केवल ऐसी सत्यापित सुचना पर भरोसा किया गया है।
- xix. उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ ऐसी सत्यापित सूचना पर भरोसा किया गया है।
- xx. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अविध अक्टूबर, 2020 से सितंबर, 2021 (12 माह) की है। तथापि, क्षित जांच अविध पर 2018-19, 2019-20, 2020-21 और पीओआई की अविध के रूप में विचार किया गया है। 2020-21 और पीओआई के बीच 6 महीने के अति व्यापन पर क्षित विश्लेषण करते समय विचार किया गया है।
- xxi. नियमावली के नियम 6(6) और व्यापार सूचना सं. 01/2020, दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 7 जुलाई, 2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक मौखिक सुनवाई की थी। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित अनुरोध में दायर करने की सलाह दी गई थी। लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और उन्हें खंडन अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- xxii. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/खंडनों में दिए गए तर्कों पर वर्तमान जांच अंतिम परिणाम में विचार किया गया है।
- xxiii. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों जो वर्तमान अंतिम जांच परिणाम का आधार हैं, का एक प्रकटन विवरण 30 जनवरी, 2023 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था। आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोधों पर संगत पाई गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है।
- xxiv. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके संगत होने पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच अधिसूचना में विचार किया गया है।
- xxv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने यथा आवश्यक गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- xxvi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को रिकार्ड किया हैं।
- xxvii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए जांच अवधि के दौरान अपनाई गई विनिमय दर 1 यू एस डॉलर = 74.6 रूपए है।

xxviii. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

9. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है। जांच शुरूआत के स्तर पर मूल जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बनाये रखा गया है। तदनुसार, विचाराधीन उतपाद निम्नानुसार परिभाषित है:-

कैपरिल अल्कोहल (सी-8) और डिसाइल अल्कोहल (सी-10) तथा सी8, सी10 के मिश्रणों को छोड़कर सभी प्रकार के सेच्रेटेड फैटी अल्कोहल ।

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - i. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को मूल अंतिम जांच परिणाम में कार्बन चेन लंबाई सी8 और सी10 को छोड़कर सभी सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल (एसएफए)" को शामिल करते हुए बढ़ाया गया था जिसमें कार्बन चेन लंबाई सी4, सी6 या सी20, सी22 आदि एसएफए शामिल होंगे। यद्यपि जांच शुरूआत के समय उन्हें पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया गया था।
 - ii. शुद्ध सी10 फैटी अल्कोहल को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया क्योंकि उसे न तो आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के समान वस्तु माना गया और न ही आवेदक द्वारा उसका उत्पादन हुआ था। अत: प्राधिकारी ने इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल करने के आवेदक उद्योग के अनुरोध को न मान कर सही किया है।
 - iii. यह भी अनुरोध किया गया कि आवेदक उद्योग पीओआई के दौरान सी10 के उत्पादन के लिए सी810 आयात कर रहा है और डीजीटीआर की प्रक्रिया को मानते हुए उन्हें शुद्ध सी10 के लिए घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।
 - iv. आवेदक उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने शुद्ध सी12 का उत्पादन नहीं किया है और इसलिए प्राधिकारी को डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया के अनुसार सी12 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
 - v. यह भी अनुरोध किया गया है कि आवेदक उद्योग ने प्योर कट्स (सी10 और सी12) के ज्ञात प्रयोक्ताओं से कभी संपर्क नहीं किया है। जिन्हें उन्होंने पहले सी10 और सी12 की आपूर्ति से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। चूंकि न तो उनकी वेबसाइट सी10 और सी12 का उत्पादन या आपूर्ति नहीं दर्शाती है और न ही उन्हें सी10 और सी12 प्योर कट के ज्ञात वास्तविक प्रयोक्ताओं को बिक्री भी की गई है। इसलिए प्रयोक्ता उद्योगों सी12 को विचाराधीन उत्पाद के दायर से बाहर रखने का अनुरोध प्राधिकारी से किया है।
 - vi यह अनुरोध किया गया है कि शुद्ध सी12 और सी14 के मिश्रण तकनीकी रूप से संबद्ध देशों से आयातित सी1214 के समान वस्तु नहीं हैं, क्योंकि आयातित सी1214 में अन्य प्योर कट के भी अवयव होते हैं जबिक शुद्ध सी12 और सी14 के मिश्रण में ऐसा कोई अवयव नहीं है और इसलिए प्रयोक्ताओं द्वारा उसका उपयोग नहीं हो सकता है।
 - vii. यहां तक कि शुद्ध सी12 और सी14 का मिश्रण भी संबद्ध देशों से आयातित सी1214 के समान वस्तु नहीं है। इस संदर्भ में, यह अनरोध किया गया है कि आयातित सी1214 को 1600 से 1700 अमेरिकी डॉलर में आयातित किया गया है जबकि शुद्ध सी12 और सी14 के मिश्रण की कीमत 3500 से 4000 अमेरिकी डॉलर के लगभग है। अत: वाणिज्यिक रूप से भी शुद्ध सी12 और सी14 का मिश्रण बनाने का कोई व्यावसायिक आधार नहीं है।
 - viii. याचिकाकर्ता प्योर कट्स आधारित सी12 और सी14 का उत्पादन नहीं करता है और इसलिए उसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
 - ix. सी12 और उसके मिश्रण याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित उच्चतर कट्स (सी1618 के साथ वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। उनकी अलग कच्ची सामग्री उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम प्रयोग है।

- x. याचिकाकर्ता आयातित डिस्टिल्ड फैटी ऐसिड से सी12-14 का निर्माण कर रहा है जिसमें भारी मूल्यवर्धन शामिल नहीं है। अत: याचिकाकर्ता को सी1214 का उत्पादक नहीं माना जा सकता है और इसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- xi. यह भी दावा किया गया है कि शुद्ध सी12 और सी14 को मिलाकर उत्पादित सी1214 का रासायनिक विनिर्देशन अलग हैं और इसलिए ये आयातित सी1214 के समान वस्तु नहीं हैं।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 11. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. कार्बन चेन लंबाई सी8 और सी10 के सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल (''एसएफए'') को मूल जांच की शुरूआत के समय पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया था। तथापि, उस समय याचिकाकर्ता द्वारा दी गई छूटों के अनुसार मूल जांच के अंतिम परिणाम में इसे बाहर रखा गया था क्योंकि वह उन ग्रेडों का उत्पादन नहीं कर रहा था। यह बताया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता अब वाणिज्यिक मात्रा में कार्बन चेन लंबाई सी10 के एसएफए का उत्पादन कर रहा है इसलिए इसे पीयूसी के दायरे में शामिल करना चाहिए।
 - ii. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद सी12 से सी18 कार्बन चेन लंबाई और उनके मिश्रण के सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल (एसएफए) हैं। पीयूसी का मुख्यत: फैटी अल्कोहल सल्फेट, फैटी अल्कोहल इथास्कीलेट्स और फैटी अल्कोहल ईथर सल्फेट जिसे सरफेक्टेंट्स भी कहा जाता है, में आगे प्रसंस्करण के लिए मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है।
 - iii. फैटी अल्कोहल प्राथमिक रूप से पर्सनल केयर, होम केयर ओर भेषज तथा कृषि संबंधित अंतिम प्रयोगों के लिए सरफेक्टेंट्स के विनिर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें चमड़ा, वस्त्र, फर, पल्प, कागज, पेट्रोलियम उत्पाद, फाइन केमिकल रबड़ उत्पाद, प्लाटिक फैब्रिकेटेड, मेटल उत्पादों की वस्तुओं के प्रसंस्करण के संबंध में भी प्रयोग किया जाता है। अन्य अनुप्रयोगों में खनन, आफसोर प्रचालन, निर्माण कार्य तथा डिग्रीसिंग प्रयोजनों के लिए एक विलायक के रूप में प्रयोग शामिल है। पीयूसी का प्रयोग सिंथेटिक मध्यवर्ती के रूप में या एनटी फ्रिज और इमल्सीफाइन एजेंट के रूप में भी किया जाता है। इसका प्रयोग पेंट, लुबरीकेंट, कॉस्मेटिक, खाद्य विनिर्माणों आदि में भी होता है। विभिन्न ग्रेड के फैटी अल्कोहल का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार विसकोसिटी, विलायकता, फोमिंग विशेषताओं आदि के संबंध में किसी विशेष कार्बन चेन लंबाई के फैटी अल्कोहल का चयन करता है।
 - iv. एसएफए के विभिन्न ग्रेडों (कार्बन चेन लंबाई) का उत्पादन सीपीकेओ के फैक्शनल डिस्टीलेशन के जरिए होता है। सीपीकेओ में अंतरनिहित रूप से विभिन्न कार्बन चेन लंबाई होती है जिसे उत्पादक की आवश्यकता के अनुसार वांछित ग्रेड (कार्बन चेन लंबाई) के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।
 - v. याचिकाकर्ता वैगा रोल के पंजीकृत व्यापार नाम से उच्च गुणवत्ता के प्राकृतिक सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल का उत्पादन करता है। उसके पास वैगा रोल सी10 (डिसाइल अल्कोहल) से वैगा रोल सी22 (वेहनेहाइल अल्कोहल) की लघु श्रृंखला से पूरी फैटी अल्कोहल की रेंज की विनिर्माण की क्षमता है और उपभोक्ता की वरीयताओं और मांग के अनुसार ग्रेड के उत्पादन संबंधी निर्णय लिय जाते हैं।
 - vi भारत में अधिकांश आयात सी1214/सी1216 ग्रेड के होते हैं क्योंकि इस ग्रेड की भारत में सर्वाधिक मांग है। इसके विपरीत वर्तमान में प्योर कट सी12 और सी14 ग्रेडों की मांग काफी सीमित है। प्योर कट सी12 और सी14, सी1214 के मिश्रण के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।
 - vii. याचिकाकर्ता द्वारा चुने गए उत्पादन मार्गों में से एक में, सी1214 ग्रेड का निर्माण स्प्लिट फैटी एसिड का उपयोग करके किया जाता है। स्प्लिट फैटी एसिड (SCPKO) पाम कर्नेल ऑयल को विभाजित करके बनाया जाता है। याचिकाकर्ता वांछित संरचना के डिस्टिल्ड फैटी एसिड (यानी वर्तमान मामले में C1214 फैटी एसिड) का उत्पादन करने के लिए SCPKO का आंशिक आसवन करता है। मोम एस्टर हाइड्रोजनोलिसिस तकनीक का उपयोग करके C1214 फैटी एसिड को तब C1214 फैटी अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एक विकल्प के रूप में, C1214 मिश्रण का उत्पादन पहले शुद्ध C12 और C14 ग्रेड का उत्पादन करके और फिर बाद में मिश्रण की सरल प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिश्रण करके किया जा सकता है।

viii. शुद्ध सी12 और सी14 फैटी अल्कोहल के विनिर्माण और उसके बाद उनके मिश्रण का विकल्प या सीधे सी12 और सी14 ग्रेड के उत्पादन का विकल्प परिवर्तशील है और बाजार मांग तथा मार्जिन के प्रचित्त कारकों के आधार पर उनका निर्णय लिया जाता है। अत: यह अनुरोध किया गया कि सी12 और सी14 उस सीमा तक सी12 और सी14 से बदलने योग्य और प्रतिस्थापनीय हैं। जहां तक यह किसी टैंक में किसी अतिरिक्त लागत के बिना दो प्योर कट्स को सरलता से मिश्रित करने के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों तरह से व्यवहार्य हो। इस प्रकार शुद्ध सी12 और सी14 को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखने से पीयूसी पर शुल्क लगाने का पूरा प्रयोजन विफल हो जाएगा। इस मुद्दे की मूल अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 23.04.2018 में गहराई से जांच की गई थी जिसमें प्योर कट ग्रेड सी12 और सी14 को बाहर रखने के दावे को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया था।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 12. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित समान वस्तु के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:
 - i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथा परिभाषित इस प्रकार था। "केपराइल अल्कोहल (सी8) डिसाइल अल्कोहल (सी10) तथा सी8 और सी10 के मिश्रण को छोड़कर सभी प्रकार के सेचुरेटेड फैटी अल्कोहन" यह नोट किया गया कि मूल अंतिम जांच परिणाम का पैरा 8(ख) यह था कि पीयूसी का दायरा सिंगल, ब्लैंड और अमिश्रित (ब्रांच्ड आईसोमर) को छोड़कर) सिहत सी12, सी14, सी16 और सी18 कार्बन चेन लंबाई सिहत सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल है जिसमें कार्बन चेन लंबाई सी12-सी14, सी12-सी16, सी12-सी18 और सी14-सी16" के संयोग के मिश्रण शामिल हैं।" कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस दावे पर विचार करते हुए कि मूल जांच में पीयूसी के दायरे की परिभाषा के कारण कितपय कार्बन चेन लंबाई (सी12-सी18 से इतर) को शुल्क के दायरे में शामिल किया गया था, पर्याप्त सावधानी रखते हुए प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पीयूसी का दायरा "सी12, सी14, सी16 और सी18 की कार्बन चेन लंबाई वाले सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल हैं जिनमें सिंगल, ब्लैंड और अमिश्रित शामिल हैं (ब्रांच्ड आइसोमर्स शामिल नहीं हैं), तथा जिनमें सी12-सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-सी18 और सी14-सी16 की कार्बन चेन लंबाई के संयोजन शामिल हैं।
 - घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के दायरे में सी10 कार्बन चेन लंबाई के एसएफए को शामिल करने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में यह नोट किया गया है कि चूंकि वर्तमान जांच समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा बढ़ाया नहीं जा सकता है।
 - iii. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनरोध और आयात आंकड़ों के जांच के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कार्बन चेन लंबाई सी12 से सी18 तथा उसके मिश्रण का सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" है। विचाराधीन उत्पाद में शुद्ध सी12, सी14, सी16 और सी18 तथा उनके मिश्रण शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद सीटीएच 2905 17 (प्योर कट्स) और 3823 70 मिश्रण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। टैरिफ वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।
 - iv. शुद्ध सी12 और सी14 को इस आधार पर बाहर रखने के दावे के संबंध में कि इसे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया गया था, यह नोट किया गया है कि इस मुद्दे की संबद्ध वस्तु के संबंध में की गई मूल अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 23.04.2018 में गहराई से जांच की गई थी जिसमें निम्नानुसार माना गया था:
 - " सी12 और सी14 अल्कोहल के शुद्ध रूप को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क में सच्चाई पाते हैं कि उसने सी12सी14 अल्कोहल का उत्पादन और बिक्री की है। वास्तव में सी12सी14 की भारत में सर्वाधिक मांग है जब घरेलू उद्योग ने इन अल्कोहल के मिश्रित रूप को बेचा है तो शुद्ध रूप को बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसे बाहर रखने से शुल्क का मूल प्रयोजन ही विफल हो जाएगा....."
 - v. प्राधिकारी के उक्त जांच परिणाम की माननीय सेस्टेट, नई दिल्ली ने अंतिम आदेश सं. 50010-50013/2023 दिनांक 06.01.2023 के तहत पृष्टि की है जिसमें निम्नानुसार कहा गया था कि:

"34. अत: विचाराधीन उत्पाद में प्योर कट्स में सी12 और सी14 को शामिल करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज जांच परिणाम में कोई त्रुटि नहीं हुई है।

- vi याचिकाकर्ता ने मौके पर सत्यापन के दौरान यह दर्शाया था कि सी1214 को कोई अतिरिक्त लागत किए बिना शुद्ध सी12 और सी14 को मिलाने की सरल प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि यह निर्णय कि क्या सी12-14 मिश्रण को सीधे उत्पादित किया जाए या शुद्ध सी12 और सी14 को मिलाकर बनाया जाए, बाजार मांग और उपभोक्ता की पसंद के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यदि शुल्क को केवल सी12-14 मिश्रण के आयातों पर लगाया जाता है और शुद्ध सी12 और सी14 पर नहीं तो सी1214 मिश्रण के बजाय प्योर कट सी12 और सी14 के आयात और तत्पश्चात न्यूनतम लागत पर सी1214 का उत्पादन करके प्रवंचना करने की संभावना है जिससे शुल्क लगाने का मूल प्रयोजन विफल हो जाएगा। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुद्ध सी12 और सी14 को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि शुद्ध सी12 और सी14 के vii. मिश्रण द्वारा उत्पादित सी1214 में अलग रासायनिक विनिर्देशन होता है और इसलिए यह आयातित सी1214 के समान उत्पाद नहीं है, किसी तथ्य से रहित है। हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि आयातित सी1214 का तकनीकी विनिर्देशन दर्शाता है कि उसमें शुद्ध सी12 70-77 प्रतिशत की रेंज में होता है और शुद्ध सी12 21-30 प्रतिशत के बीच होता है और उसमें अन्य प्योर कटस की मात्रा (अधिकतम 2 प्रतिशत तक) होती है जिसमें सी8 और उससे कम, सी10 या सी16 या उससे अधिक की कार्बन चेन लंबाई संचयी रूप से होती है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चुंकि यह सर्वाधिक रिफाइनरी उत्पाद का मामला है इसलिए किसी प्योर ग्रेड में अंतरनिहित रूप से कतिपय अवशिष्ट घटक होंगे। जांच से पता चला है कि घरेलु उद्योग द्वारा उत्पादित प्योर ग्रेडों जैसे सी1698 या सी1898 में भी अन्य प्योर कट्स की दो प्रतिशत तक मात्रा मौजूद होती है और इसलिए उसे घरेलू उद्योग द्वारा सी1698 अर्थात सी16-98 प्रतिशत शद्धता के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा था। यह नोट किया गया है कि विभिन्न कार्बन चेन लंबाई के एसएफए के इन मात्राओं की मौजुदगी से उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि शुद्ध सी12 और शुद्ध सी14 को मिलाकर उत्पादित सी1214 में भी उक्त शुद्ध ग्रेडों में अन्य कार्बन चेन लंबाई की मात्रा अंतरनिहित रूप से मौजूद होगी।
- viii. इसके अलावा, इस दावे के संबंध में कि याचिकाकर्ता केवल सी1214 अल्कोहल का टोल विनिर्माण करता है जिसमें वह सी1214 फैटी एसिड आयात करता है और इसके बाद केवल सी1214 फैटी एसिड को सी1214 अल्कोहल में परिवर्तित करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह बात वास्तव में सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने मूल कच्ची सामग्री अर्थात पॉम, कर्नेल ऑयल स्रोत से भी सी1214 के विनिर्माण का साक्ष्य दिया है। किसी भी तरह चूंकि याचिकाकर्ता ने सी1214 का काफी मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है इसलिए उसे बाहर रखना अनावश्यक नहीं है।
- ix. अमिश्रित फैटी अल्कोहल को शीर्ष 2905.17 या 2905.19 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जबिक मिश्रित अल्कोहल सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के शीर्ष 3823.70 के अंतर्गत वर्गीकृत है शीर्ष 3823.70 के अंतर्गत इन्हें निम्नलिखित टैरिफ प्रविष्टियों के तहत आयात किया गया है।

3823.70.10

3823.70.20

3823.70.40

3823.70.90

उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक और इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं ने इसे घरेलू उद्योग से भी खरीदा है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबंध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति पर हितबद्ध पक्षकारों ने कोई आपत्ति नहीं की है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 14. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और उसके दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए है:
 - i. भारत में संबद्ध वस्तु के केवल दो उत्पादक अर्थात वीवीएफ (इंडिया) लि० और गोदरेज इंडस्ट्रीज लि० (''गोदरेज'') हैं।
 - ii. याचिकाकर्ता के पास कुल भारतीय उत्पादन का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और इसलिए उसके पास एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में वर्तमान आवेदन करने की अपेक्षित योग्यता है।
 - iii. िकसी भी तरह गोदरेज पिछले कुछ वर्षों से संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात कर रहा है। इस प्रकार नियम 2(ख) के अनुसार उसे घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति के निर्धारण से बाहर रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग के बाहर होने के बाद याचिकाकर्ता भारत में पीयूसी के संपूर्ण पात्र घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करेगा और इसलिए वह घरेलू उद्योग की स्थिति में है।
 - iv. वीवीएफ (इंडिया) लि० ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा''।

16. यह याचिका मै० वीवीएफ (इंडिया) लि० द्वारा दायर की गई है। भारत में संबद्ध वस्तु के दो उत्पादक हैं अर्थात वीवीएफ (इंडिया) लि० और गोदरेज इंडस्ट्रीज लि०। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोदरेज ने जांच अविध के दौरान संबद्ध देशों से काफी मात्रा में संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इसलिए वह घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अपात्र हैं। अत: एक मात्र पात्र भारतीय उत्पादक होने के कारण वीवीएफ (इंडिया) लि० घरेलू उद्योग बनने की स्थिति में है। किसी भी तरह याचिकाकर्ता के पास कुल भारतीय उत्पादन का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। अत: गोदरेज इंडस्ट्रीज लि० द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन को शामिल करने के बाद भी याचिकाकर्ता मै० वीवीएफ (इंडिया) लि० का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए इस जांच के प्रयोजनार्थ वह स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है तथा यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 17. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और वह उत्पादकता, निर्यात कीमत, आर एंड डी खर्च जुटाई गई निधियों, निवेश पर आय, संबद्ध देशों में कथित क्षमता विस्तार और घरेलू उद्योग की लागत का अगोपनीय सारांश देने में विफल रहा है।

- ii. घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- iii. घरेलू उद्योग ने परिकलित सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना नहीं दी है।
- iv. घरेलू उद्योग ने विनिर्माण प्रक्रिया, मात्रा और अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन के मूल्य तथा क्षतिरहित कीमत की गणना के बारे में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो व्यापार सूचना सं. 1/2013 और 10/2018 का उल्लंघन है।
- v. खरीद, बिक्री, लेखांकन, लागत लेखांकन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया तथा खंड VI में दी गई सूचना से संबंधित नीतियों को कोई कारण बताये बिना गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- vi जांच अवधि और क्षति अवधि के लिए सुविधाओं की खपत, उत्पादन लागत, कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री की खपत से संबंधित सूचना सूचीबद्ध रूप में नहीं दी गई है।
- vii. घरेलू उद्योग को संगत व्यापार सूचना के अंतर्गत मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जो प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई एक प्रक्रिया है।
- viii. न तो प्राधिकारी ने और न ही घरेलू उद्योग ने अब तक सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक्सेल रूप में सौदावार आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जो एक्जोटिक डेकर प्रा० लि० और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में दिए गए निर्णय का उल्लंघन है।

ड.2. घरेलू उदद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 18. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उदद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:
 - विदेशी उत्पादकों ने विनिर्माण प्रक्रिया और प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लेखा संबंधी सूचना प्रदान नहीं की है जो व्यापार सूचना सं. 10/2018 का उल्लंघन है।
 - ii. विदेशी उत्पादकों ने उत्पादन सुविधाओं, क्षमता, बिक्री मात्रा और मूल्य के संबंध में पूरी गोपनीयता का दावा किया है।
 - iii. खंड VI में दी गई सूचना व्यापार स्वामित्व की सूचना है और उसे हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

"गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं"।
- 20. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी इन अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल द्वारा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भेज दें क्योंकि वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।
- 21. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और

ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गापेनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश देने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों को यह निदेश देकर उपलब्ध रखा था कि वे ई-मेल के जरिए एक दूसरे को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश सूचित करें।

- 22. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, बिक्री, निवेश पर आय, लागत और खंड VI में दी गई सूचना से संबंधित जानकारी का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना की प्रकृति गोपनीय है और उन्होंने घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।
- 23. डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक देशों से भारत में आयातित मात्रा और मूल्य से संबंधित आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, आवेदक ने प्राधिकारी को सौदावार आयात आंकड़ों की पूरी सूची दी है। प्राधिकारी मानते हैं कि आयात आंकड़ों को साझा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया व्यापार सूचना 07/2018, दिनांक 15 मार्च, 2018 में निर्धारित की गई है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू प्रक्रिया संगत है और सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए तथा जांच के लिए एक समान है और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
- 24. प्रतिवादी विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे से संबंधित घरेलू उद्योग के तर्कों के बारे में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने प्रतिवादी विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 25. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - याचिकाकर्ता ने बताया है कि उसने अपनी स्वयं की उत्पादन लागत के आधार पर सी12-14 ग्रेड के लिए उत्पादन लागत की गणना की है। याचिकाकर्ता ने इस बात का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ऐसे ग्रेडों की उत्पादन लागत संबंध देशों की लागत को कैसे प्रदर्शित करती है।
 - ii. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए समायोजनों को सिद्ध करने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया गया है और इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सार्थक विश्लेषण नहीं हो सकता है।
 - iii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना के लिए निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सुचना पर विचार करें।
 - iv. यह अनुरोध किया गया है कि मूल जांच में शून्य पाटनरोधी शुल्क वाले निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा से बाहर रखा जाए। यह दावा किया गया है कि जीरो प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क निर्णायक समीक्षा के परिणामस्वरूप बदला नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसा शुल्क अपनी प्रकृति के कारण समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने का कारण नहीं हो सकता है। विशेष रूप से जीरो प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क ऐसे पाटन को नहीं रोक सकता है जिससे क्षति हुई हो क्योंकि कोई शुल्क मौजूद नहीं है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 26. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में पाटन जारी रखा है।
 - ii. मूल जांच के परिणामस्वरूप लागू पाटनरोधी शुल्क बिल्कुल अपर्याप्त था जिसकी वजह से शुल्क लागू रहने के दौरान भी पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रही थी।
 - संबद्ध देशों से पाटन वर्तमान जांच में और तेज हो गया है।

iv. निरंतर और भारी पाटन स्वयं सिद्ध करता है कि शुल्क समाप्त होने पर उत्पादक अपनी वस्तुओं का पाटन करेंगे।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 27. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिधारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेत् उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

- 28. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नाविलयां भेजी थीं जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने की सलाह दी गई थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नाविली का उत्तर प्रस्तुत करके इस जांच में सहयोग किया है।
 - i. पीटी विल्मर नबाती इंडोनेशिया
 - ii. नेच्रल ओलिओकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 - ii. विल्मर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड सिंगापुर
 - iv. पीटी मुसिम मास इंडोनेशिया
 - v. इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमिटेड सिंगापुर
 - vi. पीटी. इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स, इंडोनेशिया
 - vii. इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
 - viii. पीटी. एनर्जी सेजाहटेरा मास इंडोनेशिया
 - ix. सिनार्मस सेप्सा पीटीई. लिमिटेड सिंगापुर
 - x. केएल-केपोंग ओलेओमास एसडीएन बीएचडी
 - xi. एमरी ओलिओकेमिकल्स (एम) एसडीएन बीएचडी/ एडेनर ओलिओकेमिकल्स (एम) एसडीएन बीएचडी
 - xii. एमरी ओलिओकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन बीएचडी./ एडेनर ओलिओकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन बीएचडी
 - xiii. एफपीजी ओलिओकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी.
 - xiv. प्रॉक्टर एंड गैंबल इंटरनेशनल ऑपरेशंस एसए सिंगापुर
 - xv. थाई फैटी अल्कोहल कंपनी लिमिटेड
 - xvi. ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कं, लिमिटेड थाईलैंड
 - xvii. यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर
- 29. संबद्ध देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों का सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में कच्ची सामग्री की कीमत सरकारी हस्तक्षेप के कारण अनुचित है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के बारे में की जा रही सामानांतर प्रतिसंतुलनकारी

जांच में इस पहलू को नोट किया है। तदनुसार, कच्ची सामग्री की कीमत में गड़बड़ी के कारण शुल्क के अति व्यापन से बचने के लिए बिक्रीत कच्ची सामग्री कीमत के कारण बाजार की विशेष स्थिति पर पाटन मार्जिन के निर्धारण के समय विचार नहीं किया गया है।

च.3.1. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण इंडोनेशिया

क) पीटी विल्मर नबाती, इंडोनेशिया, नेचुरल ओलिओकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया और विल्मर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (डब्ल्यूआईएलए समूह)

सामान्य मूल्य

30. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सत्यापित सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी विल्मर नबाती संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है उसने अपने संबंधित व्यापारी विल्मर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के जिरए असंबंधित उपभोक्ताओं को जांच अविध के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह उत्पादक घरेलू बाजार में सीधे असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की बिक्री करता है। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है, जहां लाभ कमाने वाले सौदे किसी विशेष पीसीएन के लिए 80 प्रशित से अधिक हैं, घरेलू बिक्रियों को सभी सौदों को सामान्य मूल्य के निर्धारण में ध्यान में लिया गया है और यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम है तो केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जा रहा है। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमित दी गई है। निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

- 31. जांच अवधि के दौरान उत्पादक/निर्यातक ने अपने संबंधित व्यापारी के जिरए भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत के लिए सामायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इन समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार, पीटी विल्मर नबाती के लिए कारखाना द्वार स्तर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
- ख) पीटी मुसिम मास, इंडोनेशिया और इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (पीटीएमएम समूह)

सामान्य मूल्य

32. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सत्यापित सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी मुिसम मास ("पीटीएमएम") संबद्ध वस्तु का उत्पादक है। इसने जांच अविध के दौरान सिंगापुर में स्थित अपने संबंधित व्यापारी इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमिटेड (आईसीओएफ) के जिरए सीधे असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक घरेलू बाजार में सीधे असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की बिक्री करता है। यह देखा गया है कि पीसीएन वार घरेलू बिक्रियों ने भारत में निर्यातों की तुलना में पर्याप्तता परीक्षण पास नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां निर्यातक देश के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई नहीं/अपर्याप्त बिक्री होती है वहां सामान्य मूल्य या तो किसी तीसरे उचित देश को निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यात के समय समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत होता है या उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत होता है जिसमें प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उत्पादन लागत कि आंकड़ों के आधार पर उसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित समझा है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

33. जांच अवधि के दौरान उत्पादक/निर्यातक ने अपने संबंधित व्यापारी के जिरए भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इन समायोजनों को स्वीकार किया है तदनुसार, पीटीएमएम के लिए कारखाना द्वार स्तर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग) पीटी. इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स, इंडोनेशिया और इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (पीटीईओ ग्रुप)

सामान्य मूल्य

34. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सत्यापित सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी. इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स (''पीटीईओ'') संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है उसने अपने संबंधित व्यापारी इकोग्रीन ओलिओकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई के जिरए सीधे असंबंधित उपभोक्ताओं को जांच अविध के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह उत्पादक घरेलू बाजार में सीधे संबंधित और असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की बिक्री करता है। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है, जहां लाभ कमाने वाले सौदे किसी विशेष पीसीएन के लिए 80 प्रतिशत से अधिक हैं, घरेलू बिक्रियों को सभी सौदों को सामान्य मूल्य के निर्धारण में ध्यान में लिया गया है और यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम है तो केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जा रहा है। उत्पादक ने परिवहन/भाड़ा, बीमा, पत्तन प्रभार, अन्य कटौतियों के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमित दी गई है। निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

35. जांच अविध के दौरान उत्पादक/निर्यातक ने अपने संबंधित व्यापारी के जिरए भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इन समायोजनों को स्वीकार किया है तदनुसार, पीटीईओ के लिए कारखाना द्वार स्तर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

घ) पीटी. एनर्जी सेजाहटेरा मास, इंडोनेशिया और सिनार्मस सेप्सा पीटीई. लिमिटेड सिंगापुर (ईएसएम) सामान्य मूल्य

निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सत्यापित सचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी. 36. एनर्जी सेजाहटेरा मास ("ईएसएम") संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। इसने सिंगापुर में अपने संबंधित व्यापारी सिनार्मस सेप्सा पीटीई. लिमिटेड (एससीपीएल) और असंबंधित व्यापारी यूनीलीवर एशिया प्रा० लि० (यूएपीएल) के जरिए असंबंधित उपभोक्ताओं को जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह उत्पादक संबद्ध और असंबद्ध व्यापारियों से घरेलु बाजार में संबंधित और असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की बिक्री करता है। यह देखा गया है कि घरेलू बिक्रियों ने कुछ पीसीएन में भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्तता परीक्षण पास नहीं किया है। ऐसे पीसीएन के लिए प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत संगत पीसीएन के लिए उत्पादन लागत जमा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर वर्तमान मामले में सामान्य मल्य निर्धारित करना उचित समझा है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है। अन्य पीसीएन के लिए प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलु बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है जहां लाभ कमाने वालें सौदे किसी विशेष पीसीएन के लिए 80 प्रतिशत से अधिक हैं, घरेलू बिक्रियों को सभी सौदों को सामान्य मुल्य के निर्धारण में ध्यान में लिया गया है और यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम है तो केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जा रहा है। उत्पादक ने परिवहन/भाड़ा, बीमा, पत्तन प्रभार, अन्य कटौतियों के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनमति दी गई है। निर्धारित सामान्य मल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

37. जांच अवधि के दौरान ईएसएम ने सिंगापुर में अपने संबंधित व्यापारी सिनार्मस सेप्सा पीटीई. लिमिटेड (एससीपीएल) और सिंगापुर में अपने असंबंधित निर्यातक यूनीलीवर एशिया प्रा० लि० (यूएपीएल) के जिरए भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इन समायोजनों को स्वीकार किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत की गणना के लिए पीयूसी बेचने हेतु व्यापारी यूएपीएल द्वारा उठाए गए घाटों को समायोजित किया है। तदनुसार, ईएसएम के लिए कारखाना द्वार स्तर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ड.) इंडोनेशिया से सभी अन्य उत्पादक

38. इंडोनेशिया में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को सहयोगी उत्पादक के आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मलेशिया

क) एफपीजी ओलिओकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी., मलेशिया और प्रॉक्टर एंड गैंबल इंटरनेशनल ऑपरेशंस एसए सिंगापुर (एफपीजी समुह)

सामान्य मूल्य

निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सत्यापित सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि एफपीजी 39. ओलिओकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी (एफपीजी) संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। इसने अपने संबंधित व्यापारी प्रॉक्टर एंड गैंबल इंटरनेशनल ऑपरेशंस एसए सिंगापुर (पीजीआईओ के जरिए असंबंधित उपभोक्ताओं को जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह उत्पादक पीजीआईओ के जरिए घरेलू बाजार में और असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की बिक्री करता है। यह देखा गया है कि घरेलु बिक्रियों ने कुछ पीसीएन में भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्तता परीक्षण पास नहीं किया है। ऐसे पीसीएन के लिए प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत संगत पीसीएन के लिए उत्पादन लागत जमा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर वर्तमान मामले में सामान्य मुल्य निर्धारित करना उचित समझा है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है। अन्य पीसीएन के लिए प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है जहां लाभ कमाने वाले सौदे किसी विशेष पीसीएन के लिए 80 प्रतिशत से अधिक हैं, घरेलू बिक्रियों के सभी सौदों को सामान्य मूल्य के निर्धारण में ध्यान में लिया गया है ओर यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम है तो केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेत् विचार किया जा रहा है। उत्पादक ने परिवहन/भाड़ा, बीमा, पत्तन प्रभार, अन्य कटौतियों के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। निर्धारित सामान्य मुल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

40. जांच की अवधि के दौरान, एफपीजी ने अपने संबंधित व्यापारी पीजीआईओ और एक असंबंधित निर्यातक के माध्यम से भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के उद्देश्य से समुद्री भाड़ा,अन्तर्देशीय ढुलाई, बीमा, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। इन समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने के वास्ते व्यापारी पीजीआईओ द्वारा उठाई गई हानि का समायोजन किया है। तद्नुसार, एफपीजी के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख) केएल-केपोंग ओलियोमास एसडीएन.बीएचडी, मलेशिया (केएलके ग्रुप) सामान्य मूल्य

41. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सत्यापित सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केएल-केपोंग ओलियोमास एसडीएन.बीएचडी, मलेशिया (केएलके) संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक-निर्यातक

है। इसने सीधे तौर पर और असंबंधित ग्राहकों और सिंगापुर में असंबंधित व्यापारियों यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड (युएपीएल) और प्रोक्टर एवं गैम्बल इंटरनेशनल आपरेशन्स एसए सिंगापुर (पीजीआईओ) के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान. सभी घरेलू बिक्रियां सीधे तौर पर केएलके द्वारा असंबंधित ग्राहकों को की गई थी। यह देखा गया है कि घरेलू बिक्री ने कुछ पीसीएन में भारत को निर्यात से तुलना किए जाने पर पर्याप्तता जांच में सफल नहीं हुआ है। ऐसे पीसीएन के लिए, प्राधिकारी ने इस कारण से निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए समरूप पीसीएन के लिए उत्पादन आंकड़े की लागत तथा उचित लाभ मार्जिन के आधार पर वर्तमान मामले में सामान्य मुल्य का निर्धारण करने के लिए उपयक्त माना है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है। अन्य पीसीएन के लिए, प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेल बिक्री कारोबार का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया पुरी की है। जहां किसी खास पीसीएन के लिए लाभ अर्जित करने वाले व्यापार 80 प्रतिशत से अधिक हैं. घरेलु बिक्री में सभी व्यापारों को सामान्य मुल्य के निर्धारण के लिए माना जा रहा है और जिन मामलों में लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां केवल लाभप्रद घरेलु बिक्रियों पर विचार सामान्य मुल्य के निर्धारण के लिए किया जा रहा है। उत्पादक ने अन्तरदेशीय ढुलाई, समुद्री भाड़ा, बीमा, पोर्ट खर्च, अन्य कटौतियों के कारण समायोजन का दावा किया है और उसकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्धारित सामान्य मुल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत

- 42. जांच की अविध के दौरान, केएलके ने सीधे तौर पर और असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के उद्देश्य से समुद्री भाड़ा,अन्तर्देशीय ढुलाई, बीमा, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। इन समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने के वास्ते व्यापारी यूएपीएल द्वारा उठाई गई हानि का समायोजन किया है। तद्नुसार, केएलके के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
 - ग) इडेनोर ओलियोकेमिकल्स (एच) एसडीएन. बीएचडी (पूर्व में, ओलियोकेमिकल्स (एम) एसडीएन बीएचडी) और इडेनोल ओलियोकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन. बीएचडी. (पूर्व में, इमेरी ओलियोकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन.बीएचडी)

सामान्य मूल्य

43. निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सत्यापित सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडेनोर ओलेकेमिकल्स (एम) एसडीएन बीएचडी (ईओएम) संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक-निर्यातक है। इसने जांच की अविध के दौरान सीधे असंबद्ध ग्राहकों को भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। संबंधित और असंबंधित ग्राहकों को सभी घरेलु बिक्री ईओएम द्वारा की गई थी।

निर्यात कीमत

44. जांच की अविध के दौरान, ईओएम ने भारत को सीधे और असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान ईडनॉर ग्रुप द्वारा भारत को निर्यात की गई मात्रा मलेशिया से अन्य सहभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों और विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों की तुलना में बहुत कम है। एडेनॉर ग्रुप द्वारा भारत में किया गया निर्यात मलेशिया से भारत में होने वाले कुल आयात का ***% से भी कम है। दूसरे, ईडनॉर द्वारा भारत को निर्यात किए गए पीसीएन के व्यापार पैटर्न की तुलना अन्य भागीदार निर्यातकों के व्यापार पैटर्न से नहीं की जा सकती है और इसलिए, ईडनॉर ग्रुप का भारित औसत निर्यात मूल्य अन्य निर्यातकों के भारित औसत निर्यात मूल्य के बराबर नहीं है। तीसरे, इस समूह ने मूल जांच में सहयोग नहीं किया था और इसलिए, व्यक्तिगत ड्यूटी आवंटित नहीं की गई थी। यहां तक कि जांच की अविध में भी समूह ने प्रतिनिधि मात्रा का निर्यात नहीं किया है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने ईडनॉर समूह के लिए व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है।

घ) मलेशिया से अन्य सभी उत्पादक

45. मलेशिया के सभी अन्य असयोगी उत्पादकों के लिए, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादक के आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसे नीचे पाटन-मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाइलैंड

क) थाई फैटी एल्कोहल कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड (टीएफए) और ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कंपनी, लिमिटेड थाइलैंड टीएफए

सामान्य मूल्य

निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सत्यापित सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 46. थाई फैटी एल्कोहल कंपनी लिमिटेड (टीएफए) संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक-निर्यातक है। इसने सीधे तौर पर असंबंधित ग्राहकों को और एक ट्रेडिंग कंपनी नामत: केमिकल्स मेट एसडीएन के माध्यम से मामूली मात्रा में जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख रूप से निर्यात किया है। उत्पादक सीधे तौर पर घरेलु बाजार में संबंधित और असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करता है। ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कंपनी (जीसीसी) टीएफए की होल्डिंग कंपनी है। यह नोट किया जाता है कि जीसीसी टीएफए को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता भी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीएफए और जीजीसी ने दिनांक 29 सितंबर, 2022 को एक व्यापार अंतरण करार किया है जिसके द्वारा टीएफए की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को 1 अक्तूबर, 2022 से जीजीसी को अंतरित किया गया था। प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री कारोबार का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया पूरी की है। जहां किसी खास पीसीएन के लिए लाभ अर्जित करने वाले व्यापार 80 प्रतिशत से अधिक हैं, घरेलू बिक्री में सभी व्यापारों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जा रहा है और जिन मामलों में लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार सामान्य मुल्य के निर्धारण के लिए किया जा रहा है। उत्पादक ने ढ़लाई/भाड़ा, बीमा, पोर्ट शुल्क, अन्य कटौतियों के कारण समायोजन का दावा किया है और उसकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत

47. जांच की अवधि के दौरान, टीएफए ने सीधे तौर पर और असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के उद्देश्य से समुद्री भाड़ा,अन्तर्देशीय ढुलाई, बीमा, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। इन समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। तद्नुसार, ईओएम के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है जिसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख) थाइलैंड से अन्य सभी उत्पादक

48. थाइलैंड के सभी अन्य असयोगी उत्पादकों के लिए, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादक के आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसे नीचे पाटन-मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

49. इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

देश		सामान्य मूल्य	एनईपी	पाटन र	मार्जि न	रेंज
	भारित औसत	यूएसडॉ./ एमटी	यूएसडॉ./ एमटी	यूएसडॉ./ एमटी	%	%
	पीटीईओ	***	***	***	***	नगण्य
	पीटीएमएम	***	***	***	***	नगण्य
इंडोनेशिया	डब्ल्यूआईएनए	***	***	***	***	10-20%
	ईएसएम	***	***	***	***	नगण्य
	अन्य	***	***	***	***	10-20%
	एफपीजी	***	***	***	***	10-20%
मलेशिया	केएलके	***	***	***	***	0-10%
	अन्य	***	***	***	***	10-20%
थाइलैंड	टीएफए और जीजीसी	***	***	***	***	0-10%
थाइलड	अन्य	***	***	***	***	5-15%

^{*}एमरी/इडेनोर जांच की अवधि के दौरान मामूली मात्रा में निर्यात किया।

छ. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संबंध

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: मात्रात्मक प्रभाव
- 51. याचिकाकर्ता ने बाजार हिस्से और उत्पाद में सापेक्ष वृद्धि के संबंध में सूचना छुपाने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने बिना किसी संख्यात्मक सूचना के बाजार हिस्से का ग्राफ/चार्ट उपलब्ध कराया है। इस कारण से, निर्यातक उसके संबंध में कोई सार्थक टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। याचिकाकर्ता के आंकड़े की प्रस्तुति स्पष्ट रूप से हितबद्ध पक्षकारों से महत्वपूर्ण सूचना छुपाने के उद्देश्य को झूठा ठहराता है।
- 52. घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से पर कोई कथित प्रभाव याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात के प्रति अपनी बिक्री पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण है। यद्यपि घरेलू और निर्यात बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध में वृद्धि हुई, याचिकाकर्ता ने निर्यात बिक्री पर ध्यान केन्द्रित किया।
- 53. जांच की अवधि में याचिकाकर्ता ने तीसरे अमाइन का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र चालू किया है, जिसका उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के माध्यम से किया जाता है। इस कारण से, याचिकाकर्ता के अपने कैप्टिव खपत (विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के साथ-साथ), के कारण याचिकाकर्ता की यह स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है कि यह बाजार हिस्से को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

कीमत प्रभाव

- 54. संबद्ध देशों से आयातों के कारण कीमत पर कोई ह्रास अथवा उसका न्यूनीकरण नहीं है। याचिकाकर्ता उत्पादन की लागत में परिवर्तन के अनुपात में अपनी लागतों को बदलने में सक्षम रहे हैं।
- 55. कीमत में कटौती और याचिकाकर्ता के कार्य-निष्पादन के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। आर्थिक मापदंड
- 56. क्षमता, उत्पादन, बिक्री की मात्रा, मजदूरी, कर्मचारियों की संख्या और लगाई गई पूंजी, लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल आदि सहित सभी आर्थिक मानदंडों ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध में सकारात्मक प्रवृत्ति अथवा न्यूनतम गिरावट दर्शाई है। वास्तविक क्षति की बात छोड़ ही दें, याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है।

57. याचिकाकर्ता मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी उत्पादन क्षमता और उत्पादन का स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को क्षति अपने कारण से हुई है।

कारणात्मक संबंध

- 58. याचिकाकर्ता को कथित क्षति, यदि कोई हो, उच्च ब्याज और वित्त लागतों के कारण हुई है।
- 59. याचिकाकर्ता ने अपने वित्तीय विवरणी में यह माना है कि इस पर कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय रूप से प्रभाव पड़ा है।
- 60. याचिकाकर्ता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल के समक्ष दिवालियापन की कार्यवाहियों के अधीन है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के प्रचालनों में कुप्रबंधन है जिसके कारण यह ऋणदाताओं को भुगतान करने में सक्षम नहीं रहा है।
- 61. लेखा परीक्षकों का याचिकाकर्ता के पिछले वित्तीय विवरणियों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां दर्शाती हैं कि इस बात का संदेह है कि याचिकाकर्ता भारी वित्तीय हानि और ऋण के उच्च स्तर के कारण अपने प्रचालनों को जारी रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्राधिकारी को इस तथ्य का संज्ञान लेना ही चाहिए कि कंपनी की याचिका के आधार पर शुल्क लगाना जो मौजूद नहीं हो सकता है, पाटनरोधी जांच के संपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है।
- 62. याचिकाकर्ता को क्षिति कच्छ में अपने संयंत्र में किए गए निवेश के कारण भी हुआ है, जिसके फलस्वरूप 2200 रु./एमटी की अतिरिक्त लागत आई है। तदनंतर, उक्त निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया राजकोषीय लाभ वापस ले लिया गया था। 2020 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम मैसर्स वी.वी.एफ. लिमिटेड [(2020) 20 एससीसी 57] में अपने निर्णय में राजकोषीय लाभों, जिसका वीवीएफ हकदार था, को संशोधित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय को सही ठहराया। इसने याचिकाकर्ता के विरुद्ध 304 मिलियन रु. की संभावित देयता मृजित की है।
- 63. याचिकाकर्ता को क्षति कच्चे माल (सीपीओ/सीपीकेओ) के आयातों पर लगाए गए इन्वर्टेड शुल्क संरचना अर्थात 37.5 प्रतिशत की उच्च आयात शुल्क के कारण हुई है। याचिकाकर्ता की पहुंच फीडस्टॉक तक नहीं हैं और यह आयातों पर निर्भर है। अत:, इसके उत्पादन की अव्यवहार्यता मुख्य रूप से कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण हुई है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 64. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - ं। क्षिति की अविध के दौरान संबद्ध देशों से बहुत अधिक आयात हुए हैं, जिसमें आधार वर्ष की तुलना में 54
 प्रितशत तक वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता का उत्पादन आधार वर्ष की तुलना में उसी स्तर पर रहा है।
 - ii. उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 154 सूचकांक तक पहुंच गया है।
 - iii. भारत को कुल आयातों और भारतीय मांग में संबद्ध देशों के हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान सतत और तीव्र वृद्धि हुई है। आयातों में न केवल पूर्ण रूप में बल्कि उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है।
 - iv. संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षित की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मांग में 22 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। हालांकि, संपूर्ण वृद्धिक मांग को संबद्ध देशों से आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जो आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 30 से अधिक सूचकांकों तक बढ़ गया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने उसी अवधि के दौरान अपने बाजार हिस्से का प्राय: 25 प्रतिशत खोया है।
 - v. संबद्ध आयातों ने न केवल वृद्धि मांग पर कब्जा किया है बल्कि भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से को भी समाप्त कर दिया है।
 - vi घरेलू उद्योग की हानि लगातार संबद्ध देशों से आयातों में सतत वृद्धि के कारण ऊंचे स्तरों पर बना हुआ है।
 - vii. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास हो रहा है और वे कम हो रहे हैं।

- viii. आयातों के फलस्वरूप कम कीमत पर बहुत अधिक बिक्री हुई है जिसे क्षति रहित कीमत और आयातों की पहंच कीमत के बीच अंतर से देखा जा सकता है।
- ix. भारतीय उत्पादकों के पास समग्र घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता है, फिर भी, घरेलू मांग का लगभग 75 प्रतिशत संबद्ध देशों से आयातों के द्वारा उनकी कम कीमतों के कारण पूरा किया जा रहा है।
- x. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिफल याचिकाकर्ता के अपनी कीमत कम करने और अपनी बिक्री में वृद्धि करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद घाटे में रहा है।
- xi. घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों की कीमतों से मुकाबला करने के लिए बाध्य है जिसने अपने मात्रा संबंधी मापदंडों को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को अनुमित दी है लेकिन इसके कारण इसकी लाभप्रदता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।
- xii. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।
- xiii. यह अनुरोध कि घरेलू उद्योग को क्षति वित्तीय कुप्रबंधन और उच्च ब्याज लागत के कारण हुई है, निराधार है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरंभ की गई आईबीसी कार्यवाही समाप्त कर दी गई है जो एक 'चल रही कंपनी" बने रहने की याचिकाकर्ता की क्षमता के संबंध में किए जा रहे दोषारोपण को गलत ठहराता है।
- xiv. कच्छ में शुल्क छूट को वापस लिए जाने के संबंध में मामला वर्तमान में विचाराधीन है क्योंकि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक राहत प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा है।
- xv. दावा की गई क्षति के लिए निर्यात बिक्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और यह केवल घरेलू बाजार में कार्य-निष्पादन से संबंधित है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

65. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा इसमें नीचे दिया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का निवारण करता है।

संचयी आकलन

- 66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षित का संचयी आकलन की मूल जांच में पहले ही की जा चुकी थी जिसमें संचयी आकलन के लिए नियमावली में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया गया था। इस कारण से, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षित का संचयी रूप से जांच करने की कार्यवाही की। पहले से ही लागू पाटनरोधी उपायों के साथ एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण वर्तमान जांच में यह आवश्यक नहीं है कि संचयी आकलन के लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूरा किया जाए। प्राधिकारी की निरंतर प्रथा और इस तथ्य के अनुरूप कि संचयी जांच मूल मामले में की गई थी, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में भी संचयी आकलन किया है।
- 67. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षित के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सिहत सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षित दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्वास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

68. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया है और उसका विश्लेषण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए किया गया है।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और उसका घरेलू उद्योग पर असर

i. मांग का आकलन

69. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और अन्य सभी देशों के आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आकलित मांग (सी 10 को छोड़कर) नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	125	98	92
2	अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	120	119	134
3	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	69,309	73,952	97,570	1,04,227
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	10,603	12,671	3,859	395
5	कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	113	120	122
6	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	111	102	99

ii. आयात की मात्रा और संबद्ध देश से आयात का हिस्सा

70. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
क	इंडोनेशिया	एमटी	17,655	26,735	46,394	54,633
ख	मलेशिया	एमटी	40,212	35,136	42,964	40,268
ग	थाइलैंड	एमटी	11,443	12,081	8,213	9,326
1	संबद्ध देश	एमटी	69,309	73,952	97,570	1,04,227
2	अन्य देश	एमटी	10,603	12,671	3,859	395
3	कुल	एमटी	79,912	86,623	1,01,429	1,04,621

71. ये देखा गया है कि:

- क. आधार वर्ष से जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की पूर्ण मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि अर्थात 150 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों में 2018-19 में ***% से जांच की अवधि में ***% (63% तक) घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है।
- ग. जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों में भारत को कुल आयातों का लगभग 100% हुआ।

घ. कुल मांग में से याचिकाकर्ता के पास 80% से अधिक उत्पादन करने और उसकी आपूर्ति करने की क्षमता है। हालांकि, संबद्ध देशों द्वारा भारी मात्रा में आयात की मात्रा के कारण, वे केवल अपनी उत्पादन क्षमता का 50% से कम उपयोग कर सकते हैं।

संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका असर

72. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है या क्या ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों में बहुत अधिक हद तक ह्रास होने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती।

i. कीमत में कटौती

73. कीमत में कटौती आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से करते हुए तय की गई है। कीमत में कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए प्रत्येक पीसीएन के लिए पृथक रूप से और उसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र रूप से किया गया है। भारित औसत कटौती की गणना नीचे दिए गए अनुसार है:

जांच की अवधि	मात्रा	एलवी	एनएसआर	कीमत कटौती
		रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	(रु./किग्रा.)
इंडोनेशिया	54,633	129	***	***
मलेशिया	40,268	129	***	(***)
थाइलैंड	9,326	137	***	(***)
संबद्ध देश	1,04,227	129	***	(***)

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कटौती कुछ ग्रेडों के लिए सकारात्मक है। भारित औसत आधार पर, कीमत में शून्य/नगण्य कटौती हुई है।

iii. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन

- 75. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतें तय की है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की मात्रा तय करने के लिए आयात की गई वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की है। कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन का निर्धारण प्रत्येक पीसीएन के लिए पृथक रूप से और उसके बाद विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र रूप से किया गया है।
- 76. नीचे दी गई तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री/क्षिति मार्जिन सकारात्मक है जो यह दर्शाता है कि आयात क्षतिकारक कीमतों पर बाजार में हुए हैं। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन नीचे दिए गए अनुसार किया जाता है:

देश	उत्पादक	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	भारित औसत	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%	रेंज
	पीटीईओ	***	***	***	***	10-20%
	पीटीएमएम	***	***	***	***	15-25%
इंडोनेशिया	डब्ल्यूआई	***	***	***	***	20-30%
	एनए					
	ईएसएम	***	***	***	***	0-10%

	अन्य	***	***	***	***	25-35%
	एफपीजी	***	***	***	***	0-10%
मलेशिया	केएलके	***	***	***	***	20-30%
	अन्य	***	***	***	***	20-30%
	टीएफए और	***	***	***	***	10-20%
थाइलैंड	जीजीसी					
	अन्य	***	***	***	***	10-20%

^{*}इमर्जी/इडेनोर ने जांच की अवधि के दौरान बहुत मामूली मात्रा में निर्यात किया है और इस कारण से पृथक क्षति मार्जिन की गणना इसके लिए नहीं की जाती है।

iv. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

77. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों में गिरावट आने वाली है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अविध के दौरान घरेलू उद्योग की आयातों की पहुंच कीमत और लागतों एवं कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु. /किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	93	115
3	बिक्री कीमत	रु. /किग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	95	115
5	पहुंच कीमत	रु. /किग्रा.	105	88	101	129
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	96	121

78. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में कच्चे माल की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हुई है। पहुंच मूल्य क्षति की पूरी अविध के दौरान उत्पादन की लागत से बहुत अधिक कम रही है। कम पहुंच कीमत में याचिकाकर्ता को क्षति की पूरी अविध के दौरान बिक्री की लागत से अधिक घरेलू बिक्री कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमित नहीं दी है जिसके फलस्वरूप, इसे निरंतर हानि हुई है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

79. इस नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षित के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों, जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों को प्रभावित करने वाले कारकों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार, प्राधिकारी ने क्षति की अविध के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच यहां नीचे की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

80. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री और निर्यात के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	100	100	100
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	111	102	99
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	110	102	98
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	126	98	92
5	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	102	110	111

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता का उपयोग क्षित की अविध के दौरान एक ही स्तर पर रहा है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उच्च प्रित इकाई पूंजी और निर्धारित लागत के कारण क्षित की पूरी अविध के दौरान हानि उठानी पड़ रही है जो मुख्य रूप से क्षमता के कम उपयोग के कारण हुई है। यद्यपि, याचिकाकर्ता के पास भारतीय मांग का 80% से अधिक पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, याचिकाकर्ता संबद्ध देशों से आने वाले सस्ते आयातों की वृहत मात्रा से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है और उसके कारण इसकी क्षमता का 50% से कम का उपयोग हो रहा है।

ii. बाजार हिस्सा

82. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा नीचे दिए गए अनुसार है:

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
	रेंज	%	20-30	20-30	10-20	10-20
2	अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	रेंज	%	0-10	0-10	0-10	10-20
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	रेंज	%	50-60	50-60	60-70	70-80
4	अन्य देश	%	***	***	***	***
	रेंज	%	0-10	0-10	0-10	0-10
5	कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

- 83. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में बहुत अधिक वृद्धि हुई है अर्थात यह देश की मांग का 59 प्रतिशत से 72 प्रतिशत हो गया है जबिक याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में क्षित अविध के दौरान ***% से ***% (6% तक) गिरावट आई है। इसके फलस्वरूप क्षमता के उपयोग में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई निर्धारित लागत उच्चतर हो गई है और हानि उठानी पड़ी है।
 - iii. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

<u> </u>	3 07			\ \ \ \ \ \	ϵ_{2} 0 ϵ_{3}
84. लाभ अथवा हाान	. नकद लाभ आर ानवः	श पर प्रातफल व	क सदभ म घ	गरल उद्याग क	ो स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	₹/किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	94	116
3	बिक्री कीमत	₹/किग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	96	115
5	लाभ/(हानि)	₹/किग्रा.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(138)	(83)	(118)
7	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(173)	(81)	(108)
9	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(203)	(37)	(97)
11	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(178)	(80)	(109)
13	आरओसीई	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	रेंज	(10-20)	(20-30)	(0-10)	(20-30)

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान हानि उठानी पड़ी और जांच की अवधि के दौरान हानि में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।
- ख. घरेलू उद्योग का नकद लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल जैसे लाभप्रदता के लगभग सभी मानदंडों की भी वही प्रवृत्ति रही है। घरेलू उद्योग की नकारात्मक लाभप्रदता में मुख्य रूप से कम बाजार हिस्से और संबद्ध पाटित आयातों के कारण बिक्री लागत से कम कीमत पर बिक्री के कारण हुई है।

iv. मालसुची

86. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	औसत भंडार	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	120	116

87. यह नोट किया जाता है कि औसत मालसूची में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

88. क्षति की अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	121	124

3	रोजगार	संख्या	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	99
5	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	102	99
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	प्रति सं.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	105	101

89. यह देखा जाता है कि मजदूरी, कर्मचारी और उत्पादकता उसी स्तर पर रही है।

vi. वृद्धि

[भाग I—खण्ड 1]

90. घरेलू उद्योग की मात्रा की प्रवृत्ति और लाभ मापदंड नीचे दिए गए अनुसार दर्शाए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	उत्पादन	%	-	11%	-8%	-3%
2	घरेलू बिक्री	%	-	25%	-22%	-6%
3	प्रति इकाई हानि	%	-	42%	-43%	46%

91. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की हानि में पूर्व वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में बहुत हद तक वृद्धि हुई है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

92. घरेलू उद्योग अपने मौजूदा खर्च का भुगतान करने सक्षम नहीं है और इस कारण से इसके पास आगे पूंजी निवेश के लिए क्षमता नहीं है। पाटित आयातों के कारण क्षित की पूरी अविध के दौरान लगातार हानि हुई है, घरेलू उद्योग अपने मौजूदा खर्च का भुगतान करने सक्षम नहीं है और इस कारण से इसके पास आगे पूंजी निवेश के लिए क्षमता नहीं है।

कारणात्मक संबंध

93. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार इस तथ्य की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

94. अन्य देशों से आयात नगण्य हुए हैं।

ख.मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके अलावा, खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

96. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

97. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

98. यह नोट किया है कि क्षति का विश्लेषण याचिकाकर्ता के घरेलू कार्य-निष्पादन पर आधारित है।

च.घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

99. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कथित अन्य कारक

- 100. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति, यदि कोई हो, इंडोनेशिया अथवा कच्छ में विभाजन सुविधा स्थापित करने में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों जैसे अन्य कारकों के कारण हुई है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति अपने उच्च ब्याज लागत के कारण है। इसके उत्तर में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया में इसके निवेश ने इसके कच्चे माल की लागत को कम करने में इसे बहुत अधिक सहायता की है। जहां तक कच्छ में किए गए निवेश का प्रश्न है, यह अनुरोध किया गया है कि कच्छ संयंत्र 2011 से बंद कर दिया गया है और इस कारण से इसका व्यावहारिक रूप से वर्तमान लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 101. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति इन्वर्टेड शुल्क संरचना अर्थात सीपीकेओ (कच्चा माल) पर उच्च आयात टैरिफ के कारण हुई है, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि यह विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए सीपीकेओ का आयात नहीं करता है, अत: वीवीएफ द्वारा सामना की जा रही क्षति इन्वर्टेड शुल्क संरचना के कारण नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि यह कच्चा माल अर्थात स्पिलिट सीपीकेओ, फैटी एसिड डिस्टिलेट्स आदि जिन पर 7.5% आयात शुल्क लागू है, का आयात करता है।
- 102. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में संबद्ध देशों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए समानांतर जांच की जा रही है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- 103. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. यह एक अस्थाई स्थिति है कि यह सिद्ध करने के लिए निर्णायक समीक्षा में वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए याचिकाकर्ता पर जिम्मेदारी है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटनरोधी जारी रहेगी अथवा फिर से होगी। इस याचिका में उपर्युक्त संभावना के मानदंडों के संबंध में बिल्कुल ही कोई विश्लेषण नहीं है कि प्राधिकारी को वर्तमान जांच शुरु होने के आधार के रूप में इस प्रकार की अप्रमाणिक याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए था।
 - जबिक याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख िकया है कि संभावना के विश्लेषण में जांच की अविध और जांच की अविध के बाद की अविध पर दोनों पर विचार होना चाहिए, इसने जांच की अविध के बाद की अविध से संबंधित कोई आकड़ा उपलबध नहीं कराया है।
 - iii. यह भी दावा किया गया है कि जिन निर्यातकों पर मूल जांच के दौरान कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, को वर्तमान समीक्षा जांच से अलग नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि किसी शुल्क के वहां नहीं होने की स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे निर्यातक पर शुल्क के समाप्त किए जाने के फलस्वरूप शुल्क फिर से लगेगा अथवा जारी रहेगा।
 - v. निर्यातकों के पास कोई अतिरिक्त अथवा निष्क्रिय क्षमताएं नहीं हैं। उनका क्षमता उपयोग एक ओलियोकेमिकल उत्पाद के लिए मानक उपयोग दर से काफी अधिक है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- 104. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - यह तथ्य कि लगाया गया शुल्क काफी हद तक पर्याप्त नहीं था, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटित आयातों में तीव्र वृद्धि से स्पष्ट है। ये आयात क्षति के विश्लेषण की पूरी अविध के दौरान पाटित कीमतों पर होना जारी रहे हैं।
 - ii. यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है और शुल्क की मात्रा में वृद्धि नहीं की जाती है तब पाटन और अधिक तीव्र गति से होगा जिसके कारण भारतीय घरेलू उद्योग के बर्बाद होने की संभावना है।
 - iii. चूंकि विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख रूप से उपयोग एफएमसीजी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है अत: इसकी मांग सीधे तौर पर देश की आबादी के अनुपात में है। कम आबादी के कारण भारत के

विपरीत, संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की लगभग मामूली मांग है। अत:, ये मुख्य रूप से अर्थक्षम रहने के लिए निर्यात बाजारों पर निर्भर हैं। याचिकाकर्ता यह समझते हैं कि संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद का लगभग 90% उत्पादन निर्यातों के लिए उपलब्ध है।

- iv. चूंकि भारत एक बढ़ता हुआ बाजार है जो अनन्य रूप से संयंत्र आधारित फैटी एल्कोहल पर अपने एफएमसीजी उत्पाद की आवश्यकताओं के लिए निर्भर है (अन्य देशों की तरह नहीं जहां एनिमल फैट ''टैलो'' का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है), संबद्ध देशों में निर्मित विचाराधीन उत्पाद के लिए प्राथमिक लक्ष्य वाले बाजारों में से एक है।
- v. याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि पाटित आयातों के द्वारा हुई क्षति पृथक है और यह संबद्ध देशों द्वारा मंजूर दिए जा रहे अस्वीकार्य सब्सिडी जिसके संबंध में प्राधिकारी एक समानांतर जांच कर रहे हैं, के अति व्याप्त नहीं करता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 105. चूंकि वर्तमान जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है, अतः इस तथ्य की जांच करना आवश्यक है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षित और पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि मूल जांच में लगाया गया शुल्क पूर्ण रूप से अपर्याप्त था जिसके फलस्वरूप उन्हें लगातार पाटन और क्षित हुई है। इस कारण से, उन्होंने न केवल शुल्कों को जारी रखने बिल्क मौलिक रूप से लगाए गए शुल्कों की मात्रा में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है। दूसरी ओर, अधिकांश निर्यातकों ने यह दावा किया है कि चूंकि उनके आयातों के विरुद्ध मौलक रूप से लगाया गया शुल्क 'शून्य' था, अतः उक्त शुल्क के समाप्त होने देने की स्थिति में क्षिति की कोई संभावना नहीं हो सकती है।
- 106. प्राधिकारी ने क्षति को जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना तथा शुल्कों में वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध की जांच पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों के संबंध में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों और नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यकता पर विचार करते हुए किया है।
- 107. प्राधिकारी की कार्य-पद्धित के अनुसार, तीसरे देश से निर्यातों की जांच संबद्ध देशों में उत्पादकों की कीमत निर्धारण व्यवहार का पता लगाने के लिए किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस तथ्य की भी जांच की है कि क्या अन्य देशों को निर्यात घरेलू उद्योग को क्षतिकारक कीमतों पर और शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भारत को आयातों में संभावित वृद्धि की जांच करने के लिए भारतीय कीमतों से कम कीमतों पर होता है। यह भी जांच की गई है कि क्या संबद्ध निर्यातक निर्यातोन्मुख हैं और यह कि इन क्षमताओं का प्राथमिक रूप से उपयोग निर्यात बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

(क) निष्क्रिय क्षमताएं

108. भाग लेने वाले निर्यातकों की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है:

इंडोनेशिया	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग	अतिरिक्त क्षमता		ोय मांग की इक्षमता का %
	एमटी	एमटी	%	एमटी	%	रेंज
पीटीईओ	***	***	***	***	***	40-50%
पीटीएमएम	***	***	***	***	***	70-80%
विलमार	***	***	***	***	***	-
एनर्जी	***	***	***	***	***	-
मलेशिया						
केएलके	***	***	***	***	***	-
एफपीजी	***	***	***	***	***	0-10%

इडेनोर	***	***	***	***	***	30-40%
थाइलैंड						
थाई फैटी	***	***	***	***	***	10-20%
कुल	1452340	1219844	84%	246298	***	165-175%

109. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश निर्यातकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं जो संचयी रूप से अपने आप में कुल भारतीय मांग से अधिक है। इसके अलावा, इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता इस तथ्य के बावजूद मौजूद है कि भारत को संबद्ध देशों से निर्यात में जांच की अविध के दौरान वृद्धि हुई है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त अतिरिक्त क्षमता भारत को निर्यात में वृद्धि के बावजूद मौजूद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त कारक यह दर्शाता है कि यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तब क्षित के जारी रहने की संभावना है।

(ख) निर्यात उन्मुखीकरण

110. संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के सत्यापन पर यह नोट किया जाता है कि अधिकांश उत्पादकों ने अपनी स्थानीय मांग से बहुत अधिक सीमा तक क्षमताएं स्थापित की हैं और वे प्राथमिक रूप से निर्यात बाजारों की मांग को पूरा कर रहे हैं।

			घरेलू बिक्री उत्पादन का		निर्यातोन्मुखीव	_{करण भारतीय मांग}
	कुल निर्यात	घरेलू बिक्री		%	के %	के रूप में
इंडोनेशिया	एमटी	एमटी	%	रेंज	%	रेंज
पीटीईओ	***	***	***	10-20%	***	140-150%
पीटीएमएम	***	***	***	0-10%	***	145-155%
विलमार	***	***	***	0-10%	***	90-100%
एनर्जी	***	***	***	0-10%	***	100-110%
मलेशिया						
केएलके	***	***	***	0-10%	***	150-160%
एफपीजी	***	***	***	20-30%	***	40-50%
इडेनोर	***	***	***	60-70%	***	0-10%
थाइलैंड						
थाई फैटी	***	***	***	40-50%	***	30-40%
कुल	10,56,160	1,38,120	11%	10-20%	***	730-740%

111. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादक स्थानीय मांग के लिए अपनी क्षमताओं का केवल छोटे हिस्से का उपयोग कर रहे हैं और एक बहुत बड़े हिस्से का उपयोग निर्यात बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) तीसरे देश से पाटन और क्षतिरहित कीमत से कम पर

112. प्राधिकारी ने मात्रा और कीमतों की भी जांच की है, जिन पर बिक्री संबद्ध देशों से तीसरे देशों में उन उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है। यह नोट किया जाता है कि अधिकांश निर्यातकों की कीमतें या तो भारत को उनके निर्यात कीमत से तुलनीय हैं अथवा उनसे कम हैं और वे घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से काफी हद तक कम हैं।

	भारत को निर्यात	तीसरे देश को निर्यात		तुलना में तीसरे देश ोमत पर बिक्री
इंडोनेशिया			%	रेंज
पीटीईओ	***	***	***	20-30%
पीटीएमएम	***	***	***	20-30%
विलमार	***	***	***	35-45%
एनर्जी	***	***	***	10-20%
मलेशिया				
केएलके	***	***	***	10-20%
एफपीजी	***	***	***	20-30%
इडेनोर	***	***	***	20-30%
थाइलैंड				
थाई फैटी	***	***	***	20-30%

- 113. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि उत्पादकों का तीसरे देश से निर्यात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी हद तक कम हैं। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना के लिए एक संसूचन के रूप में ऊपर में चर्चा की गई अन्य कारकों के साथ इस पर विचार किया है।
- 114. शुल्कों में वृद्धि किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का जहां तक प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि यह प्रश्न कि प्राधिकारी के पास संगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार की शक्ति है, कि जांच माननीय सेस्टेट द्वारा संघाई फार्चुन केम कंपनी लिमिटेड बनाम डीजीएडी, 2016 (342) ई.एल.टी. 578(ट्राई-डेल) के मामले में किया गया था जिसमें निम्नलिखित को सही माना गया था:
 - "10. अपीलकर्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि निर्णायक समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, शुल्क की दर को नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के प्रावधानों का अवलोकन किया है जो मध्याविध समीक्षा और निर्णायक समीक्षा से संबंधित है। यह कर निर्धारित का तर्क है कि केवल शुल्क की दर को मध्याविध समीक्षा में और न कि निर्णायक समीक्षा के दौरान बढ़ाया जा सकता है। इस नियमावली के उक्त नियम 23 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उप नियम (1क), जिसमें पाटनरोधी शुल्क में परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है, केवल मध्याविध समीक्षा पर लागू होता है और उप नियम (1ख) जो निर्णायक समीक्षा से संबंधित है, में शुल्क की दर में किसी परिवर्तन का प्रावधान नहीं है और यह केवल अविध के विस्तार से संबंधित है।
 - 11. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचतें हैं कि एक सदृश्य मामले पर विचार किया गया है और न्यायाधिकरण द्वारा इंडियन ग्रफाइट मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2006(199) ई.एल.टी.722 (ट्राई.-डेल] के मामले में निर्णय लिया जा चुका है। यह माना गया था कि एक साथ पढ़े जाने पर धारा 9क(1), 9क(5) और 9कक का संचयी पठन निर्दिष्ट प्राधिकारी को निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को आरंभ में लगाए जाने के समय लगाए गए शुल्क की राशि से अलग पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। समीक्षा का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी मौलिक निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की तुलना में उच्चतर अथवा कमतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। अत: निर्यातक/अपीलकर्ता का उक्त तर्क मान्य नहीं है।"
- 115. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के बावजूद बहुत अधिक क्षति होनी पड़ रही है। यह देखा जाता है कि शुल्कों के लगाए जाने के दौरान भी पाटन जारी रहा है और भारत में निर्यात क्षतिरहित कीमत से बहुत कम कीमत पर किया जा रहा है। इन तथ्यों के मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के इस दावे में दम है कि मूल जांच के अन्तर्गत लगाए गए शुल्क पर्याप्त

नहीं थे। जांच की अवधि के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन और पाटन की तुलना में आरंभिक रूप से लगाए गए शुल्कों का तालिका के रूप में प्रस्तुति नीचे दिए गए अनुसार किया है:

यूएसडी/एमटी में

	लगाया गया पाटनरोधी शुल्क	पाटन मार्जिन	क्षति मार्जिन
इंडोनेशिया			
पीटीईओ	शून्य	***	***
पीटीएमएम	7.10	***	***
विलमार	52.23	***	***
एनर्जी	51.64	***	***
अन्य	92.23	***	***
मलेशिया			
केएलके	शून्य	***	***
एफपीजी	17.64	***	***
अन्य	37.64	***	***
थाइलैंड			
थाई फैटी	शून्य	***	***
अन्य	22.50	***	***

116. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि आरंभ में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क वास्तव में बहुत अधिक अपर्याप्त थे।

झ. जन हित

- 117. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, का लगाया जाना जन हित में नहीं होगा क्योंकि:
 - इसके कच्चे माल की निर्भरता, उच्च ब्याज लागत और अन्य अक्षमताओं के कारण, याचिकाकर्ता,
 विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप, साब्रुन, डिटर्जेंट आदि, जैसे उत्पादों जिनका आम जनता द्वारा व्यापक तौर पर नियमित रूप से उपयोग किया जाता है, कि लागतों में वृद्धि होगी।
 - iii. विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क की लेवी के फलस्वरूप इथोजाइलेट्स, एसएलईएस, और एसएलएस, जैसे विचाराधीन उत्पाद के डाउनस्ट्रीम उत्पादों जो वर्तमान में आसियन फ्री ट्रेड करार के अन्तर्गत 0% मूल सीमा शुल्क के अध्यधीन हैं, के आयातों में वृद्धि होगी। शुल्क के लगाए जाने के फलस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए इन्वर्टेड शुल्क संरचना होगी जिसके द्वारा डाउनस्ट्रीम वस्तुओं के आयातों में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप क्रमश: डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए व्यापार और रोजगार की हानि होगी।
 - iv. संबद्ध देशों में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस बात की बहुत संभावना है कि निर्यातक एसएफए पर शुल्क लगाए जाने की स्थिति में डाउनस्ट्रीम उत्पादों (एसएलएस/एसएलईएस अथवा इथोजाइलेस) का निर्यात करना शुरु कर रहे हैं।
 - v. याचिकाकर्ता की क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और शुल्क लगाए जाने, यदि कोई हो, के फलस्वरूप भारतीय बाजार में मांग और आपूर्ति में अंतर हो जाएगा।
- 118. इसके उत्तर में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि शुल्क लगाया जाना डाउनस्ट्रीम उद्योगों और व्यापक रूप से आम जनता के हित में होगा। यह अनुरोध किया गया है कि केवल याचिकाकर्ता की संस्थापित क्षमता भारतीय मांग का लगभग 80% पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यदि याचिकाकर्ता इसे समाप्त करने के लिए बाध्य

- हैं तब डाउनस्ट्रीम उद्योग अपने कच्चे माल की आवश्यकता के लिए आयातों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएंगे। अत: शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति में किसी अंतर के होने की संभावना नहीं है।
- 119. किसी भी मामले में आमतौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य, पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- 120. याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि उपभोक्ता उत्पादों की लागत पर शुल्क का नगण्य प्रभाव होगा। यह अनुरोध किया गया है कि 35% शुल्क की लेवी के फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं (शैंपू) की लागत पर लगभग 0.3% की वृद्धि होगी। हालांकि, यदि शुल्कों का संरक्षण घरेलू उद्योग को तत्काल नहीं दिया जाता है तब यह उबरने में सक्षम नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप समस्त डाउनस्ट्रीम उद्योग में कच्चे माल (एसएफए) की आवश्यकता के लिए आयातों पर निर्भर हो जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि स्थानीय मांग से काफी हद तक अधिक संबद्ध देशों में डाउनस्ट्रीम उत्पादों (एसएलएस/एसएलईएस) की क्षमता में वृद्धि स्पष्ट रूप से संसुचित करती है कि याचिकाकर्ता जो भारतीय घरेल उद्योग है. के समाप्त किए जाने के साथ ही, संबद्ध देशों के निर्यातक मुल्यवर्धित डाउनस्टीम उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करेंगे, जिसके कारण समस्त भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग खतरे में पड़ जाएगा।

प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां ञ.

121. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग से प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और यह नोट किया जाता है कि इनमें उठाए गए अधिकांश मामलों में पुनरावृत्ति की गई है तथा इन्हें पहले भी उठाया जा चुका है और उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल भी किया जा चुका है। अतिरिक्त अनुरोधों का इस प्रकार से विश्लेषण किया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध অ.1.

- 122. प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए गए प्रकटीकरण विवरण पर निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :
- प्राधिकारी ने गलती से यह कहा है कि आयातों के पहुंच मूल्य में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के अनुसार i. वृद्धि नहीं हुई है। प्राधिकारी को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि संबद्ध आयातों से कोई कीमत कटौती नहीं है। इसके अलावा, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता आयातों के पहुंच मुल्य के बावजूद अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सफल रहा है, जो यह दर्शाता है कि कोई भी कीमत ह्रास/कीमत मंदी नहीं है।
- प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता को हानि हुई है, याचिका में प्रदान किए गए आंकड़ों के प्रतिकूल है। ii. तथापि, प्रकटीकरण विवरण में यह रिकार्ड किया गया है कि याचिकाकर्ता को हानि हो रही है।
- ईएसएम द्वारा दावा किए गए पहुंच मूल्य (और विधिवत सत्यापित) और गोपनीय पहुंच मूल्य (प्रकटीकरण iii. विवरण का भाग) में प्रदान किए गए पहुचं मूल्य में कुछ अंतर है।
- याचिकाकर्ता को कथित क्षति, यदि कोई हो, निम्नलिखित कारणों से है न कि संबद्ध आयातों से है: iv.
 - याचिकाकर्ता दंड ब्याज दरों के अध्यधीन हैं।
 - कच्ची सामग्री की अधिक परिवहन लागत।
 - अधिक प्रशासनिक, कारपोरेट लागतें और अक्षम बिक्री नेटवर्क।
 - याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि उस पर कोविड-19 महामारी का वित्तीय प्रभाव पड़ा है।
 - स्प्लिट फेटी एसिड के लिए अधिक खरीद लागतें : निर्यात करों से अधिक खरीद लागतें आई हैं, जिससे और भी अक्षमताएं हुई हैं।
 - वीवीएफ द्वारा प्रयुक्त की जा रही प्रौद्योगिकी पुरानी है। वीवीएफ लर्गी फर्स्ट जनरेशन निर्माण प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, जबकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक जैसे एडेनर ग्रुप उन्नत प्रक्रिया का
 - अंत में यह उल्लेख करना संगत है कि पाटन मार्जिन या तो "नकारात्मक" है या सहयोगी उत्पादों के लिए कम है। दूसरी ओर, अधिकतर अवसरों पर उन्हीं उत्पादकों के पास अधिक क्षति मार्जिन है। इसका तात्पर्य

यह है कि याचिकाकर्ता की क्षति रहित कीमत काफी अधिक है और क्षति इसकी प्रचालनात्मक अक्षमताओं तथा कमजोर निवेश इतिहास के कारण से है।

- v. यद्यपि याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि संभावना के विश्लेषण को जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि, दोनों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उसने जांच की अवधि के बाद डेटा प्रदान नहीं किया है।
- vi. जांच की अविध सिहत क्षित अविध में इंडोनेशिया से कुल आयातों की तुलना में मात्रा के संदर्भ में ईएसएम से कोई महत्वपूर्ण आयात नहीं है। इसके अलावा, ईएसएम से आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए कुल मांग में बहुत ही नगण्य है। भारत के लिए ईएसएम की कीमत ऐसी कीमतों से अधिक है, जिस पर विचाराधीन उत्पाद अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है।
- vii. कथित निर्यात अभिमुखी होना यह पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत के संदर्भ में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है।
- viii. प्राधिकारी यह मानने में विफल रहे हैं कि कीमत संबंधी नीतियां विभिन्न कारकों जैसे मोल- भाव, लाजिस्टिक्स आदि के आधार पर क्षेत्राधिकार से भिन्न हो सकती है। अत: प्राधिकारी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कीमतें सामान्यत: एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार तक बिना किसी व्यवस्था के स्थानांतरित की जा सकती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी अन्य देश की कीमतें वर्तमान में भारत से कमतर हैं तो ये कीमतें भारत में लागू होंगी।
- ix. यदि पाटन मार्जिन नकारात्मक है, तो कंपनी को वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क की शून्य व्यक्तिगत दर प्रदान की जाएगी।
- प्रेंडनर ग्रुप के दोनों उत्पादकों के नामों का शुल्क तालिका में उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रश्नावली पिरिशिष्टों में उल्लेख किया गाय है, रीका द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं ईओएम को बेची जाती हैं और एक मिश्रित टेंक में रखी जाती हैं, जो ईओएम द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं भी स्टोर करता है। तदोपरांत, ईओएम द्वारा संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बाजार में बिक्री की जाती है और भारत सहित सभी देशों को निर्यात की जाती है।
- xi. संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि आवश्यक थी, क्योंकि क्षति अविध के दौरान भारत में मिड कट एल्कोहल (सी 12-14 और सी 12-16) के लिए मांग में वृद्धि थी और घरेलू उद्योग उक्त मिड कट एल्कोहल के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था। डेटा यह दर्शाते हैं कि तकरीबन 80-90% संबद्ध आयात इन दो ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद के हैं।
- xii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के समानांतर, एलटीएआर में सीपीकेओ के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना करते समय "उचित तुलना" के लिए मासिक बैंचमार्क कीमतों के साथ सीपीकेओ की मासिक कीमतों की तुलना की है। अत: 'उचित तुलना' के सिद्धांत में आगे प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि कच्ची सामग्रियों (सीपीकेओ और इसके ओलियो डेरिवेटिव) तथा विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में जांच की अविध के दौरान काफी उतार-चढ़ाव रहने के कारण, क्षित मार्जिन की गणना करते समय माह-दरमाह आधार पर कीमतों की तुलना करने की समान प्रणाली अपनाएं।
- xiii. वीवीएफ ने केवल अन्य उत्पादक गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ सी 1618 एल्कोहल और बेहेनाइल एल्कोहल (22 कार्बन एटम चेन) के निर्माण पर ध्यान दिया है, जो कि उच्चतर कार्बन चेन उत्पाद हैं। ये उच्चतर कार्बन चेन फेटी एल्कोहल मुख्यत: सरसों के बीजों, कच्चे पॉम ऑयल, पॉम फेटी एसिड डिस्टिलेट (पीएफएडी) तथा स्टीरीन से उत्पादित किए जाते हैं, जो कि भारत में प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं। वीवीएफ अपने उच्चतर कार्बन चेन उत्पादों का प्रतिस्पर्धी कीमत पर वैश्विक रूप से निर्यात करने में सक्षम है और विचाराधीन उत्पाद के उच्चतर कट पर निरंतर ध्यान दे रहा है। अत: वह विचाराधीन उत्पाद के मिड कट ग्रेडों की अतिरिक्त मांग पूरी करने में समर्थ नहीं था, जो कि बाद में आयातों से पूरी की गई थी।
- xiv. प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि संबद्ध आयातों की मात्रा और वीवीएफ के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग निष्पादन के बीच परस्पर संबंध का अभाव है।
- xv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण, संबद्ध देशों से पाटन में काफी कमी आई है और कीमत कटौती में पर्याप्त कमी आई है।
- xvi. पाटनरोधी शुल्क लगाना सामान्य भारतीय आर्थिक हित के विरुद्ध होगा, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लाभप्रदता और व्यवहार्यता पर काफी प्रभाव पड़ेगा। अब तक पाटनरोधी शुल्कों से फेटी

इथोजाइलेटर और अन्तत: भारतीय ग्राहकों पर केवल अतिरिक्त भार पडेगा।

- एल्कोहल के भारतीय उपयोक्ताओं (जो मुख्यत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमी) में हैं) जैसे
- xvii. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की नियत दर लगाएं, जैसी कि सभी पाटनरोधी जांचों में प्रथा है न कि मूल्यवर्धी दर पर। मूल्यवर्धी रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाना प्रयोक्ता उद्योग के हितों के लिए विचाराधीन उत्पाद की अस्थिरता के कारण विरोधी होगा।
- xviii. केएलके ओलियो के एनवी के साथ एनईपी की एक उचित मासिक तुलना यह दर्शाएगी कि केएलके ओलियो का पाटन मार्जिन केवल ***% है। प्रकटीकरण विवरण में मार्जिन बढ़ाया गया और कृत्रिम है।
- xix. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया, ताइवान, थाइलैंड और मलेशिया से पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच (दिनांक 04 जनवरी, 2002 अंतिम जांच परिणाम), संयुक्त राज्य अमेरिका और थाइलैंड से फिनोल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (दिनांक 30 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणाम), चीन जन. गण. से विस्कोस स्टेपल फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (दिनांक 31 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणाम) में मासिक/तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। यूरोपीय आयोग ने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और थाइलैंड के मूल के पॉलिस्टर के सिंथेटिक स्टेपल फाइवर के आयातों पर पाटनरोधी जांच (काउंसिल रेगुलेशन (ईसी) सं. 1522/2000, 10 जुलाई, 2000; पैरा 66 और 70 में इस प्रक्रिया का अनुसरण किया है।
- vx. एफपीजी द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को सिंगापुर में स्थित इसके संगत ट्रेडर पीजीआईओ के माध्यम से भारत को निर्यात किया जाता है। पीजीआईओ ने अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें कि इसने विचाराधीन उत्पाद की ट्रेडिंग के संबंध में इसके कारोबार के संदर्भ में लाभ प्रकट किया है (पिरिशिष्ट 5 में)। प्रतिवादी यह समझते हैं कि प्राधिकारी ने इसके विचाराधीन उत्पाद के ट्रेडिंग कारोबार के संबंध में पीजीआईओ के लिए हानि की गणना की है। यह इस कारण से है कि प्राधिकारी ने पिरिशिष्ट 5 में पीजीआईओ निर्यातक के वास्तविक आंकड़े स्वीकार नहीं किए हैं। इसके बजाय, प्राधिकारी ने बिक्री मूल्य अनुपात के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए पूरी पीजीआईओ कंपनी से उपित्वय लागत (स्टाफ, प्रशासन, एसजीए व्यय आदि) आबंटित की है, जिसके कारण हानि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने एनईपी की गणना का निर्धारण करने के लिए पीजीआईओ की हानि का समायोजन किया है।
- xxi. प्राधिकरण ने ओलियोकेमिकल उद्योग में विशिष्ट क्षमता उपयोग पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पूरी क्षति जांच अविध के दौरान उत्तरदाताओं से निरंतर निर्यात के लिए कोई कारण भी दर्ज नहीं किया है, भले ही उनके पास अधिशेष क्षमता है और साथ ही यह तथ्य भी है कि उनके पास बहुत कम 7.10 यूएसडी/एमटी है जो लगभग (सीआईएफ मूल्य का 0.42%) है।
- xxii. जब उत्तरदाताओं ने क्षमता की गणना और विश्लेषण, विनिर्माण लागत से संबंधित मुद्दों के संबंध में मुद्दा उठाया, तो घरेलू उद्योग ने आसानी से पैरा 11 (vii) में कहा कि वे "पाम कर्नेल ऑयल" से संबद्ध वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि जब इनवर्टेड ड्यूटी का मामला आया तो घरेलू उद्योग ने कहा कि वे पाम कर्नेल तेल का आयात नहीं कर रहे हैं।
- xxiii. एनआईपी को इनपुट सामग्री का आयात करते समय, भुगतान किए गए गैर-वापसी योग्य सीमा शुल्क तक समायोजित किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में, प्राधिकारी का ध्यान संकलन (कंपेंडियम) के पृष्ठ 244 पर 'क्षिति रिहत कीमत (एनआईपी) का निर्धारण'' के पैरा 9.4 की ओर आकर्षित किया जाता है। प्राधिकारी को बुनियादी सीमा शुल्क, कच्ची सामग्री की लागत से लागत का निर्धारण करते समय और व्यय में एनआईपी की गणना से बुनियादी सीमा पर उप कर के प्रभाव को कम करना चाहिए।
- xxiv. प्राधिकारी की यह सतत प्रक्रिया रही है कि एक समीक्षा जांच में एक नए सहयोगी निर्यातक के लिए व्यक्तिगत पाटन और क्षिति मार्जिन पर आधारित व्यक्तिगत शुल्क प्रदान नहीं किया जाए। टीडीआई समीक्षा जांच [फा. सं. 12612021- डीजीटीआर, दिनांक 24 जून, 2022] में, जिसमें कि नए उत्पादकों/निर्यातकों ने समीक्षा जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है और व्यक्तिगत पाटन और क्षिति मार्जिन प्रदान किया है, लेकिन उनके वास्तविक मार्जिन के आधार पर व्यक्तिगत शुल्क प्रदान नहीं किया है।
- xxv. प्रयोक्ता को याचिकाकर्ता की प्रचालन संबंधी अक्षमताओं के कारण, अन्य उत्पादकों की तुलना में *** अधिक परिवर्तन लागत का भगतान करने के लिए बाध्य किया गया है। इसमें शुल्कों को जारी रखने के साथ ही

सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा और इससे विशेषकर वर्तमान मंदी के वातावरण से बचा जाना चाहिए।

- xxvi. प्राधिकारी ने जीजीसी को टीएफए से कारोबार स्थानांतरण को ध्यान में रखा है लेकिन पाटनरोधी मार्जिन/क्षिति मार्जिन तालिकाओं में जीजीसी के नाम को शामिल नहीं किया है। टीएफए के समग्र कारोबार को जीजीसी को हस्तांतरित किया गया है। उपरोक्त हस्तांतरण के फलस्वरूप, जीजीसी टीएफए द्वारा किए गए करारों के तहत सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा और हर तरह से उनकी निबंधन एवं शर्तों से बाध्य रहेगा जैसे कि वे टीएफए की बजाय इनके मूल पक्षकार थे। इसमें भारत और अन्य बाजारों को विचाराधीन उत्पाद की सभी बिक्रियां शामिल हैं। कारोबार के हस्तांतरण से वर्तमान जांच में प्राधिकारी की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीजीसी ने जांच में पूरी तरह से भाग लिया है और सभी संगत सूचना प्रदान की हैं, कि क्या उक्त जांच में शुल्क लगाए जाने चाहिए। अत: प्राधिकारी से वर्तमान शुल्क तालिका, यदि कोई है, में जीजीसी को भी शामिल करने का अनुरोध किया जाता है।
- xxvii. उपयोगकर्ता उद्योगों में से एक, मैसर्स टाइड इंडस्ट्रीज ने दावा किया है कि यह विशेष रूप से अपनी उत्पादन प्रक्रिया में सी12 का उपयोग करता है और इसलिए, इसके आयात द्वारा सी1214 पर लगाए गए शुल्क में कोई कमी नहीं हो सकती है। इसने यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया है कि इसके द्वारा आयातित सी12 प्योर ग्रेड का उपयोग कैप्टिव रूप से किया जाएगा और सी12 को सी12-14 या सी10-12 मिश्रणों में परिवर्तित करने के लिए नहीं।

ञ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 123. प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए गए प्रकटीकरण विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :
- i. बिना किसी प्रतिफल के काफी कम प्रतिफल पर एनआईपी की गणना करना पूरी तरह से अपर्याप्त है।
- प्राधिकारी ने एनआईपी की गणना से याचिकाकर्ता की ब्याज लागत के एक पर्याप्त भाग को अनुमत न करने के लिए आधार को प्रकट नहीं किया है।
- iii. चूंकि याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं का केवल एक योग्य घरेलू उत्पादक है, अत: उसके द्वारा किए जा रहे ब्याज व्यय को एनआईपी की गणना करने के लिए ''सामान्य'' ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए।
- iv. अधिकांश निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन इंडोनेशिया और मलेशिया में विकृत कच्ची सामग्री की कीमतों के कारण नकारात्मक है। मूल जांच में, प्राधिकारी को उक्त देशों में मौजूद विशेष बाजार स्थिति पर विचार करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। प्रकटीकरण विवरण में यह नोट किया गया है कि वर्तमान समीक्षा जांच में विशेष बाजार स्थिति की जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि विकृत कच्ची सामग्री कीमतों के प्रभाव को समानांतर पाटनरोधी जांच में देखा जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह अनुरोध है कि यदि किसी कारण से, उक्त पाटनरोधी जांच समाप्त हो जाती है या कच्ची सामग्री पर सब्सिडी की प्रवंचना नहीं होती है, तो पाटन मार्जिन की गणना के लिए सामान्य मूल्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री कीमतों पर विचार करने के बाद पुन:निर्धारण किया जाए।
- v. एडेनर ओलियो कैमिकल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी. (पूर्व में इमेरी ओलियो कैमिलक्स (एम) एसडीएन. बीएचडी.) और एडेनर ओलियो कैमिकल्स रीका (एम) एसडीएन. बीएचडी. ने जांच की अवधि के दौरान भारत के शून्य/नगण्य निर्यात किए हैं। याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध बाजार सूचना के अनुसार, एडेनर ग्रुप ने जांच की अवधि से पूर्व या उसके बाद भी प्रतिनिधिक बिक्रियां नहीं की हैं। चूंकि उक्त कंपनियों द्वारा की गई बिक्रियां प्रतिनिधिक नहीं हैं, अत: व्यक्तिगत शुल्क दर का निर्धारण उक्त कंपनियों के लिए करने की जरूरत नहीं है।
- vi. प्रतिवादी निर्यातक मुख्य रुप से निर्यात उन्मुखी हैं और उनके पास पर्याप्त रुप से अधिक क्षमताएं हैं। प्रतिवादी निर्यातकों के पास फालतू क्षमताएं भारतीय मांग के ***% से अधिक है। जिन कीमतों पर निर्यातक अन्य देशों को बिक्री कर रहे हैं वे भी याचिकाकर्ता के एनआईपी से काफी कम हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा गया, तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होगी।
- vii. यहां तक कि वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन कुछ निर्यातकों के लिए नकारात्मक है, तथापि, इस पर विचार करते हुए कि यदि शुल्क समाप्त होने दिए जाते हैं तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है, अत: याचिकाकर्ता माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि इन निर्यातकों के लिए भी शुल्कों को, शुरू में लगाए गए अनुसार जारी रखा जाए।

- viii. मूल रूप से लगाए गए शुल्क काफी अपर्याप्त हैं, जो कि निरंतर पाटन और क्षति से स्पष्ट हैं। याचिकाकर्ता का यह अनुरोध है कि मूल शुल्कों के, घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।
- ix. िकसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम उपयोक्ता पर शुल्कों के प्रभाव की याचिकाकर्ता गणना से इंकार नहीं किया है, जो कि नगण्य है। इसके अलावा, यह तथ्य कि डाउनस्ट्रीम निर्माता, यदि उनके ग्राहकों पर शुल्क लगाया जाता है, तो उसके प्रभाव को उनके ग्राहकों पर हस्तांतरित कर पाएंगे, इसका भी खंडन नहीं किया गया है। तथापि, जब तक पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, याचिकाकर्ता बने रहने के लिए सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, शुल्क के जारी रहने और शुल्क में वृद्धि होने का प्रभाव व्यापक लोक हित में होगा।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 124. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध अधिकांश पुनरावृत्ति की प्रकृति के हैं और उन्हें जांच परिणाम में संगत स्थान पर पहले ही शामिल कर लिया गया है। प्राधिकारी ने संगत अनुरोधों की जांच की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उन्हें शामिल नहीं किया गया, जो नीचे दिए गए हैं।
- 125. याचिकाकर्ता की लाभप्रदता और क्षमता उपयोग के संबंध में तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि क्षिति विश्लेषण, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण के तहत प्रकट किया गया है, विधिवत सत्यापित सूचना/रिकार्ड पर दर्ज अनुलग्नकों के आधार पर है।
- 126. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आयातों की पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है। यह असंगत है और सकारात्मक कीमत कटौती के अभाव में जांच का एक सकारात्मक परिणाम नहीं निकाला जा सकता। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों का औसत पहुंच मूल्य 129 रु. प्रति कि. ग्रा. था, जिसमें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत *** रु. प्रति कि. ग्रा. थी। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से आयात उत्पादन की घरेलू लागत की तुलना में काफी कम कीमत पर थे। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपना बाजार अंश यथासंभव बनाए रखने के लिए, उसने यहां तक कि हानि पर बिक्री की लागत पर भी आयात कीमत की भी तुलना की थी। यह नोट किया जाता है कि जांच की अविध में घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत *** रु. प्रति कि. ग्रा. (ग्रेड सी 1214 के लिए *** रु. प्रति कि. ग्रा.) थी, जबिक औसत पहुंच मूल्य 129 रु. प्रति कि. ग्रा. था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयातों का घरेलू बाजार में कीमत की बैंचमार्किंग का प्रभाव है और घरेलू उद्योग को अपनी लागत से भी कम कीमत पर बिक्री करने के लिए कटौती करने पर मजबूर किया गया है।
- 127. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का संबंध हैं कि घरेलू उद्यग को क्षति अन्य कारकों के कारण से है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

i. याचिकाकर्ता पर दंड ब्याज लगाया गया:

जहां तक घरेलू उद्योग की उच्च वित्त लागत का संबंध है, इसकी जांच डंपिंग रोधी नियमावली के अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार की गई है और घरेलू उद्योग की गैर-हानिकारक कीमत का निर्धारण करते समय डीजीटीआर के निरंतर अभ्यास के अनुसार यथोचित रूप से ध्यान में रखा गया है।

ii. कच्ची सामग्री की अधिक शिपिंग लागत:

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री की शिपिंग लागत उसी रेंज में होगी, जैसी कि आयातित अंतिम उत्पादों की शिपिंग लागत है और इसीलिए घरेलू उद्योग के पक्ष में क्षति निर्धारण से अलग नहीं किया जा सकता।

iii. याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि उस पर कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय रूप से प्रभाव पड़ा है:

निदेशालय की सतत प्रक्रिया के अनुसार, उत्पादन की ईष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया गया है। अत: घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत पर कोई भी असमान्य प्रभाव, यदि कोई है, उस पर विचार नहीं किया गया है।

iv. कच्ची सामग्री पर निर्यात कर लगाने के कारण प्रभाव:

निर्यात करों को लगाने के कारण बाजार विकृति को, प्राधिकारी द्वारा की जा रही समानांतर सीवीडी जांच में विचार में लिया जा रहा है। घरेलू उद्योग की वास्तविक कच्ची सामग्री कीमत, जैसी की अनुकूल ली गई है। एनआईपी के निर्धारण के लिए विचार में ली गई है।

v. याचिकाकर्ता की प्रौद्योगिकी पुरानी है:

यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता लर्गी थर्ड जनरेशन वेक्स इस्टर टेक्नोलोजी का उपयोग कर रहा है, न कि फर्स्ट जनरेशन का, जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, जांच से यह पता चला है कि अंतरण लागत और घरेलू उद्योग के अंतरण मानक प्रतिवादी निर्यातकों के साथ तुलनीय है।

- 128. ईडनॉर समूह द्वारा की गई गैर-प्रतिनिधि बिक्री के विवाद के संबंध में, उपरोक्त पैरा 44 में इसकी जांच पहले ही की जा चुकी है।
- 129. रिटर्न के बिना एनआईपी की गणना और घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए अपर्याप्त ब्याज की अनुमित के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एनआईपी को एंटी डंपिंग नियमों के अनुबंध-III के प्रावधानों और डीजीटीआर के निरंतर अभ्यास के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जहां तक नियोजित पूंजी पर ब्याज और रिटर्न की अनुमित है, उक्त नियमों में प्रदान किए गए तर्कसंगतता के सिद्धांतों का पालन किया जाता है।
- 130. एक संबंधित व्यापारी के मामले में एक इच्छुक पार्टी द्वारा कथित नुकसान के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि संबंधित व्यापारी के लाभ/हानि को निर्यात करने वाले देश के आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है। ऐसे हितबद्ध पक्ष द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और सूचना। वास्तविक व्यय / लागत की अनुमित दी जाती है जहां उन्हें सत्यापन योग्य भौतिक साक्ष्य के साथ प्रमाणित किया जाता है और अन्यथा, उन्हें स्वीकृत वैज्ञानिक पद्धित के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए आवंटित किया जाता है। इस प्रकार परिकलित हानियों को एनईपी के निर्धारण के लिए समायोजित किया जाता है।
- 131. जहां तक ईएसएम की गणना किए गए लैंडेड मूल्य पर प्रस्तुत करने का संबंध है, अंतिम निष्कर्षों को ईएसएम द्वारा दाखिल किए गए सबमिशन पर विचार करने पर लैंडेड मूल्य की संशोधित गणना के आधार पर संशोधित किया गया है।
- 132. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा महीने-वार क्षित और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले निर्यातकों के कच्चे माल और उपयोगिताओं की कीमतों में कोई अनियमित उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है, जो कि पाटन मार्जिन की माह-वार गणना किए जाने का आश्वासन देता है। इस दावे के संबंध में कि एनआईपी की गणना महीने-वार की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पीयूसी के उत्पादन के लिए आयातित और घरेलू रूप से खरीदे गए दोनों तरह के कच्चे माल का उपयोग करता है। यह नोट किया जाता है कि कच्चे माल की लागत और प्रसंस्करण समय अलग-अलग कच्चे माल के लिए अलग-अलग होते हैं। इस प्रकार, उत्पादन लागत की माहवार गणना सटीक नहीं होगी। इसके अलावा, महीने-वार आधार पर मार्जिन की गणना को उचित ठहराने के लिए इच्छुक पार्टियों द्वारा व्यापार पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं बताया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकारी के पास उचित मामले में क्षित और पाटन मार्जिन की माहवार जांच करने का विवेकाधिकार है, हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्य ऐसी जांच की मांग नहीं करते हैं।
- 133. याचिकाकर्ता द्वारा डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को मिड-कट एल्कोहल प्रदान करने में अक्षमता के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि याचिकार्ता के पास जांच की अविध के दौरान महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता थी, जो कि इसके कारण से नहीं थी, बल्कि सब्सिडी और पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति के कारण से थी।
- 134. नाम को ठीक करने के अनुरोधों को इस जांच परिणाम में शामिल किया गया है।
- 135. वास्तविक उपयोगकर्ता छूट प्रदान करने के लिए टाइड इंडस्ट्रीज के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि C12 और C14 शुद्ध ग्रेड के बहिष्करण के दावे को न केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह C1214 आयात को बाधित कर सकता है, बल्कि इस आधार पर भी उक्त ग्रेड "समान" उत्पाद हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास सी12 प्योर ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता है, जिसे किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने खारिज नहीं किया है। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान सी12 (शुद्ध) ग्रेड की आपूर्ति करने से मना कर दिया था। यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग के पास सी12 ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता है, एक वास्तविक उपयोगकर्ता छूट शुल्क के मूल उद्देश्य को विफल कर देगी, विशेष रूप से यह देखते हुए कि ग्रेड "समान" वस्तु हैं। इसके मद्देनजर, विषयगत जांच के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयोगकर्ता आधारित बहिष्करण का अनुरोध संभव नहीं है

लोकहित

- 136. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक लोकहित में होगा। यह निर्धारण रिकार्ड पर दर्ज सूचना और घरेलू उद्योग, आयातकों व उत्पाद के ग्राहकों सहित हितधारकों में हितों पर विचार के आधार पर है।
- 137. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की कुल उत्पादन क्षमता *** मी. टन है और गोदरेज इंडस्ट्रीज की क्षमता करीब *** मी. टन. है, जबिक मांग करीब *** मी. टन की है। स्पष्ट है कि भारतीय उत्पादन क्षमता है। भारतीय समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अत: वहां वर्तमान मामले के तथ्य में मांग आपूर्ति का अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
- 138. प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि विचाराधीन उत्पाद एक औद्योगिक कच्ची सामग्री है, जो मुख्य रूप से एसएलएस, एसएलईएस या इथोजाइलेट आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है, जिनका इस्तेमाल साबुन, शैम्पू, डिटरजेंट आदि जैसे एफएमसीजी उत्पादों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। एक औद्योगिक कच्ची सामग्री होने के कारण, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद पर लगाया शुल्क अंतिम ग्राहक को स्थानांतरित होगा। अत: अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क का प्रभाव देखने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने अंतिम उत्पाद पर शुल्क के प्रभाग की एक मात्रात्मक कार्यप्रणाली प्रदान की है, जिसका हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विरोध नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि अंतिम उत्पाद की कीमत पर औसत शल्कों का प्रभाव नगण्य होगा।
- 139. संबद्ध वस्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं ने यह दावा किया है कि शुल्क लगाने से एसएलएस, एसएलईएस और इथोजाइलेट जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए उलट शुल्क संरचना होगी, क्योंकि इससे एशियन एफटीए के अंतरित शून्य आयात शुल्क लगेगा। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक फार्वर्ड इंटिग्रेटेड हैं और वे अपनी डाउनस्ट्रीम उत्पादन क्षमता को स्थानीय मांग से काफी अधिक बढ़ा रहे हैं। इस तथ्यों में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग का सफाया होता है तो डाउनस्ट्रीम उद्योग पूरी तरह से अपनी कच्ची सामग्री की मांग को लिए आयातों पर निर्भर हो जाएंगे। चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातक अपनी डाउनस्ट्रम उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, अत: यह स्पष्ट है कि एसएफएस के निर्यात घरेलू आपूर्तिकर्ता की अनुपस्थित में होंगे, जिसे एसएलएस, एसएलईएस और इथोजाइलेट जैसे मूल्य वर्धित डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्यातों द्वारा बदला जाएगा। कच्ची सामग्री की मांग के लिए आयातों पर निर्भरता के कारण, भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग घरेलू उद्योग की स्थिति में होंगे, जहां उन्हें संबद्ध देशों से सस्ते डाउनस्ट्रीम उत्पादों का मुकाबला करना पड़ सकता है।
- 140. यह निर्विवादित तथ्य, जो जांच से उत्पन्न हुआ है कि घरेलू उद्योग तब तक बना नहीं रह पाएगा, जब तक कि उसे पर्याप्त संरक्षण न मिले। यह नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग को स्थानीय कच्ची सामग्री के किसी स्रोत के अभाव में क्षति होती है, तो डाउनस्ट्रीम निर्माता निर्यातकों की ही दया पर निर्भर करेंगे, जो तब एकाधिकार की स्थिति में होंगे और आसानी से एसएफए की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए, कि संबद्ध देश सिक्रय रूप से गैर अनुमत सिक्सिडियों के प्रावधान के जिरए मूल्य विधित उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग अपनी कच्ची सामग्री की जरूरत के लिए आयातों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे।
- 141. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीपीकेओ (कच्ची सामग्री) से एसएफए के लिए मूल्य वर्धन करीब 70-75% है, जबिक एसएफए से इथोजाइलेट/एसएलईएस के करीब 10-11% है। अत: शुल्क लगाने से भारत में मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा और इस प्रकार यह व्यापक लोक हित में होगा।
- 142. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन सामान्यत: पाटन की अनुचित व्यापार प्रिक्रिया द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षित को दूर करने के लिए है, तािक भारतीय व्यापार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देश से किसी भी तरह से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसीिलए यह ग्राहकों के लिए उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।
- 143. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रस्तावित उपायों का प्रभाव कितपय प्रयोक्तों पर हो सकता है, अत: घरेलू उद्योग के क्रियाकलापों को बंद करने के जोखिम को संतुलित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। उपायों को लागू न करने से भरोसा कम होगा और आपूर्ति के अस्थायी स्रोत होंगे तथा भारतीय

बाजार में अनिवार्यत: कीमत वृद्धि होगी। अत: प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि शुल्क लगाना व्यापक रुप से लोक हित में होगा।

ट. निष्कर्ष

- 144. दिए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, प्रदान की गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्तानुसार दर्ज किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :
- i. एक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा बढ़ाया नहीं जा सकता और मूल जांच के समान ही रखा गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद को "सी 12 से सी 18 कार्बन चेन लेंथ के सेचुरेटेड फेटी एल्कोहल और तत्संबंधी मिश्रण" के रूप में परिभाषित किया जा रहा है।
- ii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारतीय मांग के सापेक्ष संदर्भ में और निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि जारी रही है।
- iii. घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण मात्रा और कीमत, दोनों के संदर्भ में वास्तविक क्षित होना जारी रहा। घरेलू उद्योग के बाजार अंश, बिक्रियों, लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में पर्याप्त गिरावट आई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि आयात की कीमतें घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से लगातार कम रही है। घरेलू उद्योग को अपना बाजार अंश बनाए रखने के लिए आयात की कीमतों के अनुसार अपनी कीमतों को रखने पर मजबूर होना पड़ा है और परिणामस्वरूप, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद समग्र क्षित अविध में लाभकारी बिक्रियां करने में समर्थ नहीं रहा है। घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तुओं के पाटन और वास्तविक क्षित के बीच कारणात्मक संबंध हैं। प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के संबंध में समानांतर सब्सिडी रोधी जांच कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वे संबद्ध देशों से पाटित और सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण क्षित का सामना कर रहे हैं। वर्तमान समीक्षा जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने वर्तमान पाटन के संबंध में और शुल्क समाप्त होने पर पाटन और क्षित के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने के संबंध में विचार किया है।
- iv. संबद्ध देशों के पास संचित रूप से करीब *** लाख मी. टन की कुल भारतीय मांग की तुलना में करीब 14.5 लाख मी. टन की स्थापित क्षमता है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान भागीदार निर्यातकों के पास फालतू क्षमता भारतीय मांग का करीब 1.5-2 गुणा थी। इसके इलावा, संबद्ध देशों से उत्पादक मुख्य रूप से निर्यात बाजारों की पूर्ति कर रहे हैं, जिसमें उसके द्वारा घरेलू रूप से बहुत ही कम मात्रा में बिक्री की जा रही है। इसके अलावा, यह पाया गया है कि इन कंपनियों द्वारा अन्य देशों को किए जा रहे निर्यात भी घरेलू उद्योग के एनआईपी से कम है। अत: यदि शुल्कों को समाप्त करने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है।
- v. यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्य प्रारंभ में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि के संबंध में है, क्योंकि इसे घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही क्षिति की समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। यह नोट किया जाता है कि प्रारंभ में लगाया गया शुल्क शून्य/ नगण्य था, जिसके कारण, शुल्क लागू रहने के बावजूद पाटन और क्षित जारी रही। वर्तमान समीक्षा जांच में निर्धारित मार्जिन के समान शुल्क आवश्यक है, तािक घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण दिया जा सके और घरेलू उद्योग को, आयातों का मुकाबला ना करने के लिए उचित अवसर मिल सके।
- vi. यह भी नोट किया जाता है कि यहां तक कि वर्तमान जांच में भी, इंडोनेशिया से अधिकांश निर्यातकों के लिए पिरकिलित पाटन मार्जिन नकारात्मक है। यह नोट किया जाता है कि इंडोनेशिया में (इंडोनेशिया सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात कर और वसूली के कारण) मौजूद विकृत कच्ची सामग्री कीमतों के संबंध में इन कंपनियों के उत्पादन की कमतर लागत के कारण नकारात्मक पाटन मार्जिन है। चूंकि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में समानांतर सब्सिडी रोधी जांच आयोजित कर रहे हैं तािक कच्ची सामग्रियों की विकृत कीमत के कारण शुल्कों की ओवरलेपिंग में हो सके, अत: प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा जांच में कच्ची सामग्री की कीमतों का कोई समायोजन नहीं किया है।
- vii. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति इसकी उच्च वित्त लागत और कम कार्यशील पूंजी के कारण से है, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति क्षति का कारण नहीं है लेकिन वास्तव में यह उनके समक्ष आ रही क्षति की समस्या के कारण से है। यह नोट किया जाता है

कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एक नकदी वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कच्ची सामग्री ही करीब 70% लागत की है। अत: कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से अधिक है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग लाभकारी बिक्रियां करने में समर्थ नहीं रहा है, अत: यह कोई निधियां नहीं जुटा सका, जिसके कारण इसकी अधिक वित्तीय लागत आई है।

- viii. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता मिड कट एल्कोहल का एकमात्र भारतीय उत्पादक है, जिसके पास भारतीय बाजार में सबसे अधिक मांग है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति खराब है और यह उसे पर्याप्त संरक्षण दिए बिना कायम नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से यदि पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रहता है और शुल्कों की मात्रा नहीं बढ़ाई जाती है, तो घरेलू उद्योग का मिड कट एल्कोहल के लिए सफाया हो जाएगा, जिसमें डाउनस्ट्रीम उद्योग पूरी तरह से अपनी कच्ची सामग्री की जरूरत के लिए आयातों पर निर्भर हो जाएगा। कच्ची सामग्री के एक व्यवहार्य घरेलू स्रोत के रूप में डाउनस्ट्रीम उद्योगों का अधिक हित है।
- ix. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक औद्योगिक कच्ची सामग्री है। अत: डाउनस्ट्रीम उद्योग अंतिम उपभोक्ताओं को कम से कम आंशिक शुल्क पारित करने में भी समर्थ नहीं होगा। यह नोट किया जाता है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर यहां तक कि 35% शुल्क का प्रभाव भी नगण्य होगा।
- x. इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए व्यय में वृद्धि हुई है, जबिक आयातक (डाउनस्ट्रीम) उद्योग इस अविध के दौरान अपने लाभों में वृद्धि करने में समर्थ रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रारंभ में लगाए गए शुल्क पर्याप्त नहीं थे और यह कि आयातक अंतिम उपभोक्ता पर शुल्कों को पाटित करने के लिए समर्थ थे।

ठ. सिफारिशें

- 145. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षिति, कारणात्मक संबंध और पाटन व क्षित जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावाना के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के अनुसार पाटन, क्षिति, कारणात्मक संबंध और पाटन और क्षित जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच शुरू करने और पूरी करने पर और ऐसे आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को सकारात्मक पाटन मार्जिन और वास्तविक क्षिति तथा पाटन व क्षित के जारी रहने की संभावना स्थापित होने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत है। चूंकि, प्राधिकरण पीयूसी के संबंध में समानांतर एंटी-सब्सिडी जांच कर रहा है और उसी पीओआई के लिए डंपिंग, क्षिति और साथ ही सब्सिडी मार्जिन की गणना कर रहा है। यदि किसी सब्सिडी शुल्क की सिफारिश की जाती है तो उसे वर्तमान जांच में अनुशंसित शुल्क के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
- 146. अत: प्राधिकारी निर्धारित दर पर शुल्क के पाटनरोधी उपाय को जारी रखने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित, शुल्क तालिका के कालम 3 में उल्लिखित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए, नीचे शुल्क तालिका के कालम 7 में उल्लिखित धनराशि के समान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	धनराशि (यूएस डॉलर/ मी. ट.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2905.17, 2905.19, 3823.70	सी12 से सी 18 कार्बन चेन लेंथ के सेंचुरेटेड फेटी एल्कोहल और उनके मिश्रण	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	मैसर्स पीटी ईकोग्रीन ओलियोकैमिकल्स	शून्य

2.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी	मैसर्स पीटी मुसीम मास	शून्य
3.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी	मैसर्स पीटी वीलमर नबाती इंडोनेशिया	240
4.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी	मैसर्स पीटी एनर्जी सेजाहतेरा मास	शून्य
5.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई अन्य देश	उपरोक्त 1 से 4 के अलावा कोई अन्य देश	263
6.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी देश	263
7.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी	मैसर्स एफपीजी ओलियोकैमिकल्स एसडीएच बीएचडी	58
8.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी	मैसर्स केएल केपोंग ओलियो मास एसडीएन. बीएचडी.	122
9.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	उपरोक्त 7 से 8 के अलावा कोई भी	250
10.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के अलावा कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	250
11.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी	मै. ग्लोबल ग्रीन कैमिकल्स पब्लिक कं. लिमि.	107
12.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	उपरोक्त 11 के अलावा अन्य कोई भी	180
13.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के अलावा कोई अन्य देश	थाइलैंड	कोई भी	180

ढ. आगे की प्रक्रिया

147. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ की जाने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी। अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2023

FINAL FINDINGS

(Case No. AD (SSR)- 01/2022)

SUBJECT: SUNSET REVIEW ANTI-DUMPING INVESTIGATION CONCERNING IMPORTS OF SATURATED FATTY ALCOHOL ORIGINATING IN OR EXPORTED FROM INDONESIA, MALAYSIA AND THAILAND.

- **F. No. 7/01/2022-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the AD Rules") thereof:
- 1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") received an application filed by M/s VVF India Ltd. (hereinafter referred to as the "applicant" or "domestic industry") in accordance with Act and Rules for sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of Saturated Fatty Alcohol (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "PUC" or "SFA") originating in or exported from Indonesia, Malaysia and Thailand (hereinafter referred to as the "subject countries").

A. BACKGROUND OF THE CASE

- 2. The original anti-dumping Investigation concerning imports of "Saturated Fatty Alcohols" originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia was initiated vide notification no.14/51/2016-DGAD dt 24.04.2017. The Authority recommended anti-dumping duty on the imports of "Saturated Fatty Alcohols" from Malaysia, Indonesia and Thailand vide its final finding dated 23.04.2018. Based on the recommendations, the anti-dumping duty was imposed vide Customs Notification 28/2018-Customs (ADD) dated 25.05.2018, and amended by Notification No. 48/2018-Cus. (ADD), dated 25.09.02018. The said duties were levied for a period of 5 years.
- 3. In terms of Section 9A(5) of the Act read, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- 4. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:
 - "any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry"
- 5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- 6. In view of the duly substantiated application by the domestic industry with *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. F. No. 7/01/2022- DGTR dated 3rd February 2022 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning the subject goods issued vide Final Finding No. 14/51/2016-DGAD dated 23rd April 2018, which were implemented vide Notification No. 28/2018-Cus. (ADD) dated 25.05.2018, as amended by Notification No. 48/2018-Cus. (ADD), dated 25-9-2018.

B. PROCEDURE

- 8. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping

- application before proceeding to initiate the investigation.
- ii. The Authority issued a public notice dated 3rd February, 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from Indonesia, Malaysia and Thailand.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 3rd February, 2022, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, as per the information made available by the applicant.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- v. In the initiation notification, the Authority had called for comments on the proposed PCN methodology from the interested parties in order to have fair comparison. The comments of the interested parties were considered and thereafter, vide letter dated 9th March 2022, the interested parties were requested to file their questionnaire response in accordance with the PCN methodology.
- vi. The interested parties were requested oprovide relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known in writing within the prescribed time, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
- vii. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers / exporters from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- viii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. PT. Musim Mas, Indonesia
 - ii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
 - iii. PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia
 - iv. PT. Wilmar Nabati, Indonesia
 - v. Emery Oleochemicals Sdn. Bhd., Malaysia
 - vi. KLK Oleo, Malaysia
 - vii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
 - viii. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand
- ix. In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
 - i. PT. Musim Mas, Indonesia
 - ii. Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore
 - iii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
 - iv. Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd
 - v. PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia
 - vi. Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singapore
 - vii. PT. Wilmar Nabati, Indonesia
 - viii. Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
 - ix. Wilmar Trading Pte Ltd Singapore
 - x. Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Malaysia
 - xi. Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn Bhd
 - xii. KLK Oleo, Malaysia
 - xiii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
 - xiv. Procter and Gamble International Operations SA Singapore
 - xv. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand
 - xvi. Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand

- xvii. Unilever Asia Private Limited Singapore
- x. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s Galaxy Surfactants Limited
 - ii. Viswaat Chemicals Limited
 - iii. Rhodia Speciality Chemicals India Ltd
 - iv. Indian Glycols Limited
 - v. Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd
 - vi. Matangi Industries
 - vii. Venus Ethoxylates Pvt. Ltd
 - viii. Gujarat Chemicals
 - ix. Aarti Surfactants Limited
 - x. Kusa Chemicals Pvt Ltd
 - xi. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
 - xii. BASF India
- xi. In response, the following importers/users have responded and filed importer's / user's questionnaire response.
 - i. Godrej Industries Limited
 - ii. Galaxy Surfactants Limited
 - iii. Viswaat Chemicals Limited
 - iv. Indian Glycols Limited
 - v. Clariant IGL Specialty Chemicals Pvt. Ltd.,
 - vi. Hindustan Unilever Ltd.
 - vii. Aarti Surfactants Limited
 - viii. Tide Industries
- xii. Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.
 - Indian Surfactant Group
- xiii. Further information was sought from the applicant and the other interested parties to the extent deemed necessary.
- xiv. Due to the ongoing global pandemic of COVID-I9, all interested parties were asked to share the non-confidential versions of all their submissions with the other interested parties via emails. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant have been taken into account in the final findings notification.
- xv. The petition was filed based on the import data obtained from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the period 2018-19 to May' 2021. The petitioner had submitted that the data for the period June' 2021 to September' 2021 was not provided to them despite repeated requests. Accordingly, the petitioner had extrapolated the data for the period October' 2020 May' 2021 for submitting data for the Period of investigation, i.e. October' 2020-September' 2021.
- xvi. Request was made by the Authority to the Directorate General of Systems (DGS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has considered the data obtained from DGCI&S for the period April' 2018 to May' 2021 (corroborated with the DGS data) and DGS data for the period June' 21 to September' 21, for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xvii. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant.

 The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure

- III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xviii. Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the present final findings.
- xix. The verification of the information provided by the producers/exporters to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and such verified information has been relied upon for the purpose of the present final findings.
- xx. The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from October, 2020 to September, 2021 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI. The overlap of six months between 2020-21 and the POI has been kept in consideration, while conducting the injury analysis.
- xxi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, and Trade Notice No. 01/2020 dated, 10th April 2020, the Authority conducted an oral hearing through video conferencing on 7th July, 2022, to provide an opportunity to the interested parties to present the relevant information orally before the Authority. All the parties attending the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. Non confidential versions of the written submissions were circulated to the interested parties by email, and opportunity was given to them for submitting rejoinder submissions, if any.
- xxii. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.
- xxiii. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 30th January 2023. The post disclosure statement submissions received from the applicants and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- xxiv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in the final findings notification.
- xxv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxvi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- xxvii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹74.6
- xxviii. In this final findings notification, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. Keeping in view that the present investigation is a sunset review, at the stage of initiation, the scope of the product under consideration as defined in the original investigation was retained. The product under consideration was accordingly defined as follows:

All types of Saturated Fatty Alcohols excluding Capryl Alcohols (C-8) and Decyl Alcohols (C-10) and blends of C8 and C10

C.1. SUBMISSIONS MADE BY OTHER INTERESTED PARTIES

- 10. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to the product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
 - i. The scope of the product under consideration was expanded in the original final findings by covering "All Saturated Alcohol (SFA)", other than carbon chain length C8 and C10, which would cover SFA of carbon chain length C4, C6 or C20, C22 etc., even though the same were not included in the scope of PUC at the time of initiation.

- ii. Pure C10 fatty alcohol was excluded from the product scope because the same was considered neither a like article to the goods produced by the applicant industry nor the same was produced by the applicant industry. Therefore, the Authority has correctly rejected the request of the applicant industry to include the same in the scope of the product under consideration.
- iii. It was also submitted that the applicant industry is importing C810 fatty acids to produce C10 during the POI and considering the practice of the DGTR, they cannot be considered as domestic industry for pure C10.
- iv. The applicant industry has categorically admitted during the oral hearing that they have not produced pure C12 and therefore, the Authority should exclude C12 from the scope of the product under consideration, as per the consistent practice of the DGTR.
- v. It is also submitted that applicant industry has never approached known users of Pure Cuts (C10 and C12) to whom they have categorically denied supply of C10 and C12 in the past. Since neither their website shows production or supply of C10 and C12 nor the same was even offered for sale to the known actual users of pure cuts C10 and C12, user industry requested the Authority to exclude C12 from the scope of the product under consideration.
- vi. It is submitted that blend of pure C12 and C14 is technically not like article to the C1214 imported from the subject countries, as imported C1214 contains traces of other pure cuts also, whereas blend of pure C12 and C14 would not contain any such traces and therefore, cannot be used by the users.
- vii. That even the blend of pure C12 and C14 is commercially not like article to the C1214 imported from the subject countries. In this context, it is submitted that imported C1214 is imported in the range of USD 1600 to 1700, whereas price of blend by mixing pure C12 and C14 would be around USD 3500 to 4000. Therefore, commercially also it would not make any business sense to blend pure C12 and C14.
- viii. The petitioner does not produce pure cuts i.e. C12 and C14, and therefore, the same should be excluded from the scope of the PUC.
 - ix. C12 and its blends are not commercially substitutable with higher cuts (C1618) being manufactured by the petitioner. They have distinct raw materials, production process and end uses.
 - x. The petitioner is manufacturing C12-14 alcohol from imported distilled fatty acid, which does not involve substantial value addition. The petitioner therefore, cannot be considered as a producer of C1214, and the same should be excluded from the scope of the PUC.
 - xi. It has also been claimed that C1214 produced by blending pure C12 and C14 has different chemical specification and therefore is not like article to C1214 being imported.

C.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 11. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. Saturated Fatty Alcohol ("SFA") of carbon chain length C8 and C10 were included in the scope of the PUC at the time of initiation of the original investigation, however, the same were excluded in the original final findings on the concession given by the petitioner at that time, since it was not manufacturing those grades. It has been submitted that since the petitioner is now producing SFA of carbon chain length C10 in commercial quantities, the same ought to have been included in the scope of the PUC.
 - ii. The product under consideration in the present petition is "Saturated Fatty Alcohol" (SFA) of Carbon Chain Length C12 to C18 and their blends. The PUC is used mainly as an intermediary product, for further processing into fatty alcohol sulphates, fatty alcohol ethoxylates and fatty alcohol ether sulphates, also called Surfactants.
 - iii. The fatty alcohols are primarily used for the manufacture of surfactants, for personal care, home care, and pharmaceutical and agriculture-related end applications. They are also used in relation to processing of articles of leather, textile, fur, pulp, paper, petroleum products, fine chemicals, rubber products, plastics and fabricated metal products. Other applications include mining, offshore operations, construction work, and as a solvent for degreasing purposes. The PUC is also used as a synthetic intermediate or as anti-freeze and as an emulsifying agent. It also finds use in the production of paints, lubricants, cosmetics, food preparations, etc. The various grades of fatty alcohols can be used inter-changeably. The customer selects the fatty

- alcohol of a particular carbon chain length, based on its requirement, with regard to viscosity, solubility, foaming properties, etc.
- iv. That the production of various grades (carbon chain length) of SFA is through fractional distillation of CPKO. CPKO inherently consists of various carbon chain length, which are fractionated depending on the desired grade (carbon chain length) that the producer wants to extract.
- v. The petitioner produces high quality natural saturated fatty alcohols under the registered trade name Vegarol. It has the capacity to manufacture entire range of fatty alcohols from short chain Vegarol C10 (Decyl alcohol) to Vegarol C22 (Behenyl Alcohol), and the decision as to which grade is to be manufactured is taken based on the customer preferences and the demand.
- vi. The majority of imports into India are of C1214/C1216 grade, as the said grade has the highest demand in India. In contrast, presently there is a very limited demand for pure cut C12 and C14 grades. The pure cuts C12 and C14 are interchangeable with the blend C1214.
- vii. In one of the production routes opted by the petitioner, C1214 grade is manufactured using split fatty acid. Split fatty acid (SCPKO) is produced by splitting palm kernel oil. The petitioner carries out fractional distillation of SCPKO to produce distilled fatty acid of the desired composition (i.e. C1214 fatty acid, in the instant case). The C1214 fatty acid is then converted to get C1214 fatty alcohol by using wax ester hydrogenolysis technology. As an alternative, C1214 blend can also be produced by producing pure C12 and C14 grades first and then blending them subsequently through simple process of mixing, without incurring any further cost.
- viii. The choice of manufacturing pure C12 and C14 fatty alcohols and then blending them or directly manufacturing the C12 and C14 grade is dynamic and is decided based on the prevailing factors of market demand and margins. It was therefore submitted that C12 and C14 are interchangeable and substitutable with C12 and C14, to the extent that it is both technically and commercially feasible to simply blend the two pure cuts in a tank, with no additional cost. As such, exclusion of pure C12 and C14 from the product under consideration would defeat the entire purpose of levy of the duty on the PUC. This issue was examined in depth in the original findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018, where the claim for exclusion of pure grade C12 and C14 was rejected by the Authority

C.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 12. The Authority has noted submissions made by the interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes as follows:
 - i. The scope of product under consideration as defined in the original investigation was "All types of Saturated Fatty Alcohols excluding Capryl Alcohols (C-8) and Decyl Alcohols (C-10) and blends of C8 and C10". It was noted that in Para 8 (b) of the original final findings that the scope of PUC is "Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C12, C14, C16, and C18 including single, blends and unblended (not including branched isomers) which includes blends of a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C-16-18 and C14-C16". Considering the claims made by some of the interested parties that the definition of scope of PUC in the original investigation has led to inclusion of certain carbon chain lengths (other than C12-18) within the ambit of duty, as an abundant caution, the Authority clarifies that the scope of PUC is "Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C12, C14, C16, and C18 including single, blends and unblended (not including branched isomers) which includes blends of a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C-16-18 and C14-C16".
 - ii. As regard to the submission made by the domestic industry regarding inclusion of SFA of carbon chain length C10 in the scope of PUC, it is noted that since the instant investigation is that of review, the scope of the product under consideration cannot be enhanced.
 - iii. On the basis of the submissions made by the various interested parties and the examination of import data, the Authority holds that the product under consideration in the present investigation is "Saturated Fatty Alcohol of carbon chain length C12 to C18 and blends thereof". The product under consideration includes pure C12, C14, C16 and C18 and their blends. The product under consideration is classifiable under CTH 2905 17 (pure cuts) and 3823 70 (blends). Tariff classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
 - iv. As regard the claim for exclusion of pure C12 and C14 on the ground that same was same was not

manufactured by the domestic industry, it is noted that this issue has been examined in depth in the original Final Findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018 conducted in respect of the subject goods, wherein it was held as under:

"As regards exclusion of pure form of C12 and C14 alcohols, the Authority finds force in the argument of the domestic industry that it has produced and sold C12C14 alcohol. In fact, C12C14 has the most demand in India. When the domestic industry has sold the blended form of these alcohols, the pure forms cannot be excluded, as such exclusion would defeat the very purpose of the duty......".

- v. The above findings of the Authority have been confirmed by the Hon'ble CESTAT, New Delhi vide Final Order No. 50010-50013/2023 dated 06.01.2023, wherein it was observed as under:
 - "34. There is, therefore, no error in the finding recorded by the designated authority in including pure cuts C12 and C14 in the product under consideration."
- vi. The petitioner had, during on-site verification, demonstrated that C1214 can be produced by a simple process of mixing pure C12 and C14, without incurring any additional cost. It is noted that the decision whether to manufacture C12-14 blend directly or by blending pure C12 and C14, is decided depending on the market demand and customer preferences. If duty is imposed on imports of C1214 blend only and not on pure C12 and C14, it would be possible to circumvent the duty by importing pure cuts C12 and C14 instead of C1214 blend and then producing the C1214 at minimal cost, thereby defeating the very purpose of the imposition of duty. The Authority accordingly notes that pure C12 and C14 cannot be excluded from the scope of the PUC.
- vii. Further, the Authority notes that the claim of the interested parties that C1214 produced by blending pure C12 and C14 has a different chemical specification and therefore, is not a like product to C1214 being imported, is devoid of any merit. The interested party has submitted that the technical specification of imported C1214 which shows that it has pure C12 in the range of 70-77%, and pure C14 in the range of 21-30%, and has traces of other pure cuts (upto maximum of 2%) of other carbon chain length C8 & lower, C10 or C16 or above, cumulatively. In this regard, the Authority notes that as is the case with most refinery products, any pure grade would inherently have certain residual components. The investigation has shown that even the pure grades manufactured by the domestic industry, such as C1698 or C1898, there is upto 2% trace of other pure cuts present and hence same was being qualified by the domestic industry as C1698, i.e. C16 of 98% purity. It is noted that the presence of these traces of SFA of different carbon chain length does not have any significant impact on the quality of the product. Moreover, it is noted that even C1214 produced by blending pure C12 and pure C14 would inherently have traces of other carbon chain length present in the said pure grades.
- viii. Further, as regard the claim that the petitioner only does toll manufacturing of C1214 alcohol, wherein it imports C1214 fatty acid and then merely carries out the conversion of C1214 fatty acid to C1214 alcohol, the Authority notes that the said averment is not factually correct. The petitioner has provided evidence of manufacture of C1214 from base raw materials i.e. Palm Kernel Oil sources as well. In any case, as the petitioner has produced and sold C1214 in substantial quantity, hence, its exclusion is not warranted.
- ix. Unblended fatty alcohols are classified under heading 2905.17 or 2905.19, while blended alcohols are classified under heading 3823.70 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. Under the heading 3823.70, they are imported under the following tariff entries:

3823.70.10

3823.70.20

3823.70.40

3823.70.90

The customs classification above is indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration in this investigation.

x. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration also purchased the same from the domestic industry.

In view of the same, the Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

13. The standing of the petitioner as "domestic industry" has not been objected to by the interested parties.

D.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 14. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to the scope of domestic industry & standing are as follows:
 - i. There are only two producers of the subject goods in India, viz. VVF (India) Ltd. and Godrej Industries Ltd. ("Godrej").
 - ii. The petitioner accounts for more than 65% of the total Indian production and therefore has the requisite standing to file the present application as "domestic industry", in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.
 - iii. In any case, Godrej has been importing the PUC from the subject countries since past few years. As such, in terms of Rule 2(b) it ought to be excluded from the determination of the petitioner's standing as domestic industry. Once Godrej is excluded, the petitioner would represent the entire eligible domestic production of the PUC in India, and therefore, has standing as a domestic industry.
 - iv. VVF (India) Ltd. has neither imported the subject goods nor is related to any of the importer or exporter of the subject goods.

D.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:
 - "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".
- 16. The petition is filed by M/s. VVF India Ltd. There are two producers of the subject goods in India, namely, M/s. VVF India Ltd. and M/s Godrej Industries Ltd. The Authority notes that Godrej has imported the subject goods in substantial quantity from the subject countries during the period of investigation and thus becomes ineligible to be a part of the domestic Industry. Therefore, being the sole eligible Indian producer, VVF India Ltd. has the standing of the domestic industry. In any case, the petitioner accounts for more than 65% of the total Indian production. Therefore, even after the inclusion of the production of the subject goods by Godrej Industries Ltd, the petitioner M/s VVF India Ltd. accounts for major share of the Indian production and therefore, for the purpose of this investigation, it satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti- Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the other interested parties

- 17. The following submissions have been made by the other interested parties with regard toconfidentiality:
 - The domestic industry has claimed excessive confidentiality and have failed to provide a nonconfidential summary of productivity, export price, R&D expenses, funds raised, return on investment, alleged capacity expansion in the subject countries and costs of the domestic industry.
 - ii. The domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to capacity, production, capacity utilization and sales.
 - iii. The domestic industry has not provided information with regard to constructed normal value.

- iv. The domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to manufacturing process, volume and value of production by other producers and non-injurious price calculation which is in violation of Trade Notice No. 1/2013 and 10/2018.
- v. Policies relating to purchase, sales, accounting, cost accounting and quality control procedure and information contained in Section-VI have been claimed confidential without any reason.
- vi. Information relating to utilities consumption, cost of production, raw material and packing material consumption for the period of investigation and injury period has not been provided even in indexed form.
- vii. The domestic industry must be compelled to provide the information requested under the relevant trade notice which is a practice followed by the Authority.
- viii. Neither the Authority nor the domestic industry thus far have provided the transaction-wise import data in Excel to all the interested parties which is in violation of the decision taken in Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority.

E.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 18. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
 - i. The foreign producers have not provided information regarding write-up of manufacturing process and raw materials used, in violation of Trade Notice 10/2018.
 - ii. The foreign producers have claimed complete confidentiality regarding details about production facilities, capacity, sales volume and value,
 - iii. Information contained in Section VI is business proprietary information and cannot be disclosed to the interested parties.

E.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

19. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."
- 20. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID19 global pandemic.
- 21. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of their submissions with each other through e-mails.
- 22. The interested parties have contended that the domestic industry has not disclosed information pertaining to capacity, production, sales, return on investment, costs and information contained in Section-VI. The Authority notes that such information is confidential by nature, and has accepted the confidentiality claimed by the domestic industry.

- 23. With regard to the DGCI&S data, the Authority notes that the data has been shared with the interested parties relating to volume & value of the imports from exporting countries into India. Further, the applicant has provided a complete list of transaction wise import data to the Authority. The Authority holds that procedure for sharing and procuring the import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018 and the Authority notes that the procedure now being applied is consistent and uniform across all interested parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.
- 24. With regard to the contentions of the domestic industry concerning the excess confidentiality claimed by the responding foreign producers / exporters, it is noted that the Authority has examined the confidentiality claims made by the responding foreign producers / exporters and on being satisfied the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPINGMARGIN

A F.1. SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

- 25. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to determination of normal value, export price and dumping margin.
 - i. The petitioner has stated that it has computed the cost of production for grades C12-14 based on its own cost of production. The petitioner has provided no reasonable explanation as to how the cost of production of such grades reflects the costs in the subject countries.
 - ii. No credible evidence substantiating adjustments made by the petitioner has been provided, thereby preventing any meaningful analysis by the interested parties.
 - iii. The Authority is requested to consider the information provided by the exporters for the calculation of normal value, export price, and dumping margin.
 - iv. It has been submitted that that exporters with nil anti-dumping duty in the original investigation be excluded from the sunset review. It has been claimed that 0% anti-dumping duty cannot be altered as a result of a sunset review because that duty's expiry cannot, by its very nature, lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. In particular, a 0% anti-dumping duty cannot counteract dumping which is causing injury as no duty exists.

F.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 26. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to determination of normal value, export price and dumping margin:
 - i. The subject countries have continued to dump into India despite imposition of anti-dumping duty.
 - ii. The anti-dumping duty imposed consequent to the original investigation was significantly inadequate which has resulted in the dumping and consequent injury to the domestic industry being continued even during the imposition of the duty.
 - iii. Dumping from the subject countries has intensified in the current investigation.
 - iv. Continued and intensified dumping itself establishes that producers will dump their goods with the expiry of duties

F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 27. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
 - (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the
 - particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub- section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

- 28. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the questionnaire response:
 - i. PT Wilmar Nabati Indonesia
 - ii. Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
 - iii. Wilmar Trading Pte Ltd Singapore
 - iv. PT Musim Mas Indonesia
 - v. Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore
 - vi. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
 - vii. Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd
 - viii. Pt. Energi Sejahtera Mas Indonesia
 - ix. Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singapore
 - x. KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd
 - xi. Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd/ Edenor Oleochemicals (M) Sdn. Bhd
 - xii. Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd./ Edenor Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd.
 - xiii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd.
 - xiv. Procter & Gamble International Operations SA Singapore
 - xv. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.
 - xvi. Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand
 - xvii. Unilever Asia Private Limited Singapore
- 29. The normal value and export price for all producers / exporters from the subject countries have been determined as below. The domestic industry has claimed that the price of raw material in Indonesia and Malaysia is distorted on account of Government interference. The Authority has taken note of this aspect in the parallel countervailing investigation being conducted in respect of the subject goods. Accordingly, to avoid overlapping of duty on account raw material price distortion, the particular market situation due to distorted raw material price has not been considered while determining dumping margin.

F.3.1. DETERMINATION OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

INDONESIA

A) PT. Wilmar Nabati, Indonesia, Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia and Wilmar Trading Pte Ltd Singapore (WINA Group)

NORMAL VALUE

30. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that PT. Wilmar Nabati is the producer of the subject goods. It has exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers through its related trader Wilmar Trading Pte Ltd Singapore. The producer sells the subject goods to unrelated customers in the domestic market directly. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of inland transportation, credit cost and the same have been allowed by the Authority. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

EXPORT PRICE

31. During the period of investigation, the producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India through its related trader. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, insurance, port expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at exfactory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at exfactory level for PT. Wilmar Nabati has been determined, which is indicated in the dumping margin table below.

B) PT. Musim Mas, Indonesia and Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore (PTMM Group) NORMAL VALUE

32. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that PT. Musim Mas ("PTMM") is the producer of the subject goods. It has exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers directly through its related trader Inter-Continental Oils and Fats Pte Limited (ICOF) situated in Singapore. The producer sells the subject goods to unrelated customers in the domestic market directly. It is observed that the PCN-wise domestic sales have not passed the sufficiency test when compared with exports to India. The Authority notes that in a situation where there are no/insufficient sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country, the normal value shall be either comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits. The Authority has therefore considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of cost of production data for each PCN furnished by the exporter plus a reasonable profit margin and the same is shown in the dumping margin table below.

EXPORT PRICE

33. During the period of investigation, the producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India through its related trader. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, port expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at ex-factory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for PTMM has been determined, which is indicated in the dumping margin table below.

C) PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia and Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (PTEO Group) Normal Value

34. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that PT Ecogreen Oleochemicals ("PTEO") is the producer of the subject goods. It has exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers directly through its related trader Ecogreen Olechemicals (Singapore) Pte. The producer sells the subject goods to related and unrelated customers in the domestic market directly. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of transportation/freight, insurance, port charges, other deductions and the same have been allowed by the Authority. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

EXPORT PRICE

35. During the period of investigation, the producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India through its related trader. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, insurance, port expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at exfactory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at exfactory level for PTEO has been determined, which is indicated in the dumping margin table below.

D) PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia and Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singapore (ESM) NORMAL VALUE

36. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that Pt. Energi Sejatera Mas ("ESM") is the producer of the subject goods. It has exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers through its related trader Sinarmas Cepsa Pte.Ltd. (SCPL) in Singapore and an unrelated exporter Unilever Asia Private Limited (UAPL). The producer sells the subject goods to related and unrelated customers in the domestic market affiliated and unaffiliated traders. It is

observed that the domestic sales have not passed the sufficiency test when compared with exports to India in few PCNs. For such PCNs, the Authority has therefore considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of cost of production data for corresponding PCN furnished by the exporter plus a reasonable profit margin and the same is shown in the Dumping Margin Table below. For other PCNs, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of transportation/ freight, insurance, port charges, other deductions and the same have been allowed by the Authority. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

EXPORT PRICE

37. During the period of investigation, ESM has exported *** MT of subject goods to India through its related trader Sinarmas Cepsa Pte.Ltd. (SCPL) in Singapore and an unrelated exporter Unilever Asia Private Limited (UAPL) in Singapore. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, insurance, port expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at ex-factory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Further, the Authority has adjusted the losses incurred by the trader UAPL to sell the PUC to compute the net export price. Accordingly, the net export price at ex-factory level for ESM has been determined, which is indicated in the dumping margin table below.

E) All other Producers from Indonesia

38. For all other non-cooperating producers in Indonesia, normal value, export price and dumping margin have been determined based on facts available taking into account the data of the cooperating producer and the same is shown in the dumping margin table below.

MALAYSIA

A) FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia and Procter and Gamble International Operations SA Singapore (FPG Group)

NORMAL VALUE

Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that FPG Oleochemicals Sdn. Bhd. (FPG) is the producer of the subject goods. It has exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers through its related trader Procter and Gamble International Operations SA Singapore (PGIO). The producer sells the subject goods to unrelated customers in the domestic market through PGIO. It is observed that the domestic sales have not passed the sufficiency test when compared with exports to India in few PCNs. For such PCNs, the Authority has therefore considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of cost of production data for corresponding PCN furnished by the exporter plus a reasonable profit margin and the same is shown in the Dumping Margin Table below. For other PCNs, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of transportation/ freight, insurance, port charges, other deductions and the same have been allowed by the Authority. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

EXPORT PRICE

40. During the period of investigation, FPG has exported *** MT of subject goods to India through its related trader PGIO and an unrelated exporter. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, insurance, port expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at ex-factory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Further, the Authority has adjusted the losses incurred by the trader PGIO to sell the PUC to compute the net export price. Accordingly, the net export price at ex-factory level for FPG has been determined, which is indicated in the dumping margin table below.

B) KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd, Malaysia (KLK Group)

Normal Value

41. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd (KLK) is a producer-exporter of the subject goods. It has exported the subject goods

to India during the period of investigation to unrelated customers directly and through unrelated traders Unilever Asia Private Limited (UAPL) in Singapore and Procter and Gamble International Operations SA Singapore (PGIO). All the domestic sales during the POI were made to unrelated customers directly by KLK. It is observed that the domestic sales have not passed the sufficiency test when compared with exports to India in few PCNs. For such PCNs, the Authority has therefore considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of cost of production data for corresponding PCN furnished by the exporter plus a reasonable profit margin and the same is shown in the Dumping Margin Table below. For other PCNs, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of inland transportation, ocean freight, insurance, port charges, other deductions and the same have been allowed by the Authority. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

EXPORT PRICE

- 42. During the period of investigation, KLK has exported *** MT of subject goods to India directly and through unrelated traders. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, insurance, port expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at exfactory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Further, the Authority has adjusted the losses incurred by the trader UAPL to sell the PUC to compute the net export price. Accordingly, the net export price at ex-factory level for KLK has been determined, which is indicated in the dumping margin table below.
 - C) Edenor Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (formerly, Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd) and Edenor Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd. (formerly, Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd)

Normal Value

43. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that Edenor Oleochemicals (M) Sdn Bhd (EOM) is a producer-exporter of the subject goods. It has exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers directly. All domestic sales to related and unrelated customers were made by EOM.

EXPORT PRICE

44. During the period of investigation, EOM has exported *** MT of subject goods to India directly and through unrelated traders. The Authority notes that the quantity exported by Edenor Group to India during the POI is very low as compared to the exports made by other participating producers/ exporters from Malaysia and the total imports of the PUC. The exports made by Edenor Group to India are even less than ***% of the total imports from Malaysia into India. Secondly, the trade pattern of PCNs exported by Edenor to India is not comparable to the trade pattern of the other participating exporters and therefore, the weighted average export price of Edenor Group is not comparable to that of other exporters. Thirdly, this Group had not cooperated in the original investigation and therefore, was not allocated individual duty. Even in the POI, the Group has not exported representative quantities. In view of the above facts, the Authority has not determined individual dumping and injury margins for Edenor Group.

D) All other Producers from Malaysia

45. For all other non-cooperating producers in Malaysia, normal value, export price and dumping margin have been determined based on facts available taking into account the data of the cooperating producer and the same is shown in the dumping margin table below.

THAILAND

A) Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand (TFA) and Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand TFA Normal Value

46. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that Thai Fatty Alcohol Co. Ltd. (TFA) is a producer-exporter of the subject goods. It has majorly exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers directly, and insignificant volumes through a trading company namely Chemicals Mate SDN. The producer sells the subject goods to related and unrelated customers in the domestic market directly. Global Green Chemicals Public Co. (GCC) is the holding company of TFA. It is noted that GCC is also the supplier of raw material to TFA. The Authority notes that TFA

and GGC have entered into a business transfer agreement dated 29 September 2022 whereby all assets and liabilities of TFA were transferred to GGC with effect from 1 October 2022. The Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of transportation/ freight, insurance, port charges, other deductions and the same have been allowed by the Authority. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

EXPORT PRICE

47. During the period of investigation, TFA has exported *** MT of subject goods to India directly and through unrelated traders. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, insurance, port expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at exfactory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at exfactory level for EOM has been determined, which is indicated in the dumping margin table below.

B) All other Producers from Thailand

48. For all other non-cooperating producers in Thailand, normal value, export price and dumping margin have been determined based on facts available taking into account the data of the cooperating producer and the same is shown in the dumping margin table below.

DUMPING MARGIN

49. The dumping margin determined for producers/exporters from Indonesia, Malaysia and Thailand is given in the table below:

DUMPING MARGIN TABLE

Country		Normal Value	NEP	D	M	Range
	Wt. Avg.	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
	PTEO	***	***	(***)	(***)	Negative
	PTMM	***	***	(***)	(***)	Negative
Indonesia	WINA	***	***	***	***	10-20%
	ESM	***	***	(***)	(***)	Negative
	Others	***	***	***	***	10-20%
	FPG	***	***	***	***	10-20%
Malaysia	KLK	***	***	***	***	0-10%
	Others*	***	***	***	***	10-20%
Theilend	TFA & GGC	***	***	***	***	0-10%
Thailand	Others	***	***	***	***	5-15%

^{*} Emery/Edenor has exported insignificant quantities during the POI.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions made by the other interested parties

- 50. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link: Volume effect:
- 51. The petitioner has attempted to obscure information relating to market share and the relative increase in production. The petitioner has merely provided graphs/charts of the market share without any numerical information. Therefore, the exporters are not in a position to offer any meaningful comments on the same. The petitioner's presentation of data clearly belies an intention to conceal critical information from interested parties.
- 52. Any alleged impact on the petitioner's market share in the domestic market is due to the petitioner concentrating its sales towards exports. Even though the domestic and export sales price increased in the POI in comparison to the base year, the petitioner concentrated towards export sales.

53. The petitioner in the POI has commissioned a plant for manufacturing tertiary amines, which is produced through PUC. Hence, on account of petitioner's own captive consumption (coupled with exports of the PUC), petitioner cannot aver that it is unable to regain market share.

Price effect:

- 54. There exists no price suppression or depression on account of imports from the subject countries. The petitioner has been able to change its prices commensurate with changes in the cost of production
- 55. There is no correlation between alleged price undercutting and the performance of the petitioner.

Economic parameters:

- 56. All the economic parameters including capacity, production, sales volume, wages, no. of employees, capital employed, return on capital employed, etc. have shown a positive trend or a minimal decline in the POI in comparison to the base year. There exists no injury to the petitioner, let alone material injury.
- 57. The petitioner has not been able to increase its production capacity and production level despite increase in demand, which clearly shows that the injury to the petitioner is on its own account.

Causal link:

- 58. Alleged injury to the petitioner, if any, is on account of high interest and finance costs.
- 59. The petitioner has acknowledged in its financial statements that it has been financially impacted by the COVID-19 pandemic.
- 60. The petitioner was subject to insolvency proceedings before the National Company Law Tribunal. This clearly indicates that there is mismanagement in the operations of the petitioner whereby it has been unable to pay creditors.
- 61. The Auditors' adverse remark(s) in the auditors' report in the past financial statements of the petitioner indicates that there exists a doubt the petitioner may not be able to continue its operations on account of heavy financial losses and a high level of debt. The Authority must take cognizance of the fact that imposing duty based on the petition of the company which might cease to exist beats the entire purpose of an anti-dumping investigation.
- 62. The injury to the petitioner is also on account of investment made in its plant at Kutch, which has resulted in additional cost of Rs. 2200/MT. Subsequently, the fiscal benefit given by Government of India for the said investment was withdrawn. In 2020, the Hon'ble Supreme Court in its decision in Union of India vs. M/S V.V.F. Ltd. [(2020) 20 SCC 57] upheld the GOI's decision to modify the fiscal benefits that VVF was entitled to. This has created a potential liability of Rs. 304 million against the petitioner.
- 63. Injury to the petitioner is on account of inverted duty structure, i.e. high import duty of 37.5% imposed on the imports of raw material (CPO/CPKO). The petitioner does not have access to feedstock, and is dependent on imports. As such, unviability of its production is mainly on account of non-availability of raw material.

G.2. SUBMISSIONS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

- 64. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link.
 - i. There has been a flood of imports from the subject countries over the injury period, which has increased by 54% compared to the base year. In contrast, the production of the petitioner has remained at the same level as compared to the base year.
 - ii. The subject imports in relation to production have increased throughout the injury period and have reached to 154 index points in the POI as compared to the base year.
 - iii. The share of the subject countries in total imports to India and in the Indian demand has shown a steady and steep increase throughout the injury period. The imports have increased not only in absolute terms but also in relation to production.
 - iv. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period. There was an increase of 22% in demand in the POI as compared to the base year. However, the entire incremental demand has been captured by the imports from the subject countries, which have increased by more than 30 indexed points in the POI as compared to the base year. In contrast, the domestic industry has lost almost 25% of its market share during the same period.
 - v. The subject imports have not only captured the incremental demand but have also eaten into the market share of the Indian industry.
 - vi. The losses of the domestic industry continue to be at high levels on account of continued increase in imports from the subject countries.

- vii. Import prices from the subject countries are suppressing and depressing the domestic prices.
- viii. Imports are resulting in significant price underselling, as evidenced by the difference between non-injurious price and landed price of the imports.
 - ix. The Indian producers have the capacity to cater to the entire domestic demand, yet, almost 75% of the domestic demand is being met by the imports from the subject countries on account of their low prices.
 - x. The profitability and ROI of the domestic industry has continued to remain in red, despite the petitioner's best efforts to reduce its cost and increase its sales.
 - xi. The domestic industry has been forced to match the prices of the subject imports which have allowed the domestic industry to maintain its volume parameters but have severely impacted its profitability.
- xii. The injury to the domestic industry is not caused due to other factors. The exists a causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry.
- xiii. The submission that the injury to the domestic industry is on account of financial mis-management and high interest cost is baseless. The IBC proceedings initiated against the petitioner have been terminated, which clearly belies the insinuations being made regarding petitioner's ability to remain a "going concern".
- xiv. The matter concerning withdrawal of duty exemption in Kutch is currently sub-judice as the petitioner has filed an application seeking alternate relief, which is being considered by the appropriate authority.
- xv. The injury claimed cannot be attributed to export sales, and relates only to performance in the domestic market.

G.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

65. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

CUMULATIVE ASSESSMENT

- 66. The Authority notes that cumulative assessment of injury to the domestic industry on account of dumping from the subject countries was already examined in the original investigation wherein the conditions specified in the Rules for cumulative assessment were satisfied. Therefore, the Authority proceeded to the cumulatively examine injury due to dumped imports from the subject countries. The present investigation being a sunset review investigation with anti-dumping measures already in force, it is not necessary that all the conditions required for cumulative assessment may be satisfied. In line with the consistent practice of the Authority and the fact that cumulative examination was undertaken in the original case, the Authority has undertaken cumulative assessment in the present investigation as well.
- 67. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all the relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
- 68. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record.

VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS AND IMPACT ON DOMESTIC INDUSTRY

i. Assessment of Demand

69. Demand or apparent consumption of the product under consideration in India is defined as the sum of domestic sales of all Indian producers and imports from all other countries. It is seen that demand has increased over the injury period. The demand (excluding C10) so assessed is as follows-

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
	Trend		100	125	98	92
2	Sales of Other Producer	MT	***	***	***	***
	Trend		100	120	119	134
3	Imports from Subject Countries	MT	69,309	73,952	97,570	1,04,227
4	Import from Other Countries	MT	10,603	12,671	3,859	395
5	Total Demand	MT	***	***	***	***
	Trend		100	113	120	122
6	Production	MT	***	***	***	***
	Trend		100	111	102	99

ii. Imports volumes and share of the imports from subject country

70. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under-

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
A	Indonesia	MT	17,655	26,735	46,394	54,633
В	Malaysia	MT	40,212	35,136	42,964	40,268
С	Thailand	MT	11,443	12,081	8,213	9,326
1	Subject Countries	MT	69,309	73,952	97,570	1,04,227
2	Other Countries	MT	10,603	12,671	3,859	395
3	Total	MT	79,912	86,623	1,01,429	1,04,621

71. It is seen that:

- a. There has been a significant increase in the absolute volume of imports from subject countries by 50% in POI from the base year.
- b. The imports have increased sharply in relation to production of the domestic industry from ***% in 2018-19 to ***% (by 63%) in the POI.
- c. During the POI, the imports from the subject countries accounted for almost 100% of total imports to India.
- d. Out of the total demand, the petitioner has the ability to produce and meet over and above 80%. However, due to huge imports volume by subject countries, they could only utilise less than 50% of their production capacity.

Price effect of subject imports and impact on domestic industry

72. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such dumped imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i. Price Undercutting

73. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole. The weighted average undercutting computation is as under:

POI QTY		LV	NSR	Undercutting	
		Rs/ Kg	Rs/Kg	(Rs/Kg)	
Indonesia	54,633	129	***	***	
Malaysia	40,268	129	***	(***)	
Thailand	9,326	137	***	(***)	
Subject Countries	1,04,227	129	***	(***)	

74. The Authority notes that the undercutting is positive for certain grades. On a weighted average basis there is nil/negligible undercutting.

ii. Price underselling / Injury Margin

- 75. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/injury margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.
- 76. It is noted from the below table that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices. The injury margin for cooperative producers/exporters are evaluated as under:-

Country	Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
	Wt. Avg.	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
	PTEO	***	***	***	***%	10-20%
	PTMM	***	***	***	***%	15-25%
Indonesia	WINA	***	***	***	***%	20-30%
	ESM	***	***	***	***%	0-10%
	Others	***	***	***	***%	25-35%
	FPG	***	***	***	***%	0-10%
Malaysia	KLK	***	***	***	***%	20-30%
	Others	***	***	***	***%	20-30%
Thailand	TFA & GGC	***	***	***	***%	10-20%
Thanand	Others	***	***	***	***%	10-20%

^{*} Emery/Edenor has exported insignificant quantities during the POI and therefore, separate injury margin is not computed for it.

iii. Price suppression and depression

77. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of sales	Rs. /Kg	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	98	93	115
3	Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	88	95	115

THE CIAZELLE OF INDIA : EXTRAORDINAR	HE GAZETTE OF INDIA : EXT	RAORDINAR
--------------------------------------	---------------------------	-----------

Ī	5	Landed Price	Rs./Kg	105	88	101	129
	6	Trend	Indexed	100	84	96	121

78. It is seen that the cost of sales of the domestic industry has increased on account of significant increase in cost of raw material. Landed value has remained significantly below cost of production throughout the injury period. Low landed price has not allowed the petitioner to increase the domestic selling price above the cost of sales during the entire injury period which results suffering of sustained loss by it.

Economic parameters relating to the domestic industry

79. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provides that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has accordingly, herein under examined the performance of the domestic industry over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

80. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend		100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend		100	111	102	99
3	Capacity Utilization	%	***%	***%	***%	***%
	Trend		100	110	102	98
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend		100	126	98	92
5	Export Sales	MT	***	***	***	***
	Trend		100	102	110	111

81. The Authority notes that the capacity and capacity utilization of the domestic industry has remained at the same level over the injury period. It is noted that the petitioner is suffering losses during the entire injury period due to high per unit capital and fixed cost which is primarily on account of underutilization of capacity. Even though, the petitioner has a substantial capacity to meet more than 80% of the Indian demand, the petitioner is unable to compete with large volumes of cheap imports coming from the subject countries, and thereby utilizing less than 50% of its capacity.

ii. Market Share

82. The market share of the domestic industry and domestic producers over the injury period is as under:

SN	Market Share	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
	Range	%	20-30	20-30	10-20	10-20
2	Sale of Other Producers	%	***	***	***	***
	Range	%	0-10	0-10	0-10	10-20
3	Subject Countries	%	***	***	***	***
	Range	%	50-60	50-60	60-70	70-80
4	Other Countries	%	***	***	***	***

	Range	%	0-10	0-10	0-10	0-10
5	Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

83. The market share of subject imports has increased significantly, from 59% to 72 % of demand of the country, whereas that of the petitioner has declined from ***% to ***% (by 6%) during the same period. This is leading to decrease in capacity utilization resulting in higher per unit fixed cost and sustained loss.

iii. Profit or loss, cash profits and return on capital employed

84. The position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment is as under:

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of sales	₹/kg	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	98	94	116
3	Selling price	₹/kg	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	89	96	115
5	Profit/(Loss)	₹/kg	(***)	(***)	(***)	(***)
6	Trend	Indexed	(100)	(138)	(83)	(118)
7	Profit/(Loss)	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
8	Trend	Indexed	(100)	(173)	(81)	(108)
9	PBIT	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
10	Trend	Indexed	(100)	(203)	(37)	(97)
11	Cash Profits	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
12	Trend	Indexed	(100)	(178)	(80)	(109)
13	ROCE	%	(***)%	(***)%	(***)%	(***)%
14	Trend	Range	(10-20)	(20-30)	(0-10)	(20-30)

85. The Authority notes that:

- a. The domestic industry suffered losses in the entire injury period and the loss during POI has increased over the base year.
- b. Almost all parameters of profitability like Cash profits, PBIT and return on capital employed of the domestic industry have also followed the similar trend. The negative profitability of the domestic industry is mainly due to decreased market share and selling price below cost of sales on account of dumped subject imports.

iv. Inventories

86. The data relating to inventories of the subject goods is as follows-

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Average Stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	112	120	116

87. It is noted that the average inventories have increased over the period.

v. Employment, wages and productivity

88. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period is as under:

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	127	121	124
3	Employment	Nos	***	***	***	***

4	Trend	Indexed	100	101	98	99
5	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	112	102	99
7	Productivity per employee	Per No	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	111	105	101

89. It is seen that the wages, employees and productivity have remained at the same level.

vi. Growth

90. The trends of volume and profit parameters of the domestic industry showed as under-

SN	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Production	%	-	11%	-8%	-3%
2	Domestic sales	%	-	25%	-22%	-6%
3	Loss per unit	%	-	42%	-43%	46%

91. It is noted that there is negative growth in production and domestic sales of the domestic industry. The losses of domestic industry have increased significantly compared to previous year and base year.

vii. Ability to raise capital investment

92. The domestic industry is not able to service its existing debts and hence it does not have ability for further capital investment. Due to dumped imports resulting sustained loss during the entire injury period, the domestic industry is not able to service its existing debts and hence it does not have ability for further capital investment.

Causal Link

93. The Authority has examined as under whether other known factors could have caused injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

94. The imports from other countries are negligible.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

95. The Authority notes that there is no contraction of demand. Further, there has been no change in the consumption pattern.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

96. There is no known trade restrictive practice.

d. Developments in technology

97. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology.

e. Export performance of the domestic industry

98. It is noted that injury analysis is based on domestic performance of the petitioner.

f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

99. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

g. Other Factors alleged by the interested parties

- 100. Some of the interested parties have alleged that the injury, if any, being faced by the domestic industry is on account of other factors such as investments made by the domestic industry in setting up a **splitting** facility in Indonesia, or in Kutch. It has also been submitted by the interested parties that the injury to the domestic injury is on account of its high interest cost. In response, the domestic industry has submitted that its investment in Indonesia has significantly helped it in mitigating its raw material cost. As regard the investment made in Kutch, it has been submitted that the Kutch plant has been closed since 2011 and therefore, it has practically no impact on the present cost.
- 101. As regard the submission that the injury to the domestic industry is on account of inverted duty structure i.e. high import tariff on CPKO (raw material), the petitioner has submitted that it does not import CPKO for manufacture of the product under consideration, as such, injury being faced by VVF is not on account of the inverted duty structure. The petitioner has submitted that it imports raw material such as Split CPKO, Fatty acid distillates etc., on which import duty of 7.5% is applicable.

102. The Authority further notes that a parallel investigation is being conducted to examine the subsidies, if any, being provided by the subject countries in respect of the PUC and consequent injury to the domestic industry.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

B H.1 SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

- 103. The interested parties have made the following submissions:
 - It is a settled position that the onus on the petitioner to provide tangible evidence in sunset review to substantiate that cessation of anti-dumping duty would lead to continuance or recurrence of anti-dumping. The petition contains no analysis at all with respect to the above likelihood parameters, such that the Authority ought not to have accepted such an unsubstantiated petition as the basis of initiation of the present investigation.
 - ii. While the petitioner has stated that likelihood analysis should take into account both POI and the post-POI period, it has not provided any post-POI data
 - iii. It has also been claimed that the exporters on whom no duty was imposed during the original investigation ought to be excluded from the present review investigation, as in absence of any duty being there, it cannot be assumed that cessation of duty on such exporter would lead to recurrence or continuation of duty.
 - iv. There are no spare or idle capacities with the exporters. Capacity utilization of them is well above the standard industry rate for an oleochemical product.

H.2 Submissions by the domestic industry

104. The domestic industry has submitted as under:

- The fact that duty imposed were significantly inadequate is evident from sharp increase in dumped imports, despite imposition of anti-dumping duty. The imports have continued to be at dumped prices throughout the injury analysis period.
- ii. If the anti-dumping duty is allowed to expire and the quantum of duty is not enhanced, the dumping would further intensify, potentially destroying the Indian domestic industry.
- iii. As the PUC is mainly used in manufacture of FMCG products, its demand is directly proportional to the population of the country. The subject countries, unlike India, owing to low population have almost negligible demand for the subject goods. As such, they are mainly dependent upon export markets for remaining viable. The petitioner understands that about 90% production of the PUC in the subject countries is available for exports.
- iv. India being a growing market, which is exclusively dependent on plant based fatty alcohol for its FMCG products requirement (unlike other countries where animal fat "tallow" is used extensively), is one of the prime target markets for the PUC manufactured in the subject countries.
- v. The petitioner has also submitted that the injury caused by dumped imports is separate and does not overlap with the injury caused by inadmissible subsidies being granted by the subject countries, in respect of which the Authority is conducting a parallel investigation.

H.3 Examination by the Authority

- 105. The present investigation being a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from the subject countries, it is imperative to examine whether cessation of duty is likely to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The domestic industry has claimed that the duties imposed in the original investigation were grossly inadequate, which has resulted in continued dumping and injury to them. They have therefore, requested for not only continuance of duties but also enhancement of the quantum of duties originally imposed. On the other hand, most of the exporters have claimed that since the duty initially imposed against their imports was "nil", there can be no likelihood of injury if the said duty is allowed to expire.
- 106. The Authority has examined the likelihood of continuance or recurrence of injury as well as the request of the domestic industry for enhancement of duties, considering the requirement laid down under Section 9A (5) read with Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure-II (vii) of the Antidumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.

107. In accordance with the practice of the Authority, the third country exports have been examined to see the pricing behaviour of the producers in the subject countries. Further, the Authority has also examined if the exports to the other countries are at prices injurious to the domestic industry and at prices below the Indian prices to examine the likely increase in imports to India in the event of cessation of duties. It has also been examined if the subject exporters are export oriented and that the capacities are primarily being used for catering the export market.

(a) Idle capacities

108. The capacity, **production** and capacity utilization of the participating exporters is given below.

Indonesia	Capacity	Production	Capacity utilization	Surplus capacity	Surplus capacity% of Indian Demand	
	MT	MT	%	MT	%	Range
PTEO	***	***	***	***	***	40-50%
PTMM	***	***	***	***	***	70-80%
Wilmar	***	***	***	-	-	-
Energi	***	***	***	-	-	_
Malaysia						
KLK	***	***	***	-	-	_
FPG	***	***	***	***	***	0-10%
Edenor	***	***	***	***	***	30-40%
Thailand						
Thai fatty	***	***	***	***	***	10-20%
Total	1452340	1219844	84%	246298	170%	165-175%

109. From the above, it can be seen that there is surplus capacity available with most of the exporters, which cumulatively is more than the total Indian demand itself. Moreover, such surplus capacity exists despite the fact that exports from subject countries to Indian have increased during the POI. Considering that the above surplus capacity exists despite increase in exports to India, the Authority notes that above factors indicates that injury is likely to continue if the duty is allowed to expire.

(b) Export Orientation

110. On verification of data submitted by the respective exporters, it is noted that the most of the producers have set up capacities significantly in excess of their local demand and are primarily catering to the export markets.

	Total Exports	Domestic Sales		Domestic Sales % of Production		entation as % of n demand
Indonesia	MT	MT	%	Range	%	Range
PTEO	***	***	***	10-20%	***	140-150%
PTMM	***	***	***	0-10%	***	145-155%
Wilmar	***	***	***	0-10%	***	90-100%
Energi	***	***	***	0-10%	***	100-110%
Malaysia						
KLK	***	***	***	0-10%	***	150-160%
FPG	***	***	***	20-30%	***	40-50%
Edenor	***	***	***	60-70%	***	0-10%
Thailand						
Thai fatty	***	***	***	40-50%	***	30-40%
Total	10,56,160	1,38,120	11%	10-20%	730%	730-740%

111. It is noted that the producers in subject countries are utilizing only a small portion of their capacities towards local demand and a significant share is being used to cater to export markets.

(c) Third Country dumping and below non -injurious price

112. The Authority has also examined the volume and prices at which sales are being made by the producers in the subject countries to third countries. It is noted that the prices of all most all the exporters are either comparable to or below their export price to India and are significantly below the non-injurious price determined for the domestic industry.

	Exports to India	Exports to 3 rd country	3 rd country price underselling compared to NIP	
Indonesia			%	Range
PTEO	***	***	***	20-30%
PTMM	***	***	***	20-30%
Wilmar	***	***	***	35-45%
Energi	***	***	***	10-20%
Malaysia				
KLK	***	***	***	10-20%
FPG	***	***	***	20-30%
Edenor	***	***	***	20-30%
Thailand				
Thai fatty	***	***	***	20-30%

- 113. Thus, it can be seen that the 3rd country exports of the producers are significantly below the non-injurious price of the domestic industry. The Authority has considered this, along with other parameters discussed hereinabove, as an indication for likelihood of dumping and injury.
- 114. As regards the claim of the domestic industry regarding enhancement of duties, it is noted that the question whether the Authority has such power under the relevant legal provisions was examined by the Hon'ble CESTAT in the case of *Shanghai Fortune Chem Co. Ltd. v. DGAD*, 2016 (342) E.L.T. 578 (Tri. Del.), wherein it was held as under:
 - **"10.** The appellant has further argued that during the course of sunset review, the rate of duty cannot be enhanced. We have perused the provisions of Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, which relates to mid-term review and sunset review. It is the contention of the assessee that only rate of duty can be enhanced in Mid-term review and not during sunset review. By drawing our attention to the said Rule 23 of the Rules, it stands contended that sub-rule (1A), which provides for variation in the anti-dumping duty applies to only mid-term review and sub-rule (1B) which relates to sunset review does not provide any variation in the rate of duty and only relates to the extension of period.
 - 11. We find that an identical issue stands considered and decided by the Tribunal in the case of Indian Graphite Manufacturers Association v. Designated Authority [2006 (199) E.L.T. 722 (Tri. Del.)]. It was held that a cumulative reading of Sections 9A(1), 9A(5) and 9AA, read together, empowers the Designated Authority for recommending the amount of anti-dumping duty different from the amount of duty imposed at the time of initial imposition of definitive anti-dumping duty. The purpose of review will be frustrated if the Designated Authority cannot recommend higher or lower anti-dumping duty than the original definitive anti-dumping duty. As such, the said plea of the exporter/appellant is also not tenable."
- 115. It is noted that in the present case, the domestic industry is facing significant injury despite imposition of the antidumping duties. It is seen that dumping has continued even during the imposition of the duties and imports into
 India are being made at prices significantly below non-injurious price. Given these facts, the Authority notes that
 there is merit in the claim of the domestic industry that the duties imposed under the original investigation were
 inadequate. A tabular representation of the duties initially imposed as compared to the dumping and injury
 margin determined for the POI, is as below:

Fig.: In USD/MT

			Injury Margin
	ADD imposed	Dumping Margin	
Indonesia		,	
PTEO	Nil	***	***
PTMM	7.10	***	***
Wilmar	52.23	***	***
Energi	51.64	***	***
Others	92.23	***	***
Malaysia		,	
KLK	Nil	***	***
FPG	17.64	***	***
Others	37.64	***	***
Thailand	•	<u>'</u>	
Thai fatty	Nil	***	***
Others	22.50	***	***

116. From the above, it is noted that the Anti-dumping duties initially imposed were in fact significantly inadequate.

I. PUBLIC INTEREST

- 117. It has been claimed by the interested parties that imposition of anti-dumping duty, if any, on the subject goods would not be in public interest as:
 - i. Because of its raw material dependency, high interest cost and other inefficiencies, the petitioner would not be able to meet the Indian demand for the PUC.
 - ii. Increase in the cost of the PUC would lead to an increase in the costs of products such as soap, detergents etc., which are routinely used by the public at large.
 - iii. A levy of duty on the PUC would lead to an increase in imports of the downstream products of the PUC, such as ethoxylates, SLES, and SLS, which are currently subject to 0% basic customs duty under the ASEAN Free Trade Agreement. Imposition of duty would lead to an inverted duty structure for the downstream industries, thereby leading to increase in the imports of downstream goods. This will in turn lead to loss of business and employment for the downstream industries.
 - iv. There has been a significant increase in the production capacity of the downstream products in subject countries. It is very likely that the exporters would start exporting downstream products (SLS/SLES or Ethoxylates) if duties are imposed on SFA.
 - v. The capacity of the petitioner is not sufficient to meet the Indian demand and imposition of duty, if any, would lead to demand supply gap in the Indian market.
- 118. In response, the petitioner has claimed that imposition of the duty would be in the interest of the downstream industries as well as the public at large. It has been submitted that the installed capacity of the petitioner alone is sufficient to meet about 80% of the Indian demand. However, if the petitioner is forced to wind up, the downstream industries would become completely dependent on imports for their raw material requirement. As such, imposition of duty is not likely to cause any demand supply gap in the Indian market.
- 119. In any case, the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product under consideration to the consumers.
- 120. The petitioner has also submitted that there would be a negligible impact of duty on the cost of consumer products. It has been submitted that a levy of 35% duty would lead to an increase of about 0.3% on the cost of the consumer goods (shampoo). However, if the protection of duties is not granted to the domestic industry forthwith, it would not be able to survive and consequently, the entire downstream industries would become

dependent on imports for their raw material (SFA) requirement. It has been submitted by the petitioner that the increase in capacity of downstream products (SLS/SLES) in the subject countries, significantly in excess of the local demand, clearly indicates that once the petitioner, that is the Indian domestic industry is wiped out, the exporters from the subject countries would encourage exports of value-added downstream products, thereby jeopardizing the entire Indian downstream industry.

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

121. The post disclosure submissions have been received from the interested parties and the domestic industry, and it is noted that most of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under.

J.1. SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

- 122. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties on the disclosure statement circulated by the Authority, are as follows:
- I. the authority has erroneously stated that the landed value of imports has not increased commensurate to the cost of production of the di. the authority ought to have appreciated that there is no price undercutting by the subject imports. further, the fact that the petitioner has been able to increase its selling price regardless of the landed value of imports, indicates that there is no price suppression/depression.
- II. the finding of the authority that the petitioner has suffered losses is contrary to the data provided in the petition. however, the disclosure statement records that the petitioner is making losses.
- III. the landed value claimed by esm (and duly verified) and that provided in the confidential landed value (as part of the disclosure statement) has certain differences.
- IV. alleged injury to the petitioner, if any, is on account of the following reasons and not the subject imports:
 - O the petitioner is subject to penal interest rates.
 - O high shipping costs of raw material.
 - O high administrative, corporate costs and inefficient sales network.
 - O the petitioner has acknowledged that it has been financially impacted by the covid-19 pandemic.
 - o high procurement costs for split fatty acid: the export taxes have led to high procurement costs, leading to further inefficiencies.
 - the technology used by vvf is outdated. vvf uses lurgi 1st generation manufacturing process whereas producers of puc from the subject countries such as the edenor group use advanced process.
 - O lastly, it is relevant to note that the dumping margin is either "negative" or low for the cooperating producers. on the other hand, in most instances, the same producers have higher injury margins. this implies that the non-injurious price of the petitioner is significantly higher and injury is due to its operational inefficiencies and flagrant history of poor investments.
- V. while the petitioner has stated that likelihood analysis should take into account both poi and the post-poi period, it has not provided any post-poi data.
- VI. there are no significant imports from esm in terms of volumes in comparison to the total imports from indonesia in the injury period including the poi. further, the imports from esm are very negligible in total demand for the puc in india and total subject imports. esm's prices to india are higher than the prices at which the puc is being exported to third countries.
- VII. alleged export orientation is not sufficient to find that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury with respect to india.
- VIII. the authority has failed to appreciate that pricing policies may vary across jurisdictions based on various factors such as negotiation, logistics, etc. hence, the authority cannot assume that prices will simply be transposed from one jurisdiction to another without any recalibration. it is not necessary that if prices to a third country are presently lower than india that these prices will as is be applied to india.
- IX. if the dumping margin is negative, that company should be awarded nil individual rate of anti-dumping duty in the current sunset review investigation.
- X. the names of both producers of edenor group must be mentioned in the duty table. as stated in questionnaire appendices, the subject goods produced by rika are sold to eom and kept in a comingled tank which also stores the subject goods produced by eom. thereafter, eom sells the subject goods in domestic market and exports to all countries including india.
- XI. the increase in volume of subject imports was necessitated because of an increase in demand for mid-cut

- alcohols (c12-14 and c12-16) in india over the injury period and the domestic industry's incapability of meeting the rising demand for the said midcut alcohols. the data shows almost 80-90% of subject imports is of these two grades of the puc.
- XII. the authority in the parallel countervailing duty investigation on the puc, while calculating the subsidy margin for the provision of cpko at ltar, has compared the monthly prices of cpko with the monthly benchmark prices for 'fair comparison'. therefore, in furtherance of the principle of 'fair comparison', the authority is requested to adopt similar methodology of comparing prices on a month-to-month basis while computing the injury margin due to wide fluctuation in prices of raw materials (cpko and its oleo derivatives) and the puc during the poi.
- XIII. vvf along with the only other producer godrej industries limited, focuses on manufacturing c1618 alcohol and behenyl alcohol (22 carbon atoms chain) which are higher carbon chain products. the higher carbon chain fatty alcohols are mainly produced out of mustard seeds, crude palm oil, palm fatty acid distillates (pfad) and stearin which is abundantly found in india. vvf is able to export its higher carbon chain products globally at competitive price and has been consciously concentrating on higher cuts of the puc. therefore, it was not able to meet the additional demand of mid cut grades of the puc which were consequently met through imports.
- XIV. trend shows the absence of correlation between the volume of subject imports and vvf's production and capacity utilization performance.
- XV. due to the imposition of anti-dumping duty, there is substantial decrease in dumping from the subject countries and substantial decrease in price undercutting.
- XVI. imposition of add shall be against the general indian economic interest as the continuation of add shall significantly impact the profitability and viability of the downstream industry. anti-dumping duties till date has only added extra cost burden to indian users of fatty alcohols (who are mainly in the micro, small and medium enterprise (msme) sectors) such as ethoxylators and ultimately on the indian consumers.
- XVII. the authority is requested to impose fixed rate of anti-dumping duty, as is the practice in all anti-dumping investigations, and not ad valorem rate. the imposition of anti-dumping duty in ad valorem form would be inimical to the interests of the user industry because of the volatility of the puc.
- XVIII. a proper month-to-month comparison of nep with nv of klk oleo would reveal that klk oleo's dumping margin is only ***%. the margin in the disclosure statement is inflated and is artificial.
- XIX. the authority has determined dumping margin and injury margin on a monthly/quarterly basis in the original anti-dumping investigation concerning partially oriented yarn (poy) from indonesia, taiwan, thailand and malaysia (final findings dated 04th january 2002), sunset review of anti-dumping duty on imports of phenol from united states of america and thailand (final findings dated 30th july 2021), sunset review of anti-dumping duty on viscose staple fibre from china pr (final findings dated 31st july 2021). the european commission followed this practice in the anti-dumping investigation on imports of synthetic staple fibres of polyester originating in australia, indonesia and thailand (council regulation (ec) no 1522/2000 of 10 july 2000; paras 66 and 70).
- XX. the puc produced by fpg are exported to india through its related trader pgio located in singapore. pgio has submitted its questionnaire response wherein it has disclosed profit (in appendix 5) with respect to its business pertaining to trading of the puc. the respondent understands that the authority has computed a loss for pgio with respect to its puc trading business. this is due to the reason that the authority did not accept the actual figure of pgio (exporter) in appendix 5 which reported profit. instead, the authority has allocated the overheads cost (staff, admin, sga expenses etc.) from the whole pgio company to the puc on the basis of sales value ratio which resulted in a loss. further, the authority has adjusted the loss of pgio for determining the nep computation.
- XXI. the authority has not taken into consideration the typical capacity utilization in the oleochemical industry. further, the authority has also not recorded any reasons for the constant exports from respondents throughout the injury investigation period even though they have surplus capacity coupled with the fact that they have meagre duty of 7.10 usd / mt which is around (0.42% of the cif value).
- XXII. when respondents raised the issue in relation to computation and analysis of capacity, issues relating to manufacturing cost, domestic industry conveniently stated at paragraph 11 (vii) that they are manufacturing subject goods from "palm kernel oil". however, when the issue of inverted duty came, the domestic industry submitted that they are not importing palm kernel oil.
- XXIII. the nip should be adjusted to the extent of non-refundable custom duty paid while importing the input material. in this context, kind attention of the authority is invited to the para 9.4 of the "determination of

- non-injurious price (nip)" at page 244 of the compendium. the authority should reduce the impact of basic custom duty, cess on basic custom duty from the raw material cost while determining cost and subsequently from computation of nip.
- XXIV. it is the consistent practice of the authority to not grant individual duty based on individual dumping and injury margin to a new cooperating exporter in a review investigation. in tdi review investigation [f. no. 12612021- dgtr dated 24th june, 2022] wherein the new producers/exporters fully cooperated in the review investigation and granted individual dumping & injury margins but not granted individual duty based on their actual margins.
- XXV. the user is forced to pay a higher conversion cost due to operational inefficiencies of the petitioner to the tune of *** compared to the other producers, this coupled with the continuation of duties will further have an adverse impact on public interest and should be avoided, especially in the current recessionary climate.
- XXVI. the authority has taken note of the business transfer from tfa to ggc but has not included the name of ggc in the dumping margin/injury margin tables. the entire business of tfa has been transferred to ggc. as a result of the above transfer, ggc will perform all obligations under agreements entered into by tfa and be bound by their terms and conditions in every way as if it were the original party to these instead of tfa. this includes all sales of the puc to india as well as other markets. the transfer of business will not have any effect on the authority's calculations in the present investigation as ggc, in any event, has fully participated in the investigation and submitted all relevant information, should duties be imposed in the captioned investigation, the authority is humbly requested to also include ggc in the proposed duty table, if any.
- XXVII. one of the user industries namely, m/s tide industries has claimed that it uses c12 specifically in its production process and therefore, there could be no circumvention of duty imposed on c1214 by its imports. it has also submitted a certificate certifying that c12 pure grade imported by it would be used captively and not for converting c12 into c12-14 or c10-12 blends.

J.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 123. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement circulated by the Authority, are as follows:
- I. computation of nip without allowing any return, much less reasonable return, is grossly inadequate.
- II. the authority has not disclosed the basis for disallowing a substantial part of the petitioner's interest cost from nip computation.
- III. since the petitioner is the only eligible domestic producer of the subject goods, the interest actually being borne by it ought to be considered as the "normal" interest, for nip determination.
- IV. the dumping margin determined for most of exporters is negative on account of distorted raw material prices in indonesia and malaysia. in the original investigation, the authority ought to have considered the particular market situation existing in the said countries, and determined the normal value considering the international raw material prices. it has been noted in the disclosure statement that in the present review investigation, the particular market situation is not being examined as the impact of distorted raw material prices is being addressed in the parallel anti-subsidy investigation. the petitioner submits that if, for any reason, the said anti-subsidy investigation is terminated or subsidy on raw material is not countervailed, the normal value for dumping margin computation be re-determined after considering the international raw material prices.
- V. edenor oleochemicals (m) sdn. bhd. (formerly, emery oleochemicals (m) sdn bhd) and edenor oleochemicals rika (m) sdn. bhd., have made nil/negligible exports to india during the poi. as per the market information available with the petitioner, edenor group has not made representative sales in the period prior to or post poi as well. as the sales made by the said companies are not representative, individual duty rate is not required to be determined for the said companies.
- VI. the responding exporters are mainly export oriented and have substantial over-capacities, the idle capacity with the responding exporters is more than 165% of the indian demand, the prices at which the exporters are selling in third countries is also substantially below the petitioner's nip. it is submitted that if the anti-dumping duties are not continued, the dumping and injury would recur.
- VII. even though the dumping margin determined in the present disclosure statement is negative for some of the exporters, however, considering that there is a strong likelihood of recurrence of dumping and injury if duties are allowed to expire, the petitioner requests the hon'ble authority to continue the duties, as initially imposed, against the said exporters as well.
- VIII. the duties originally imposed were significantly inadequate, which is evident from the continued injury and dumping. the petitioner requests that the originally duties ought to be enhanced to grant adequate protection

to the domestic industry.

IX. none of the interested parties have refuted the petitioner's computation of the impact of duties on the final consumer, which is negligible. moreover, the fact that the downstream manufacturers would be able to pass on the impact of duty, if imposed, on their customers has also not been refuted. however, unless adequate protection is granted, the petitioner would not be able to survive. thus, continuation and enhancement of duty is in the larger public interest.

J.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 124. The submissions by the interested parties were mostly repetitive in nature, and have already been addressed at the relevant place in the finding. The Authority has examined the relevant submissions, claimed not to have addressed, herein below.
- 125. With regard to the contention on profitability and capacity utilization of the petitioner, it is noted that the injury analysis as disclosed by the Authority vide its disclosure statement is based on duly verified information/annexures on record.
- 126. It has been submitted by some of the interested parties that landed price of imports has not increased commensurate to the increase in DI's cost of production is irrelevant and in absence of positive price undercutting, a positive finding of injury cannot be drawn. In this regard, the Authority notes that during the POI, the average landed value of the imports from the subject countries was Rs. 129/Kg, as against which the cost of production of the domestic industry was Rs. ***/Kg. Thus, evidently the imports were at significantly lower prices compared to DI's cost of production. It has been submitted by the domestic industry that in order to retain its market share to the extent possible, it had taken a conscious call to match the import price even at the cost of selling at loss. It is noted that the average selling price of DI in the POI was Rs. ***/Kg (Rs. ***/kg for grade C1214) as against the average landed value of Rs. 129/Kg. This clearly shows that the imports have the effect of benchmarking the prices in the domestic market, and forcing the domestic industry to reduce its selling prices even below its cost.
- 127. As regards the claim of the interested parties that the injury to the domestic industry is on account of other factors, the Authority notes as under:

i.Penal interest imposed on the Petitioner:

As regards high finance cost of the domestic industry, the same has been examined in terms of the provisions of Annexure-III of the Anti-Dumping Rules and factored reasonably as per the consistent practice of DGTR while determining non-injurious price of the domestic industry.

ii. High shipping cost of raw material

The Authority notes that the shipping cost of raw material would be in the same range as the shipping cost of the imported final products and therefore, does not skew the injury determination in favour of the domestic industry.

iii. The Petitioner has acknowledged that it has been financially impacted by the COVID-19 pandemic

As per the consistent practice of the directorate, the NIP has been determined for the domestic industry based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India. As such, any abnormal impact, if any, on the cost of production of the domestic industry has not been considered.

iv.Impact due to imposition of export tax on raw material

The market distortion caused on account of imposition of export taxes is being addressed in the parallel CVD investigation being conducted by the Authority. The actual raw material price of DI, as optimized, has been considered for NIP determination.

v. Technology of the petitioner is outdated

It is found that the petitioner is using Lurgi's 3rd generation wax ester technology, and not 1st generation as has been claimed by some of the interested parties. Nonetheless, the investigation has revealed that the conversion cost as well as conversion norms of the domestic industry is comparable to that of the responding exporters.

- 128. With regard to the contention of non-representative sales made by Edenor group, the same has already been examined in para 44 above.
- 129. As regards computation of NIP without return and allowing inadequate interest alleged by the domestic industry, it may be noted that NIP is determined as per the provisions of Annexure-III of the Anti-Dumping Rules and consistent practice of DGTR. As far as allowing interest and return on capital employed, the principles of reasonability as provided in the said rules are followed.

- 130. With regard to loss computed by the authority in case of a related trader alleged by an interested party, it may be noted that profit / loss of the related trader has been determined in accordance with generally accepted accounting principles of the exporting country based on records and information made available by such interested party to the authority. Actual expenses / costs are allowed where those are substantiated with verifiable material evidence and otherwise, they are allocated to product under consideration based on accepted scientific method. The losses so calculated are adjusted with for determining NEP.
- 131. As regards the submission of ESM on its computed landed value, the final findings have been rectified based on the revised computation of the landed value on considering the submissions filed by ESM.
- 132. As regards the request made by some of the interested parties to carry out month-wise injury and dumping margin determination, the Authority notes that there has not been any irregular fluctuation in the raw material and utilities prices of the participating exporters, which would warrant a month-wise computation of the dumping margin to be conducted. As regards the claim that the NIP be computed month-wise, the Authority notes that the domestic industry uses multiple raw materials, both imported and domestically procured, for production of the PUC. It is noted that the cost of raw material and processing time varies for different raw material. As such, month-wise computation of cost of production would not be accurate. Moreover, no significant change in the trade pattern has been pointed out by the interested parties to justify computation of margins on month-wise basis. However, the Authority has the discretion to conduct month-wise examination of the injury and dumping margins in appropriate case, however, the facts of the present case does not warrant such an examination.
- 133. With regard to the contention of inability of the petitioner to provide mid-cut alcohols to the downstream users, it is noted that that the petitioner had significant unutilized capacity during the POI, which is not the cause rather the consequence of the material injury being caused by the subsidized and dumped imports.
- 134. The requests for correction in name have been addressed in this finding.
- 135. As regard the request of Tide Industries for granting actual user exemption, the Authority notes that the claim for exclusion of C12 and C14 pure grades has been rejected not only on the ground that the same can circumvent C1214 imports, but also on the ground that the said grades are "like" product. Moreover, the domestic industry has claimed that it has the capacity to produce C12 pure grade, which has not been refuted by any of the interested party. Further, no evidence has been placed on record to show that the domestic industry had declined to supply C12 (pure) grade during the POI. It is noted that since the domestic industry has the capacity to produce C12 grade, an actual user exemption would defeat the very purpose of the duty, especially considering that the grades are "like" article. In view thereof, the request for user based exclusion is not feasible in the facts and circumstances of the subject investigation.

Public Interest

- 136. The Authority has examined whether the imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of stakeholders, including the domestic industry, importers and consumers of the product.
- 137. The Authority notes that the total production capacity of the petitioner is *** MT and that of Godrej Industries is around *** MT, as against the demand of approximately *** MT. Evidently, the Indian production capacity is sufficient to meet almost the entire Indian demand by itself. As such, the question of there being a demand supply gap does not arise in the present fact of the case.
- 138. The Authority further finds that the PUC is an industrial raw material primarily used in manufacture of SLS, SLES or Ethoxylates etc., which are in turn used for manufacturing FMCG products such as soap, shampoos, detergents etc. Being an industrial raw material, it is noted that the duty imposed on the PUC would get passed through to the ultimate end consumer. Therefore, the impact of duty on end consumer is required to be seen. The petitioner has provided a quantified working of the impact of duty on the end consumer, which has not been controverted by the interested parties. It is seen that the impact of average duties on the price of the end product would be negligible.
- 139. The importers/users of the subject goods have claimed that the imposition of duty would lead to an inverted duty structure for downstream products such as SLS, SLES and Ethoxylates, as they attract nil import duty under ASEAN FTA. It has been submitted by them that the exporters of the subject countries are forwardly integrated and are expanding their downstream production capacity, significantly in excess of local demand. In these facts, the Authority notes that if the domestic industry is wiped out, the downstream industry would become completely dependent upon imports for their raw material requirement. As the exporters from the subject countries are expanding their downstream capacity, it is imminent that the exports of SFA would, in absence of a domestic SFA supplier, be replaced by exports of value-added downstream products, i.e., SLS, SLES and Ethoxylates. Being dependent on imports for raw material requirement might in fact put the Indian downstream

industries in the same situation as that of the domestic industry, where they might have to compete with the cheap downstream products from the subject countries.

- 140. The uncontroverted fact that has emerged from the investigation is that the domestic industry would not survive unless level playing field is provided to them. It is noted that if the domestic industry is wound up, in absence of any local source of raw material, the downstream manufacturers will be at the complete mercy of exporters who would then be in a position to dictate prices and can simply increase the prices of SFA. Further, given the fact that the subject countries are actively encouraging exports of value-added products through provision of inadmissible subsidies, making the downstream industry completely dependent on imports for their raw material requirement would be catastrophic.
- 141. The Authority notes that value addition from CPKO (raw material) to SFA is about 70-75%, whereas from SFA to Ethoxylates/SLES is about 10-11%. As such, imposition of duties would encourage value addition in India and would, thus, be in the larger public interest.
- 142. The Authority further notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
- 143. The Authority further notes that the impact of the proposed measures may have on certain users should be balanced against the risk of a discontinuation of the domestic industry activity as the current situation is not sustainable. Not imposing measures will lead to less reliable and unstable sources of supply and inevitably to price increases in the Indian market. The Authority therefore, concludes that imposition of duty would be in the larger public interest.

K. CONCLUSION

- 144. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- i. Being a review investigation, the scope of the product under consideration cannot be enhanced and has been kept same as the original investigation. Accordingly, the PUC is being defined as "Saturated Fatty Alcohol of carbon chain length C12 to C18 and blends thereof".
- ii. Despite imposition of anti-dumping duty, the imports from the subject countries have continued to increase in absolute terms as well as relative to DI's production and Indian demand.
- iii. The domestic industry has continued to face material injury, both volume and price, on account of the subject imports. There has been a considerable decline in the market share, sales, profitability, and return on capital employed of the domestic industry. Further, it is noted that the import prices have consistently remained below the cost of production of the domestic industry. To retain its market share, the domestic industry has been forced to match the import prices and consequently, has not been able to make profitable sales in the entire injury period, despite imposition of anti-dumping duty. There is causal link between dumping of the subject goods and material injury suffered by the domestic industry. The Authority is parallelly conducting anti-subsidy investigation in respect of the PUC being imported from the subject countries. The domestic industry has claimed that they are facing injury on account of dumped as well as subsidized imports from the subject countries. In the present review findings, the Authority has considered the injury on account of current dumping, and the likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury on cessation of duty.
- iv. The subject countries cumulatively have an installed capacity of about 14.5 lacs MT, as against total Indian demand of about *** lac MT. It is noted that the idle capacity lying with the participating exporters during the POI was about 1.5-2 times of Indian demand. Moreover, the producers in the subject countries are primarily catering to the export markets, with a very small quantity being sold by them domestically. Further, it has been found that the exports being made by the said companies to other countries are also below the NIP of the domestic industry. As such, if the duties are allowed to expire, there is a strong likelihood of continuance and recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- v. It is also noted that the facts of the present case warrant enhancement of anti-dumping duty initially imposed, as the same is found to be not adequate to address the injury being faced by the domestic industry. It is noted that the duties initially imposed were nil/negligible, which have resulted in continuation of the dumping and injury despite imposition of the duty. Duties equivalent to the margins determined in the present review investigation are warranted so as to grant adequate protection to the domestic industry, and to give the domestic industry fair chance to compete with the imports.

- vi. It is also noted that, even in the present review investigation, the dumping margin computed for most exporters from Indonesia is negative. It is noted that the negative dumping margin is due to lower cost of production of the said companies on account of distorted raw material prices existing in Indonesia (consequent to export tax and levy imposed by Government of Indonesia). Since, the Authority is conducting parallel anti-subsidy investigation in respect of the PUC, to avoid overlapping of duties on account of raw material distortion, the Authority has not made any adjustment to the raw material prices in the present review investigation.
- vii. As regards claim of the interested parties that the injury to the domestic industry is on account of its high finance cost and lack of working capital, the Authority notes that the financial condition of the domestic industry is not the cause of the injury but is in fact a consequence of the injury being faced by them. It is noted that the production of the PUC is a cash intensive process, as the raw material itself accounts for approx. 70% of the cost. As such the working capital requirement of the company is comparatively higher. However, since the domestic industry has not been able to make profitable sales, it did not generate any funds, which has resulted in its high finance cost.
- viii. It is noted that the petitioner is the sole Indian producer of mid-cut alcohol, which has the highest demand in the Indian market. It is an admitted fact that the financial condition of the petitioner is abysmal, and it would not survive unless level playing field is granted to them. Thus, if the anti-dumping duty is not continued and the quantum of duties is not enhanced, the domestic industry for mid-cut alcohol would be wiped out, thereby making the downstream industries completely dependent on imports for their raw material requirement. Having a viable domestic source of raw material is in the greater interest of the downstream industries.
- ix. It is also noted that the PUC is an industrial raw material. As such, the downstream industries would be able to pass on at least a part of duty to the end consumers. It is noted that the impact of even a 35% duty, on the end consumer would be negligible.
- x. Further, it is noted that during the injury investigation period, despite imposition of anti-dumping duty, the losses incurred by the domestic industry has increased, whereas, the importer (downstream) industry has been able to increase its profits during the said period. This clearly shows that the duties initially imposed were not adequate, and that the importers were able to pass on the duties to the ultimate consumer.

L. RECOMMENDATIONS

- 145. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassy of the subject countries, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of Rules and having established positive dumping margin as well material injury to the domestic industry caused by such imports as well as likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority is of the view that continuation of anti-dumping duty is necessary. Since, the Authority is conducting parallel anti-subsidy investigation in respect of the PUC and is computing dumping, injury as well as subsidy margins for the same POI, any subsidy duty, if recommended, would be adjusted based on the duties recommended in the present investigation.
- 146. Therefore, Authority recommends continuation of anti-dumping measure as fixed rate duty. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the Duty Table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on imports of the subject goods described at Column 3 of the Duty Table, originating in or exported from Indonesia, Malaysia and Thailand.

DUTY TABLE

S. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (USD/MT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2905.17, 2905.19, 3823.70	Saturated Fatty Alcohol of Carbon chain length C12 to C18 and their blends	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT Ecogreen Oleochemicals	Nil

2.	-do-	-do-	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT Musim Mas	Nil
3.	-do-	-do-	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT Wilmar Nabati Indonesia	240
4.	-do-	-do-	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT. ENERGI SEJAHTERA MAS	Nil
5.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any other than 1 to 4 above	263
6.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia & Thailand	Indonesia	Any	263
7.	-do-	-do-	Malaysia	Any including Malaysia	M/s FPG Oleochemicals Sdn. Bhd.	58
8.	-do-	-do-	Malaysia	Any including Malaysia	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn. Bhd.	122
9.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any other than 7 to 8 above	250
10.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia & Thailand	Malaysia	Any	250
11.	-do-	-do-	Thailand	Any including Thailand	M/s Global Green Chemicals Public Company Limited	107
12.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any other than 11 above	180
13.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia & Thailand	Thailand	Any	180

M. FURTHER PROCEDURE

147. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy & Designated Authority